[2023] 7 एस. सी. आर 1118

थिरु के. पलानीस्वामी

वी.

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

(2023 की सिविल अपील संख्या 1392)

23 फरवरी, 2023

[दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

आदेश-अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना-राजनीतिक दल का संविधान-राजनीतिक दल में विवाद-पार्टी में सबसे शीर्ष पद पहले महासचिव को सौंपा गया था, लेकिन तत्कालीन महासचिव के निधन के बाद पार्टी संगठन में कई बदलाव हुए और अंततः सह-संयोजक और संयुक्त सह-समन्वयक द्वारा संयुक्त नेतृत्व की एक प्रणाली लागू की गई-हालांकि, जब उप-कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव, अनिवार्य रूप से शीर्ष स्तर पर एकल नेतृत्व की प्रणाली पर लौटने के लिए, दिनांक 1 की सामान्य परिषद की बैठक में सामने आने की संभावना थी, तो यह मुकदमेबाजी का कारण बना-उक्त बैठक में

(23.06.2022) अध्यक्ष के रूप में एक 'टी. एम. एच.' का प्रस्ताव करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था-यह आरोप लगाया गया है कि उक्त टी. एम. एच. ने आम परिषद की बैठक की अगली तारीख की घोषणा 11.07.2022 के रूप में की थी-विभिन्न दीवानी मुकदमे दायर किए गए थे-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने विभिन्न पर ध्यान दिया

अंतरिम आवेदन और दिनांक 17.08.2022 के आदेश द्वारा उसी पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया कि दिनांक 11.07.2022 की सामान्य परिषद की बैठक सक्षम व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाई गई थी।

सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए-उक्त बैठक 15 दिनों की अग्रिम सूचना प्रदान करते हुए नहीं बुलाई गई थी-23.06.2022 पर मौजूद यथास्थिति को बनाए रखने के लिए आयोजित किया गया था और यह

निर्देश दिया गया था कि कंपनी की संयुक्त सहमति के बिना कोई कार्यकारी परिषद की बैठक या आम परिषद की बैठक नहीं होगी

समन्वयक और संयुक्त समन्वयक-तथापि, उक्त आदेश को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 17.08.2022 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः डिवीजन बेंच अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान या अस्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया और बताया कि एकल न्यायाधीश द्वारा केवल समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की संयुक्त सहमति से बैठक बुलाने के लिए दिए गए निर्देशों से ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी कि समग्र रूप से पक्ष को अपूरणीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 की कोई संभावना नहीं थी।

1118 थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

ओ. पी. एस. और ई. पी. एस.-बैठक बुलाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हुए-खंड पीठ ने बताया कि एकल न्यायाधीश के निर्देश केवल पक्ष में पहले से मौजूद "कार्यात्मक गतिरोध" को आगे बढ़ाएंगे-उच्च न्यायालय की खंड पीठ का तर्क और तर्क कानून और वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुरूप है-जहां तक दिनांकित बैठक बुलाने का संबंध है।

यह कभी भी संदेह या किसी विवाद में नहीं रहा था-उक्त बैठक वास्तव में समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई थी-वे उस चरण तक मिलकर काम कर रहे थे-हालाँकि, ऐसा लगता है कि इसके तुरंत बाद वे अलग हो गए।

विशेष रूप से जब उपनियमों में संशोधन और एकल नेतृत्व की प्रणाली में लौटने का प्रस्ताव विचाराधीन था-यदि अधिकांश सदस्यों ने सामान्य परिषद की बैठक और प्रेसीडियम के अध्यक्ष को बुलाने के लिए 23.06.2022 पर अनुरोध किया था।

इस मांग की गई बैठक की तारीख को 11.07.2022 के रूप में घोषित किया गया, तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, ऐसी घोषणा, कम से कम वर्तमान स्तर पर, दिनांकित 17.08.2022 आदेश पारित करते समय पूरी तरह से अनावश्यक एकल न्यायाधीश के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

एक अनधिकृत कार्य के रूप में दिनांकित 11.07.2022 की बैठक बुलाने में एक गंभीर त्रुटि की-एक और कथित दुर्बलता के रूप में 15 दिनों के नोटिस तक, ऐसा प्रतीत होता है कि खंड पीठ ने उक्त नियम 19 (vii) के ढांचे का सही विश्लेषण किया है, जहां 15 दिनों के नोटिस की आवश्यकता नियमित बैठक के लिए संदर्भित है न कि किसी अनुरोधित या विशेष बैठक के लिए-इस प्रकार, एकल न्यायाधीश ने सही परिप्रेक्ष्य में प्रश्नों की जांच नहीं की।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. डिवीजन बेंच ने अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान या अस्वीकृति को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का भी उल्लेख किया और बताया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा केवल समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की संयुक्त सहमति से बैठक बुलाने के लिए दिए गए निर्देश ऐसी स्थिति की ओर ले जा रहे थे जहां समग्र रूप से पक्ष को अपूरणीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अपीलकर्ता और संयुक्त समन्वयक की कोई संभावना नहीं थी।

प्रतिवादी संख्या 1-ओ. पी. एस. और ई. पी. एस.-बैठक बुलाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। डिवीजन बेंच ने बताया कि विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्देश केवल "कार्यात्मक" को आगे बढ़ाएंगे। गतिरोध "पार्टी में पहले से मौजूद है। [पैरा 26.2] [1191-बी-डी] [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. मामले के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि जहां तक दिनांकित 23.06.2022 की बैठक बुलाने का संबंध है,

यह कभी भी संदेह या किसी विवाद में नहीं रहा था। उक्त बैठक वास्तव में संयोजक और संयुक्त समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से बुलाई गई थी। वे उस चरण तक मिलकर काम कर रहे थे।

हालाँकि, ऐसा लगता है कि इसके तुरंत बाद वे अलग हो गए, विशेष रूप से जब उपनियमों में संशोधन का प्रस्ताव था।

और एकल नेतृत्व की प्रणाली की ओर लौटना मुश्किल था। किसी भी मामले में, दिनांकित 23.06.2022 की बैठक विधिवत बुलाई गई थी और इसे रोकने के प्रयासों को अदालत में सफलता नहीं मिली। भले ही निर्धारित कार्य दिनांकित 23.06.2022 बैठक में नहीं किया गया था, उस बैठक में जो कुछ भी हुआ था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वादी ओ. पी. एस. और उनके साथ खड़े व्यक्ति भी उक्त बैठक में बहुत अधिक उपस्थित थे। कहा जाता है कि सामान्य परिषद में 2665 सदस्य होते हैं। यदि इन 2665 सदस्यों में से 2190 सदस्यों ने सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए आई. डी. 2 पर अनुरोध किया और प्रेसीडियम के अध्यक्ष ने इस अनुरोधित बैठक की तारीख आई. डी. 1 के रूप में घोषित की, तो तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, ऐसी घोषणा, कम से कम वर्तमान स्तर पर, पूरी तरह से निरर्थक नहीं कहा जा सकता है। उस समय, जब समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को संयुक्त रूप से काम नहीं करते हुए दिखाया गया (किसी भी कारण से), तो पार्टी के लिए एक कार्यात्मक गतिरोध अस्तित्व में आ गया और

व्यावहारिक समाधान खोजने की आवश्यकता थी। दिए गए परिदृश्य में, अधिग्रहण करने वाले सदस्यों और प्रेसीडियम के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाइयों और कदमों को घोषित नहीं किया जा सकता हैः इस स्तर पर अनुचित या अवैध। कि स्थिति होने के कारण, दिनांकित 11.07.2022 की बैठक आयोजित नहीं की जा सकती थी

अनाधिकृत कार्य के रूप में लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश ने दिनांक 1 का आदेश पारित करते समय गंभीर त्रुटि की है और कहा कि दिनांक 2 की बैठक बुलाने के दौरान आदेश स्पष्ट रूप से विकृति से ग्रस्त था जिसे अनधिकृत कार्य के रूप में लिया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने मामले के सार और स्थिति की वास्तविकताओं को सही ढंग से देखा है। [पैरा 28.1] [1192-ए-जी]

3. 15 दिनों के स्पष्ट नोटिस के अभाव के बारे में अन्य कथित दुर्बलता को भी डिवीजन बेंच द्वारा सही तरीके से निपटाया गया है।

उच्च न्यायालय ने दिनांकित 02.09.2022 के विवादित आदेश में।

ऐसा कोई थिरु के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस।

पक्ष का आंतरिक मामला, न्यायालय का दृष्टिकोण और वह भी, अंतरिम राहत के लिए अनुरोध पर विचार करते समय, मामले के सार से अलग तकनीकी दोषों और खामियों को खोजने का नहीं हो सकता है। तकनीकीताओं के संबंध में भी, ऐसा प्रतीत होता है कि खंड पीठ ने उक्त नियम 19 (vii) के ढांचे का सही विश्लेषण किया है, जहां 15 दिनों के नोटिस की आवश्यकता नियमित बैठक के लिए संदर्भित है, न कि किसी अनुरोधित या विशेष बैठक के लिए। [पैरा 28.2] [1192-जी-एच; 1193-ए]

4. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सुविधा संतुलन से संबंधित प्रश्नों की जांच नहीं की

और सही परिप्रेक्ष्य में अपूरणीय क्षति और विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा की संभावनाओं और अन्याय के जोखिम को तौलने में विफल रहा यदि अंततः मुख्य मामले का निर्णय अपनाया जा रहा पाठ्यक्रम के विपरीत चलेगा और इसे दिए जाने के तरीके और रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा देने वाले आदेश में सुझाव दिया जाएगा। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि यदि आदेश द्वारा पारित किया गया है विद्वत एकल न्यायाधीश को मुकदमों के निर्णय तक लागू रहना था, यह विचाराधीन राजनीतिक दल के हित के लिए काफी हानिकारक होता, जो भारत के चुनाव आयोग के साथ एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। वर्तमान प्रकृति के मामलों में, सरल और सटीक दृष्टिकोण, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रारंभिक चरण में 22.06.2022 पर अंतरिम राहत के लिए अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा था, कानून के सही कथन पर था कि आम तौर पर न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

एक संघ/पार्टी के आंतरिक मुद्दे और इसे खुला छोड़ देंगे एसोसिएशन/पार्टी और उसके सदस्यों को बेहतर प्रशासन के लिए एक विशेष निर्णय लेने के लिए; और यह मामले के तथ्यों के प्रति सही दृष्टिकोण था। वर्तमान मामले में, जब आम परिषद को पार्टी का शीर्ष निकाय दिखाया जाता है, तो आम परिषद की बैठक को कोई भी अपवाद देते हुए

न तो स्वीकार किया गया और न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से हस्तक्षेप किया गया। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, बैठक की तारीख, समय और स्थान के संदर्भ में वैध सूचना की कमी के बारे में किए जाने वाले अति-तकनीकी सुझाव, यानी बैठकों के कानून और व्यवहार पर शेकलटन के अध्याय 5 के संदर्भ में, अपीलकर्ताओं के कारण को आगे नहीं बढ़ाते हैं, विशेष रूप से जब यह देखा जाता है कि तारीख, समय और स्थान

दिनांकित 23.06.2022 बैठक में विचाराधीन बैठक के स्थान की विधिवत घोषणा की गई थी। [पैरा 30] [1193-एच; 1194-ए-एफ] [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. एस. थिरुनावुक्कारासु में निर्णय के आधार पर अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत करना कि उपनियमों की योजना ऐसा करती है

माँगकर्ताओं को आम परिषद की बैठक बुलाने की परिकल्पना नहीं की गई है और यदि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से बैठक बुलाने में विफल रहते हैं, तो एकमात्र विकल्प यह है कि न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की जाए, जिसकी अपनी कमियां हैं। जैसा कि खंड पीठ ने आक्षेपित आदेश में सही देखा है, उक्त मामले में,

पार्टी के निष्कासित सदस्य ने तत्कालीन जनरल द्वारा बुलाई गई बैठक के समानांतर एक आम परिषद की बैठक बुलाई।

सचिव। दी गई तथ्य स्थिति में, न्यायालय ने समानांतर बैठक बुलाने के खिलाफ महासचिव के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की। वर्तमान मामले में, किसी भी सदस्य द्वारा सामान्य परिषद की कोई समानांतर बैठक नहीं बुलाई गई है या उसकी मांग नहीं की गई है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ठीक ही कहा है कि एक सामान्य नियम के रूप में, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि माँगकर्ताओं के पास केवल अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है यदि बैठक नहीं बुलाई जाती है। यह भी बताया गया है कि अतीत में, जब अंतरिम महासचिव वर्ष 2017 में कार्य नहीं कर सके, तो पदाधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और बैठक बुलाई। प्राप्त अनुरोध के आधार पर बैठक। वर्तमान स्थिति भी, जहां महासचिव द्वारा पहले जिस पद पर कब्जा किया गया था, वह समन्वयक और संयुक्त सह-संयोजक को सौंपा गया था।

उनके जोड़ में संयोजक और यह एक छाया से परे रहता है

यह संदेह कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से खड़े नहीं होते हैं और संयुक्त रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, उस स्थिति के समान है जब शीर्ष पद धारक कार्य करने की स्थिति में नहीं था। जाहिर है, एक व्यवहार्य समाधान खोजना था; और जब समाधान जैसा कि पाया गया और लागू किया गया, अन्यथा उपनियमों की भावना के साथ-साथ किसी संघ या पार्टी के कामकाज के मानदंडों को भी आहत नहीं करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि 11.07.2022 पर सामान्य परिषद की बैठक के लिए प्रेसीडियम अध्यक्ष की घोषणा और पार्टी मुख्यालय में पदाधिकारी द्वारा अनुवर्ती सूचना पूरी तरह से अनधिकृत थी। [पैरा 31] [1194-एफ-एच; 1195-ए-डी]

6. यह भी उल्लेखनीय है कि एकल न्यायाधीश द्वारा जारी अंतिम निषेधाज्ञा 23.06.2022 पर पूर्व स्थिति को बहाल करने के लिए थी और इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश

निर्देश दिया कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को संयुक्त रूप से कार्य करना होगा; उनके संयुक्त थिरु के. पलानीस्वामी बनाम के साथ बैठकें बुलानी होंगी।

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

सहमति; और उचित रूप से अनुरोध किए जाने पर, वे आम परिषद की बैठक बुलाने से इनकार नहीं करेंगे और वे आम परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देशों के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। इस तथ्य के अलावा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी निषेधाज्ञा बहुत दूर थी और

उनके समक्ष आवेदनों के दायरे से परे, उक्त निषेधाज्ञा केवल पार्टी में कार्यात्मक गतिरोध को बनाए रख सकती थी। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार, खंड पीठ ने इसमें उचित रूप से हस्तक्षेप किया है। [पैरा 33] [1196-बी-डी]

स्काईलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एस. एल. वासवानी और अन्न। (2010) 2 एस. सी. सी. 142; नीलकंठ

निंगशेट्टी और ओआरएस। एआईआर 1962 एससी 666: [1962] एससीआर 551 ; भारत संघ और ओआरएस। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी और अन्य। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 429-पर निर्भर था।

एस. थिरुनावुक्कारासु और अन्न। वी. सेल्वी जे. जयललीता

और एन. आर. 1997 (III) सीटीसी 229; वांडर लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. एंटोक्स इंडिया (पी) लिमिटेड (1990) सप एस. सी. सी. 727; कर्नाटक राज्य बनाम। ए. पी. और अन्य का राज्य। (2000) 9 एससीसी 572: [2000] 3 एस. सी. आर. 301; सूर्य नाथ सिंह और अन्य। वी. खेडू सिंह (मृत) एल. आर. एस. और ओ. आर. एस. द्वारा (1994) 3 सप्लीमेंट

एस. सी. सी. 561; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर,

चंदन नगर, पश्चिम बंगाल बनाम। डनलप इंडिया लिमिटेड और अन्य। (1985) 1 एस. सी. सी. 260 [1985] 2 एस. सी. आर. 190; दलपत कुमार और अन्न। वी. प्रह्लाद सिंह और अन्य। (1992) 1 एससीसी 719: [1991] 3 पूरक। एस. सी. आर. 472; अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड बनाम कलकत्ता स्टील कंपनी और अन्य। (1993) 2 एस. सी. सी. 199 [1992] 3 पूरक। एससीआर 833; सीमा अरशद जहीर और अन्य। वी. नगर निगम। ग्रेटर मुंबई और ओआरएस। (2006) 5 एससीसी 282: [2006] 1 पूरक। एस. सी. आर. 865; के. राजेंद्रन और अन्य। वी. तमिलनाडु राज्य और अन्य।

(1982) 2 एस. सी. सी. 273 [1982] 3 एस. सी. आर. 628; बी. एन. विश्वनाथन और अन्न। वी. टिफिन बेराइट्स, एस्बेस्टस एंड पेंट्स लिमिटेड (1953) 66 एलडब्ल्यू 124; टी. पी. डेवर बनाम लॉज विक्टोरिया नं. 363 एस. सी. बेलगाम और अन्य। (1964) 1 एससीआर

1- संदर्भित किया गया।

[2023] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" बैठकों के कानून और व्यवहार पर शेकलटन "

मेडेलीन कोड्र्स, जॉन पघ द्वारा संपादित-स्मिथ, 13 वीं एड। , थॉमसन रॉयटर्स पी। 41 (पैरा 17.2)-निर्दिष्ट

को।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 3 एससीआर 301

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.3

[1985] 2 एससीआर 190

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.5

[1991] 3 पूरक। एससीआर 472

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.5

[1992] 3 पूरक। एससीआर 833

संदर्भित किया गया है

पैरा 17.5

[2006] 1 पूरक। एससीआर 865

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.1

[1982] 3 एससीआर 628

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.2

[1962] एससीआर 551

उस पर भरोसा करें

पैरा 18.3

[1964] 1 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 18.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1392

2023 तक।

उच्च न्यायालय के 23.06.2022 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2022 के सी. एम. पी. संख्या 9962 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ

सिविल अपील सं। 1393 , 1394 , 1395 और 2023 का 1396-1397।

मुकुल रोहतगी, सी. ए. सुंदरम, अतुल चिताले, सी. एस. विद्यानाथन,

गुरु कृष्ण कुमार, पराग पी. त्रिपाठी, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौतम कुमार, बालाजी श्रीनिवासन, शिव कृष्णमूर्ति, श्रीमती लक्ष्मी राव, थंगादुराई, सुश्री रोहिणी मूसा, श्रीमती पी. राजलक्ष्मी, गौतम शिवशंकर, सुश्री रुचिरा गोयल, शांतनु सिंह, रवि सहगल, अदित जायेशभाई शाह, अमित शर्मा, दीपेश सिन्हा, सुश्री पल्लवी बरुआ, सुश्री अवंतिका मनोहर, सुश्री दीक्षा राय, अंकित अग्रवाल, प्रतीक धनखड़, विनोद कन्ना बी., सुश्री गरिमा जैन, पाई अमित, सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, अभ्युदय वत्स, सौरभ अग्रवाल, सुश्री कोमल मुंद्रा, सुश्री सोनाली।

सूर्यवंशी, अरुणव मुखर्जी, आशुतोष कुमार, सुश्री महामाया थिरु के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

चटर्जी, पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, सचिन कुमार वर्मा, सूर्य नारायण पात्रो, सुश्री याकीन बिशोयी, अक्षत श्रीवास्तव, सुश्री अंजू। के. वर्की, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

छुट्टी दे दी गई।

2. अंतर-संबंधित मुद्दों और चुनाव लड़ने वाले दलों के एक ही समूह से जुड़ी इन अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटारे के लिए लिया गया है।

3. अपेक्षित विवरणों को शुरू करने से पहले, कुछ प्रारंभिक टिप्पणियां और संक्षिप्त रूपरेखा उपयुक्त होगी।

3.1 . मुद्दे के मामले अनिवार्य रूप से आंतरिक मामलों से संबंधित हैं।

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र नामक एक राजनीतिक दल का प्रबंधन कड़गम 1, जो भारत के चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत है।

कहा जाता है कि इस राजनीतिक दल का प्राथमिक संवर्ग डेढ़ करोड़ से अधिक सदस्यों का है, जिसके अपने उपनियम हैं, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। पार्टी संरचना के दो ऊपरी स्तर

इसमें केंद्रीय कार्यकारी समिति 2 और केंद्रीय संगठन की सामान्य परिषद 3 शामिल हैं। हालांकि, उपनियमों की योजना में, पार्टी में सर्वोच्च पद पहले महासचिव को सौंपा गया था, लेकिन 05.12.2016 पर तत्कालीन महासचिव के निधन के बाद, पार्टी ने

संगठन परिवर्तनों के सागर से गुजरा और अंततः, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा संयुक्त नेतृत्व की एक प्रणाली, 12.09.2017 पर उपनियमों के संशोधन के माध्यम से स्थापित की गई। हालांकि,

आगे के संशोधनों के प्रस्तावों को पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों के अलग-अलग विचारों का सामना करना पड़ा है और कम से कम पांच दीवानी मुकदमों में इन मुकदमों का कारण बना है। इन दीवानी मुकदमों के लंबित रहने के दौरान अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थनाओं के कारण मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा मूल पक्ष और अपीलीय पक्ष के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा भी विभिन्न चरणों में अलग-अलग आदेश दिए गए हैं।

3.2 . परिचयात्मक उद्देश्यों के लिए, हम संकेत दे सकते हैं कि पहले तीन दीवानी मुकदमों में, सी. एस. संख्या। 102 2022 का 106,2022 का 111,

1 'ए. आई. ए. डी. एम. के', संक्षेप में; इसके बाद 'पार्टी' या 'राजनीतिक दल' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 2 इसके बाद 'कार्यकारी समिति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। 3 इसके बाद 'सामान्य परिषद' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंतरिम राहत की मांग करने वाले विभिन्न आवेदनों को दिनांक 22.06.2022 के एक आदेश द्वारा निपटाया गया था, जिसके तहत उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23.06.2022 पर होने वाली सामान्य परिषद की बैठक के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। इस आदेश को एक ने चुनौती दी थी। 2022 का ओ. एस. ए. सं. 160, एक अंतर-न्यायालय अपील में वादी का; और उसमें, सुबह की सुनवाई के बाद पारित एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, हालांकि सामान्य परिषद की उक्त निर्धारित बैठक की अनुमति दी, लेकिन यह प्रावधान करके अपने दायरे में बाधाएं डाल दीं कि मसौदा प्रस्ताव के 23 मदों को छोड़कर किसी भी अन्य मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। 23.06.2022 दिनांकित उक्त आदेश को विशेष अनुमति से उत्पन्न तीन अपीलों में इस न्यायालय में चुनौती दी गई।

याचिका (सी) सं। 11237 मामलों के इस समूह में 2022 का 11578,2022 का 11579। 06.07.2022 दिनांकित एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, यह

न्यायालय ने दिनांक 23.06.2022 के उक्त आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक लगा दी।

और इसके अलावा, आई. डी. 1 पर होने वाली आम परिषद की अगली प्रस्तावित बैठक की भी अनुमति दी गई थी, लेकिन इसे पक्षों के लिए सिविल मुकदमों से निपटने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कोई अन्य अंतरिम राहत लेने के लिए खुला छोड़ दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांकित उपरोक्त आदेश 06.07.2022 से पहले, दो और दीवानी मुकदमे, सी. एस. सं। 118 2022 की 119 और 2022 की 119, उक्त प्रस्तावित बैठक दिनांक 11.07.2022 के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई। इसमें फिर से, उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने 11.07.2022 पर सुबह-सुबह सुनवाई की और अंतरिम राहत को अस्वीकार कर दिया। आई. डी. 2 की उक्त बैठक, तदनुसार, निर्धारित समय पर आयोजित की गई थी और उसमें विभिन्न प्रस्तावों को अपनाया गया था, लेकिन आई. डी. 2 के उक्त आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और आई. डी. 1 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने मामले को पुनर्विचार के लिए भेज दिया। इसके बाद, उक्त नए दायर किए गए दीवानी मुकदमों में अंतरिम राहत आवेदनों पर उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कुछ अंतरिम राहत देने और अन्य बातों के साथ-साथ पूर्व की यथास्थिति प्रदान करने पर निर्णय लिया गया। 23.06.2022 , इसे बनाए रखा जाएगा और समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की संयुक्त सहमति के बिना कोई कार्यकारी परिषद या सामान्य परिषद की बैठक नहीं होगी। 17.08.2022 दिनांकित उक्त आदेश पर अंतर-अदालत अपीलों में सवाल उठाया गया था, जो OSA संख्या थी। 227 2022 का, 2022 का 232 और 2022 का 232। इन तीन अपीलों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अपने दिनांकित 02.09.2022 आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसे विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या से उत्पन्न अपीलों में चुनौती दी गई है। 15753 2022 का

और 2022 का 15705-15706।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

हमारे समक्ष लेकिन सार में मामले राजनीतिक दल के मामलों से संबंधित दीवानी मुकदमों में अस्थायी निषेधाज्ञा देने के प्रश्न और सदस्यों और गुटों के बीच के विवादों से संबंधित हैं। पक्षकार; और फिर, विवादित आदेशों को जन्म देने वाले दीवानी मुकदमे लंबित रहते हैं और उन पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस प्रकार, तब भी जब चुनाव लड़ने वाले दलों के विद्वान वकील ने विस्तार से बताया है

विभिन्न कारकों और पहलुओं पर प्रस्तुतियाँ, हम इस निर्णय और दीवानी मुकदमों में अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के प्रश्न पर अपने विचार को सीमित करेंगे; और उस संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है। इसलिए, हम उन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दे सकते हैं जो वर्तमान निर्णय के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

6. पूर्वगामी प्रारंभिक टिप्पणियों, टिप्पणियों और रूपरेखा के साथ, हम प्रासंगिक तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं, संक्षेप में, निम्नानुसारः

6.1 . कुछ बुनियादी तथ्य जो स्वीकार करते हैं कि कोई विवाद नहीं है

कि पार्टी-ए. आई. ए. डी. एम. के. की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और यह भारत के चुनाव आयोग के साथ विधिवत मान्यता प्राप्त और पंजीकृत है।

कहा जाता है कि पार्टी का प्राथमिक कैडर डेढ़ करोड़ से अधिक का है सदस्य अपने स्वयं के उपनियमों द्वारा शासित होते हैं। जैसा कि देखा गया है, पार्टी संरचना के ऊपरी स्तरों में कार्यकारी समिति और जनरल शामिल हैं।

6.2 . डॉ. जे. जयललीता के निधन के बाद बुलाई गई आम परिषद की बैठक में सुश्री वी. के. शशिकल को नामित किया गया था। अंतरिम महासचिव। हालाँकि, 14.02.2017 पर, उक्त अंतरिम महासचिव को इस न्यायालय के एक फैसले को देखते हुए कैद कर लिया गया। अंततः, 28.08.2017 पर, 12.09.2017 पर एक आम परिषद की बैठक के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। उस समय पार्टी के एक समूह ने भारत के चुनाव आयोग के समक्ष पार्टी के मामलों के प्रभारी के रूप में अपना दावा पेश किया था। उस स्तर पर अंतर-पक्षीय विवाद की ये सभी विशेषताएं इस संबंध में बहुत अधिक निहितार्थ नहीं हैं

मुद्दे हाथ में हैं। प्रासंगिक पहलू यह रहा है कि 12.09.2017 पर आयोजित आम परिषद की बैठक में एक अनूठी प्रणाली लागू की गई थी

उपनियमों में संशोधन करके। इस संशोधन के माध्यम से, उक्त स्वर्गीय डॉ. जे. जयललीता को पार्टी के "शाश्वत महासचिव" का दर्जा दिया गया था, जबकि यह प्रावधान किया गया था कि महासचिव के उक्त पद को समाप्त कर दिया जाएगा और महासचिव के उक्त पद के स्थान पर, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के दो उच्च स्तरीय पद बनाए गए थे।

6.3 . इस मोड़ पर, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि दीवानी मुकदमों में विवाद जो विचाराधीन अंतरिम आदेशों की ओर ले जाते हैं, अनिवार्य रूप से संबंधित हैं -

उपनियमों के ऐसे संशोधन के बाद संयुक्त समन्वयक; वे 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 15753, थिरू से उत्पन्न अपील के अपीलार्थी हैं। ओ. पन्नीरसेल्वम, जिन्हें समन्वयक के रूप में चुना गया था और 4 कई स्थानों पर और यहां तक कि प्रस्तुतियों के दौरान, थिरू। ओ. पन्नीरसेल्वम को प्रारंभिक 'ओ. पी. एस.' के साथ संदर्भित किया गया है। निरंतरता के लिए, इस निर्णय में उनके संदर्भ में वही आद्याक्षर दिए गए हैं।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उस अपील के प्रत्यर्थी संख्या 1, थिरू। ई. के. पलानीस्वामी, जिन्हें संयुक्त समन्वयक के रूप में चुना गया था।

6.4 . 12.09.2017 पर किए गए उपनियमों के संशोधन में, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को शक्तियां सौंपी गई थीं

और वह भूमिका जो पहले महासचिव को सौंपी गई थी। संक्षेप में कहें तो इसने पार्टी में संयुक्त नेतृत्व की एक प्रणाली स्थापित की जिसके तहत सभी निर्णय पार्टी के उक्त दो पदधारकों द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाने थे। संशोधित उपनियमों के अनुसार, समन्वयक और संयुक्त का कार्यकाल

संयोजक पाँच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 12.09.2017 की तारीख से और मई 2021 के महीने तक, यह राजनीतिक दल-ए. आई. ए. डी. एम. के. तमिलनाडु राज्य में सरकार बनाते हुए सत्ता में बना रहा।

6.5 . हालाँकि, 01.12.2021 पर, पार्टी की कार्यकारी समिति ने नियम 20-ए (ii), 43 और 45 में संशोधन के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया।

बाइलाउस। इन संशोधनों ने प्राथमिक सदस्यता को सशक्त बनाया।

पार्टी द्वारा समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के उक्त पद के लिए व्यक्तियों को सीधे चुनने के लिए और यह भी प्रावधान किया गया था कि जब भी आम परिषद पार्टी के संविधान के नियमों में संशोधन कर सकती है और यहां तक कि जब समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पक्ष के नियमों और विनियमों में ढील दे सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं, तो प्रावधान

केवल पार्टी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए बदला नहीं जा सकता है। कार्यकारी समिति के दिनांक 01.12.2021 के प्रस्ताव में यह भी प्रावधान किया गया था कि उक्त संशोधन तुरंत लागू होंगे लेकिन सामान्य परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

6.5. 1 . आई. डी. 1 को संयोजक और संयुक्त संयोजक के उक्त पदों के लिए पार्टी चुनाव को अधिसूचित किया गया था। 06.12.2021 पर ओ. पी. एस. और

ई. पी. एस. ने संयुक्त रूप से समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद के लिए चुनाव लड़ा; वे सर्वसम्मति से और निर्विरोध चुने गए; उन दोनों को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किए गए; और चुनाव परिणाम भारत के चुनाव आयोग को अधिसूचित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर पार्टी के पदाधिकारियों के पदों के लिए आगे के चुनाव नियम 6 से 14 के संदर्भ में विभिन्न चरणों में आयोजित किए गए थे, जो 13.12.2021 से शुरू होकर 28.04.2022 तक जारी रहे, जब कड़गम की मुख्य समिति के पदाधिकारी थे

' कई स्थानों पर और यहां तक कि प्रस्तुतियों के दौरान, थिरू। ई. के. पलानीस्वामी को प्रारंभिक 'ई. पी. एस.' के साथ संदर्भित किया गया है। निरंतरता के लिए, इस निर्णय में उनके संदर्भ में वही आद्याक्षर दिए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एकल नेतृत्व और यह वर्तमान मुकदमेबाजी के लिए ट्रिगर था। ऐसा प्रतीत होता है कि 19.06.2022 पर, ओ. पी. एस. ने ई. पी. एस. को एक पत्र भेजकर पूछा कि आई. डी. 1 पर होने वाली आम परिषद की बैठक का स्थगन, जिसका ई. पी. एस. ने नकारात्मक जवाब दिया। दिनांकित 23.06.2022 बैठक में पुलिस सुरक्षा के लिए मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। ईपीएस का मामला है कि ओपीएस को फाइनल मिला

पार्टी मुख्यालय द्वारा सामान्य परिषद के सदस्यों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव का संस्करण और उन्होंने इसके लिए सहमति व्यक्त की। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, प्रस्तावित बैठक दिनांक 23.06.2022 ने उक्त तीन दीवानी मुकदमों को जन्म दिया, जो सी. एस. सं. थे। 102 2022 का 106,2022 का 111। 2022 के सी. एस. संख्या 111 में, वादी, श्री एम. षणमुगम ने मांग की पार्टी के खिलाफ और सामान्य परिषद, कार्यकारी समिति, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के खिलाफ भी निषेधात्मक निषेधाज्ञा की राहत, कि वे 23.06.2022 पर आयोजित होने वाली प्रस्तावित सामान्य परिषद की बैठक नहीं बुला सकते हैं। दो अनुप्रयोग, ओ. ए. सं. 327 2022 और 2022 के 328 को भी अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए दायर किया गया था ताकि प्रतिवादियों को 23.06.2022 पर आयोजित होने वाली आम परिषद की बैठक में कोई भी एजेंडा रखने से रोका जा सके। अन्य ओ. ए. अन्य दीवानी मुकदमों में भी दायर किए गए थे, लेकिन संक्षिप्तता के लिए, हम उन पर विस्तार नहीं कर रहे हैं क्योंकि विषय-वस्तु अनिवार्य रूप से वही रहती है।

6.7 . अंतरिम आदेश और निर्देश के लिए प्रार्थना के साथ उपरोक्त आवेदनों पर उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा विचार किया गया था। 22.06.2022 पर अदालत। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कोई भी पारित करने से इनकार कर दिया

अंतरिम आदेश या कोई अंतरिम निर्देश जारी करने के लिए; और 23.06.2022 के लिए निर्धारित आम परिषद की बैठक को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः

हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 13. यह न्यायालय, विद्वान संबंधित वकील को सुनने के बाद और

चालू-पूरे रिकॉर्ड से गुजरते हुए, पता चलता है कि सभी पक्षों के पास है

सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कोई आपत्ति नहीं बताई गई

हालाँकि, 23.06.2022 पर आयोजित होने के लिए, उपस्थित विद्वान वकील

वादी और तीसरे प्रतिवादी/सह-समन्वयक के लिए दृढ़ता से बैठक में किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का विरोध करना।

प्रथम के नियमों और विनियमों के संशोधन के संबंध में

प्रतिवादी/पक्ष, मुख्य रूप से, समन्वयक के पदों को समाप्त करना और

संयुक्त समन्वयक के रूप में यह उनके लिए बहुत बड़ा पूर्वाग्रह पैदा करेगा। कोई नहीं।

पक्षकारों ने अंतरिम अनुदान के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला बनाया है आदेश देते हैं। वास्तव में, वादी आगे आए हैं

उनके आधार पर अंतरिम निर्देश की मांग करने वाले आवेदन आशंका है कि प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं

प्रथम प्रतिवादी के नियमों और विनियमों में संशोधन / पार्टी। यह अदालत, कल्पना नहीं कर सकती कि क्या होने वाला है

23.06.2022 पर आयोजित आम परिषद की बैठक के दौरान स्थान और

अग्रिम रूप से अंतरिम आदेश/निर्देश जारी किए। वास्तव में, यह अच्छी तरह से व्यवस्थित है

आम तौर पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, इसे संघ/पार्टी के लिए खुला छोड़ देते हैं और इसके सदस्यों को प्रस्ताव पारित करने और एक विशेष बाय तैयार करने के लिए

जनरल के सदस्यों के बीच कोई भी निर्णय सामने आता है परिषद, यह उनके सामूहिक ज्ञान और इस न्यायालय के भीतर अच्छी तरह से है

सदस्यों को किसी विशेष तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह है।

सामान्य परिषद और उसके सदस्यों के लिए निर्णय लेना और

पास करें

संकल्प और यह न्यायालय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है

सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करना। इसलिए, यह न्यायालय है

23.06.2022 पर रखा जाना जारी रहेगा। उत्तरदाताओं को 11.07.2022 द्वारा वापस करने योग्य सूचना जारी करें। निजी

नोटिस की भी अनुमति है। 11.07.2022 "पर मामलों को सूचीबद्ध करें।

6.8 . उपरोक्त आदेश दिनांक 22.06.2022 पर सवाल उठाया गया था

2022 की ओ. एस. ए. संख्या 160 में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 2022 की सी. एस. संख्या 111 का विवाद। वादी के मामले पर ध्यान देना

उक्त अंतर-न्यायालय अपील में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ

टी ने इस तरह से निर्देश जारी किए कि सामान्य परिषद की बैठक [2023] 7 एस. सी. आर.

1 23.06.2022 पर चल सकता है लेकिन मसौदा प्रस्ताव में उल्लिखित 23 मदों के अलावा किसी अन्य पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। ई जारी करते समय, खंड पीठ ने अपने दिनांकित 5.2022 के आदेश में निम्नानुसार अवलोकन और निर्देश दियाः -

" 11. चूंकि उत्तरदाता 4 और 5 द्वारा अनुमोदित मसौदा प्रस्ताव में नियम-20 ए 1 से 13,45 और 45 (एस. आई. सी.) के संशोधन के संबंध में कोई मद नहीं है, इसलिए हमारा विचार है कि अपीलार्थी ने अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के अनुदान के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया है। उपरोक्त याचिका में कोई अंतरिम आदेश नहीं देने की स्थिति में, अपीलार्थी और चौथा प्रतिवादी बहुत पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे। इसके अलावा, यदि निषेधाज्ञा का आदेश नहीं दिया जाता है, तो मुकदमे में मांगी गई प्रार्थना बन जाएगी निष्फल। हमारा यह भी विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों को आम परिषद की बैठक आयोजित करने से रोकने के लिए मांगी गई अंतरिम निषेधाज्ञा को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। हालांकि, आम परिषद केवल मसौदा प्रस्ताव में उल्लिखित 23 मदों के संबंध में चर्चा कर सकती है और निर्णय ले सकती है, जिसे उत्तरदाताओं 4 और 5 द्वारा अनुमोदित किया गया है। द.

प्रतिवादी मसौदा प्रस्ताव में उल्लिखित 23 मदों के अलावा कोई निर्णय नहीं लेंगे। सामान्य परिषद में उल्लिखित 23 मदों के अलावा किसी भी अन्य मामले पर चर्चा करने की स्वतंत्रता है।

हालाँकि, मसौदा प्रस्ताव के संबंध में सामान्य परिषद की बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

12.परिणामस्वरूप, हम उत्तरदाता 4 और 5 को <ID2 पर सुबह 10.00 पर आम परिषद की बैठक बुलाने की अनुमति देते हैं और हम सामान्य परिषद को भी 23 वस्तुओं के संबंध में नियमों और उपनियमों के अनुसार चर्चा करने और कोई भी निर्णय लेने की अनुमति देते हैं।

उसी के संबंध में सामान्य परिषद में लिया जाए। उत्तरदाताओं को 1 से 3 तक की सूचना दें जो 19.07.2022 द्वारा वापस की जा सकती है।

7. उपरोक्त आदेश दिनांक 23.06.2022 और उसके बाद हुई आम परिषद की ई-बैठक के बाद जो हुआ, उसने वास्तव में विवादित प्रश्नों और मुद्दों को जन्म दिया है। ओ. पी. एस. और उनके पक्ष में आर. एस. एस. स्टैंडिंग के अनुसार, दिनांक 23.06.2022 की उक्त बैठक में, एक थिरु के. पलानीस्वामी बनाम.

एम. षणमुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

श्री ए. तमिज मगन हुसैन को स्थायी प्रेसीडियम अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया और उन्होंने खुद को इस तरह से सम्मानित किया अध्यक्ष का पद; और उसके बाद, बैठक के दौरान, सामान्य परिषद के सदस्यों में से एक ने मंच से संपर्क किया और चिल्लाया कि जिन 23 प्रस्तावों पर मतदान किया जाना था, वे खारिज हो गए। फिर,

सामान्य परिषद के लगभग 2000 सदस्यों ने कुछ सदस्यों को सौंप दिया।

बैठक के अध्यक्ष को उनके द्वारा हस्ताक्षरित कथित शपथ पत्रों/मांग के रूप में दस्तावेज और साथ ही उनकी पसंद की तारीख पर आम परिषद की अगली बैठक बुलाने की मांग की गई। यह आरोप लगाया जाता है कि उक्त श्री ए. तमिज मगन हुसैन ने पार्टी के उपनियमों का उल्लंघन करते हुए आम परिषद की बैठक की अगली तारीख की घोषणा 11.07.2022 के रूप में की। ओ. पी. एस. का मामला है कि उक्त बैठक में प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या 1 उस प्रस्ताव से भौतिक रूप से अलग था जिसे उन्होंने ईमेल में अनुमोदित किया था। दूसरी ओर, यह ई. पी. एस. और उनके साथ खड़े व्यक्तियों का मामला है कि 2190 सदस्यों द्वारा दी गई उक्त बैठक को पढ़ा गया और प्रेसीडियम के अध्यक्ष को सौंप दिया गया, जिन्होंने उसी बैठक में ओ. पी. एस. और सामान्य परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति में घोषणा की कि एकल नेतृत्व पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए अनुरोध के आधार पर अगली आम परिषद की बैठक उसी स्थान पर 9 बजे आयोजित की जाएगीः 15 ए. एम. इस बैठक की तारीख 23.06.2022 की एक रिपोर्ट 28.06.2022 पर प्रेसीडियम अध्यक्ष की रिपोर्ट के साथ भारत के चुनाव आयोग को भेजी गई थी।

7.1 . उपरोक्त बैठक/कार्यवाही दिनांक 23.06.2022 के बाद, "पार्टी मुख्यालय" द्वारा दिनांकित 01.07.2022 का एक नोटिस जारी किया गया।

11.07.2022 पर आयोजित होने वाली आम परिषद की बैठक के लिए वाहक। ओ. पी. एस. और उनके साथ खड़े व्यक्तियों के पास उक्त सूचना की वैधता और वैधता के संबंध में गंभीर सवाल हैं, अनिवार्य रूप से दो कारणों से; एक कि सामान्य परिषद की ऐसी बैठक बुलाने की शक्ति समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पास थी जो संयुक्त रूप से कार्य कर रहे थे और किसी अन्य के साथ नहीं; और दूसरा, कि यह सूचना निर्धारित बैठक से केवल दस दिन पहले भेजी गई थी, भले ही उपनियमों के लिए न्यूनतम 15 दिनों की सूचना की आवश्यकता हो। 7.2 . दिनांक 01.07.2022 के उक्त नोटिस के मद्देनजर, उक्त श्री एम. षणमुगम (2022 के सीएस नंबर 111 के वादी) ने आवेदन दायर किए।

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष उसके दिनांकित 23.06.2022 आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए। इन आवेदनों के संबंध में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने दिनांक 1 के आदेश में स्पष्ट किया कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.06.2022 का अंतरिम आदेश केवल बैठक से संबंधित था

यह 23.06.2022 पर आयोजित होने वाला था और इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया नहीं जा सका। डिवीजन बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वे निर्धारित बैठक के लिए कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे थे।

11.07.2022 .

8. इस प्रकार, जब दिनांक 3 के आदेश में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 2 की बैठक के संबंध में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, तो अगले दिन यानी 1 पर, दो अन्य दीवानी मुकदमे दायर किए गए, एक ओ. पी. एस. द्वारा और दूसरा श्री पी. वैरामुथु द्वारा। नमाज़ पढ़ने से पहले उक्त दीवानी मुकदमों में किए गए अंतरिम राहत आवेदनों के साथ-साथ घटनाओं की निरंतरता और क्रम को बनाए रखने के लिए, हम इस न्यायालय द्वारा 06.07.2022 पर पारित आदेश पर ध्यान दे सकते हैं।

8.1 . जबकि उपरोक्त नए दीवानी मुकदमों और अंतरिम राहत आवेदनों को उच्च न्यायालय द्वारा लिया जाना था, 2022 के एसएलपी (सी) संख्या 11237 के नेतृत्व में अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करने वाली तीन याचिकाएं, 2022 के ओएसए संख्या 160 में दिनांकित 23.06.2022 को चुनौती देते हुए दायर की गईं, इस न्यायालय के समक्ष 06.07.2022 पर विचार के लिए आईं। प्रस्तुतियों और हुई घटनाओं के साथ-साथ दिनांक 1 की निर्धारित बैठक पर भी ध्यान देने के बाद, इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए, दिनांकित विवादित आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक लगा दी। 23.06.2022 और यह स्पष्ट किया कि आई. डी. 1 के लिए निर्धारित बैठक कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है, जबकि उक्त दीवानी मुकदमों से निपटने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए किसी अन्य अंतरिम राहत के लिए अनुरोध की जांच करने और/या कोई अन्य आदेश पारित करने के लिए भी खुला छोड़ दिया जाता है, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक हो सकता है। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 06.07.2022 आदेश निम्नानुसार हैः -

" डे में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति। सं. 19425

2022 और डी. 2022 का सं. 19419 दिया गया है।

2022 का आई. ए. सं. 89644 आवेदक के इन याचिकाओं से संबंधित दीवानी मुकदमों में पक्षकार नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और कैविएट में संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना।

इन मामलों पर विचार करने की आवश्यकता है। नोटिस जारी करें, जो दो सप्ताह में वापस किया जा सकता है।

हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

श्री पाई अमित और श्री गौतम शिवशंकर ने नोटिस स्वीकार किया

प्रत्यर्थी की ओर से सं। 1 और 2.

इसलिए गैर-प्रतिनिधित्व वाले उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किए जाएं।

दो सप्ताह में वापसी योग्य।

सामान्य प्रक्रिया के अलावा दस्ती सेवा की अनुमति है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और मुकदमे के विषय-वस्तु के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 22.06.2022 के आदेश की सामग्री को भी ध्यान में रखते हुए

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा अंतर-न्यायालय अपीलों से निपटने के लिए पारित मूल पक्ष और दिनांक 23.06.2022 का आदेश उचित माना जाता है और इसलिए आदेश दिया जाता है और निम्नानुसार मनाया जाता हैः -

ए। दिनांकित 23.06.2022 के विवादित आदेश के संचालन और प्रभाव पर रोक रहेगी।

यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यद्यपि दिनांकित बैठक (उपरोक्त आदेशों का विषय) पहले ही हो चुकी है, लेकिन आक्षेपित आदेश के अनुसार और उसमें की गई टिप्पणियों/निर्देशों के अनुसार आगे उठाए गए कदमों/कार्यवाहियों को देखते हुए, और इन याचिकाओं में उठाए गए प्रश्नों को देखते हुए, यह आवश्यक और समीचीन प्रतीत होता है कि विवादित आदेश का संचालन

इस न्यायालय के अगले आदेश तक रोक लगाई जानी चाहिए।

बी। जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 की सामान्य परिषद की बैठक का संबंध है, जो 11.07.2022 पर आयोजित की जानी है, वह कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है और उस संबंध में, किसी भी अंतरिम राहत के अन्य पहलुओं को मूल पक्ष पर दीवानी मुकदमे (ओं) से निपटने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाना चाहिए।

उपयुक्त चरण। डी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय में इन याचिकाओं की लंबितता विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए किसी भी बाधा का कारण नहीं होगी।

किसी अन्य अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की जांच करने और/या कोई अन्य आवश्यक आदेश पारित करने के लिए दीवानी मुकदमे (ओं) से निपटने के लिए, जो भी हो सकता है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक।

प्रतिवादी दो के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर सकते हैं।

सप्ताह।

इन मामलों को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें।

9. अब हम विषय-वस्तु और दो दीवानी मुकदमों की कार्यवाही पर लौट सकते हैं, जो 2022 का सी. एस. संख्या 118 और सी. एस. संख्या 119 हैं।

9.1 . थिरू। ओ. पन्नीरसेल्वम ने अंतरिम राहत के लिए 2022 के ओ. ए.-68 के साथ 2022 का सी. एस. संख्या 118 दाखिल किया।

11.07.2022 पर आर. ए. एल. परिषद की बैठक। 2022 की सी. एस. संख्या में मुख्य प्रार्थनाएँ इस प्रकार हैं: -

" क) ऐसी घोषणा के लिए कि सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक दोनों के संयुक्त प्राधिकरण के बिना, 1 तारीख को या किसी अन्य तारीख को आम परिषद की बैठक बुलाना अवैध है, और प्रथम प्रतिवादी पक्ष के उपनियमों का उल्लंघन है, विशेष रूप से नियम 20 ए (iv) और 20 ए (v) के नियमों और विनियमों का।

एआईएडीएमके पार्टी से।

ख) सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक दोनों के स्पष्ट प्राधिकरण के बिना प्रतिवादी को 11.07.2022 या किसी अन्य तिथि पर आम परिषद की बैठक बुलाने से रोकने के लिए एक स्थायी आदेश के लिए।

9.2 . 2022 की ओ. ए. संख्या 368 में 2022 की उक्त सी. एस. संख्या के साथ दायर प्रार्थना इस प्रकार थी: -

" वाद के निपटारे तक समन्वयक और संयुक्त समन्वयक दोनों के स्पष्ट प्राधिकरण के बिना उत्तरदाताओं को कथित सामान्य परिषद की बैठक बुलाने से रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित करें और ऐसे आगे या अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय समझे

न्याय के हित में उपयुक्त और उचित "।

9.3 . 2022 का सी. एस. संख्या 119 श्री पी. वैरामुथु द्वारा निषेधाज्ञा राहत (2022 का ओ. ए. संख्या 370) के लिए आवेदन के साथ दायर किया गया था। मुख्य बात

2022 के सी. एस. संख्या 119 में आर. एस. इस प्रकार हैं: -

" ए) दोनों कंपनियों के स्पष्ट प्राधिकरण के बिना 11.07.2022 पर या किसी अन्य तिथि पर आम परिषद की बैठक बुलाने से प्रतिवादियों को रोकने के लिए एक स्थायी आदेश के लिए।

संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

ख) प्रतिवादियों या किसी अन्य को रोकने वाले स्थायी निषेधाज्ञा के लिए

आम परिषद बुलाने के लिए पार्टी के अन्य पदाधिकारी

11.07.2022 या किसी अन्य तिथि पर बिना इसके दिए बैठक

सदस्यों को 15 दिनों का नोटिस, जैसा कि इसमें विचार किया गया है।

प्रथम प्रतिवादी पक्ष के नियम "।

9.4 . 2022 के ओ. ए. संख्या 370 में, 2022 के उक्त सी. एस. संख्या 119 के साथ दायर, अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना निम्नलिखित शब्दों में की गई थीः -

" ए. विज्ञापन का आदेश पारित करें-अंतरिम निषेधाज्ञा कथित आम परिषद की बैठक बुलाने से उत्तरदाता

प्रथम उत्तरदाता पक्ष का जो आयोजित होने वाला है

11.07.2022 बैठक की तारीख से 15 दिन पहले नोटिस दिए बिना जारी किए गए 01.07.2022 दिनांकित एक अहस्ताक्षरित नोटिस के आधार पर और पक्ष के उपनियमों का उल्लंघन करते हुए

मुकदमा दायर करें और इस तरह के आगे या अन्य आदेश पारित करें

न्यायालय न्याय के हित में उचित और उचित समझ सकता है।

9.5 . पूर्वगामी के अलावा, यह ध्यान देना भी प्रासंगिक है कि 07.07.2022 पर, एक अन्य अंतरिम राहत आवेदन, जो 2022 का OA नंबर 379 है, 2022 के CS नंबर 119 में दायर किया गया था, जिसमें निम्नलिखित शर्तों में अतिरिक्त अंतरिम राहत की मांग की गई थीः -

" ए. विज्ञापन का आदेश पारित करें-अंतरिम निषेधाज्ञा

प्रत्यर्थियों को उन्मूलन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव पारित करने से सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद के रूप में

5 के कार्यकाल के लिए पार्टी के प्राथमिक सदस्यों द्वारा चुने गए

उप-कानून 20 (ए) II, 20 ए (iii) के अनुसार वर्ष और परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं को प्रस्तावों/निर्णयों को लागू नहीं करने का निर्देश देता है।

मद 3,4,5 से संबंधित, दिनांक 01.07.2022 के नोटिस में उल्लिखित 6,7

कथित आम परिषद की बैठक में, जो आयोजित की जानी है 11.07.2022 वाद के निपटारे तक और ऐसे आगे या अन्य आदेश पारित करें जो यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में उचित और उचित समझे।

10. उक्त दो बाद के मुकदमों के संबंध में दायर उपरोक्त अंतरिम राहत आवेदनों पर विद्वान द्वारा विचार किया गया और निर्णय लिया गया।

09 बजे 11.07.2022 पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीशः 00 ए. एम., सामान्य परिषद की बैठक के निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पृष्ठभूमि के पहलुओं के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर भी ध्यान दिया और आवेदनों को खारिज करने के लिए आगे बढ़े।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

10.1 . इसके बाद, आम परिषद की बैठक आयोजित की गई

. 2022 , जिसमें कुछ संकल्पों को अपनाया गया था जो हड्डी हैं

पक्षों के बीच संबंध। स्वीकृत संकल्पों का सारांश

सी. एस. सं. के वादियों द्वारा पूछताछ की जा रही है। 118 में से

और 2022 का 119, उपयोगी रूप से लिखित नोट से निकाला जा सकता है

उनकी ओर से (पेपर बुक पेज नंबरों को छोड़ते हुए) इस प्रकार हैः

के तहत संयुक्त नेतृत्व की एक प्रणाली से ए. आई. ए. डी. एम. के एकल नेतृत्व के लिए समन्वयक और संयुक्त समन्वयक

महासचिव का पद। अवैध प्रस्ताव भी पारित किए गए थे

ओ. पी. एस. और अन्य प्राथमिक सदस्यों को निष्कासित करने वाली बैठक

पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और ओ. पी. एस. को हटाना

पार्टी के खजांची का पद।

ओ. पी. एस. को प्राथमिक सदस्य के रूप में निष्कासित करना और उन्हें मुक्त करना

पार्टी में समन्वयक के पद से

2 विधायकों सहित 3 अन्य वरिष्ठ नेताओं का निष्कासन

एकल नेतृत्व की ओर लौटना और इसके लिए संशोधन

संबंधित उपनियमाः संकल्प 3 अंतरिम महासचिव के पद का सृजनः

संकल्प 4

महासचिव पद के लिए चुनाव की अधिसूचनाः संकल्प 6

स्वीकृत उपनियमों में संशोधनों का सारांश

उपनियमों के नियम 2 में संशोधन

0

महासचिव के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति के लिए उच्च सीमा शर्तें पेश की गईं। इससे पहले पार्टी का कोई भी सदस्य चुनाव लड़ सकता था

पद के लिए।

11. भले ही उक्त बैठक 11.07.2022 पर हुई थी,

उपरोक्त सी. एस. सं. के वादी। 118 2022 का और 2022 का 119

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 11.07.2022 दिनांकित आदेश।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया, विशेष रूप से जब दिनांक 07.2022 के आदेश में, GH न्यायालय की विवेकाधिकार की शक्तियों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। उक्त याचिकाओं का निर्णय 29.07.2022 पर किया गया था और जबकिइस मामले को समाप्त करते हुए, इस न्यायालय ने यह भी प्रावधान किया कि उच्च न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई तक पक्षकारों द्वारा वर्तमान तिथि के रूप में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कि यथास्थिति आदेश को इस न्यायालय द्वारा मामले के नियमों पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाना था। उक्त आदेश दिनांक 29.07.2022 निम्नानुसार हैः -

" 1. छूट आवेदनों की अनुमति है। 2. पक्षों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को काफी देर तक सुना।

3. रिकॉर्ड से, यह प्रतीत होता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अंतर्निहित विवाद के कुछ पक्षों ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11237,2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.11578 और 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11579 शामिल हैं। इन याचिकाओं को इस न्यायालय के समक्ष 06.07.2022 पर सूचीबद्ध किया गया था, जब इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 1 आयोजित किया जाना है

11.07.2022 .

4. वर्तमान में इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दीवानी मुकदमे दायर किए

चुनौती देते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रतिवादी सं. की सामान्य परिषद की बैठक का आयोजन। 1 दिनांकित 11.07.2022 और में अंतरिम राहत मांगी

लंबित मुकदमे। हालाँकि, विवादित आदेश को देखते हुए, अंतरिम राहतों पर निर्णय लेने के बजाय, ऐसा प्रतीत होता है कि मद्रास उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मांगी गई राहतों पर निर्णय नहीं दिया है। बल्कि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

“ 11. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह न्यायालय प्रतिवादी/प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत दलीलों में काफी बल पाता है। शुरुआत में, यह ध्यान रखना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्ट शब्दों में, यह पाया गया है कि प्रत्यर्थी की सामान्य परिषद की बैठक No.3slated का संबंध है जो 11.07.2022 पर आयोजित की जानी है, वही कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय आवेदकों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तकनीकी रूप से प्रस्तुत की गई व्याख्या करके एक विपरीत निर्णय नहीं ले सकता है, जिसमें कहा गया है कि यदि आवेदक एक प्रथम दृष्टया मामला बनाते हैं कि सामान्य परिषद

बैठक कानून के अनुसार नहीं है, यह न्यायालय बहुत अच्छी तरह से हस्तक्षेप कर सकता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को ओवरराइड कर सकता है और उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों को बैठक बुलाने से रोकने के आदेश पारित कर सकता है। यह न्यायालय विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत तर्क को मजबूत करने में असमर्थ है

प्रतिवादियों/प्रतिवादियों को बैठक बुलाने के लिए, यदि आवेदक के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तावित कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की जाती है, तो आदेश के संरक्षक होने के नाते, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर है कि वह मामले के इस पहलू पर विचार करे न कि इस न्यायालय द्वारा; चौथा, वे सभी आधार जो इस न्यायालय के समक्ष जोरदार रूप से उठाए गए थे। विषय बैठक के संबंध में आवेदकों की ओर से कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं की जा रही है, वास्तव में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के समय बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध थे और यह न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि क्यों आवेदकों ने इसे समीक्षा के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया है और आदेश में संशोधन की मांग की है, इसके बजाय इस न्यायालय को बैठने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की व्याख्या करने के लिए कहा है।

जो निम्नतर और पूर्ववर्ती कानून का पालन करने वाला होने के कारण, यह न्यायालय इस तरह के पाठ्यक्रम पर जाने और इसके विपरीत पारित करने के लिए इच्छुक नहीं है

आदेश "। हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

5. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार लिया है कि, इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 06.07.2022 के आधार पर, वह उचित रूप से निर्णय लेने में असमर्थ है

विषय हैं। हालाँकि, दिनांकित 06.07.2022 आदेश का अवलोकन उच्च न्यायालय की शक्ति या विवेक पर इस तरह के किसी प्रतिबंध का संकेत नहीं देता है।

6. 1 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा वर्तमान विशेष अनुमति याचिकाओं या 2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 11237,2022 की विशेष अनुमति याचिका (सी) No.11578 और विशेष अनुमति याचिका में पारित किसी भी आदेश से प्रभावित हुए बिना, इस मुद्दे को पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेजना उचित होगा।

क्रमशः 2022 की याचिका (सी) संख्या 11579।

7. हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह इस आदेश की एक प्रति के संचार की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त मामलों का शीघ्रता से और अधिमानतः निपटान करे।

8. जब तक उच्च न्यायालय मामलों की सुनवाई करता है, तब तक यथास्थिति बनी रहे

आज पार्टियों द्वारा बनाए रखा जाएगा।

9. इन मामलों से अलग होने से पहले, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह और स्पष्ट किया जाता है कि आज जो यथास्थिति आदेश दिया जा रहा है, उसे मामले के गुण-दोष पर इस न्यायालय द्वारा किसी भी राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। उच्च न्यायालय निम्नलिखित के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर मामलों पर विचार करेगा और निर्णय लेगा -

कानून।

10. विशेष अवकाश याचिकाएँ और सभी लंबित आवेदन

उपरोक्त शर्तों पर निपटाया जाता है।

12. इसके बाद, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने सी. एस. सं. में उक्त अंतरिम राहत आवेदनों पर विचार किया। 118 और 2022 का 119 और अपने आदेश 17.08.2022 द्वारा उसी पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े। इसमें, विद्वान एकल न्यायाधीश ने बिंदुओं को तैयार किया

निम्नलिखित शब्दों में समाप्तिः -

" “ (1) क्या वादी के पास मुकदमे को बनाए रखने का अधिकार है? (2) क्या सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2022 को बुलाने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई गई थी

मुलाक़ात?

(3) जिनके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला और संतुलन सुविधा झूठ? "

12.1 . विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के तथ्यों, पक्ष के उपनियमों के साथ-साथ उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले की भी जांच की।

एस. थिरुनावुक्कारासु और अन्र में एक ही राजनीतिक दल से संबंधित न्यायालय। वी. सेल्वी जे. जयललीता और अन्र। : 1997 (III) सी. टी. सी. 229 और अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि यदि कुछ भी पक्ष के विपरीत किया गया था

संविधान और सदस्यों के अधिकारों को नुकसान पहुँचाने की संभावना थी, सिविल कोर्ट से निवारण की मांग करने के लिए कोई बाधा नहीं थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत केवल बैठक में बुलाए गए विचार-विमर्श के संबंध में लागू होगा।

उपनियमों के अनुसार और यदि बैठक बुलाने की प्रक्रिया स्वयं दोषपूर्ण और कानून के विपरीत थी, तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 के तहत सिविल न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर कोई रोक नहीं थी। इस प्रकार, निर्धारण के लिए पहले बिंदु का उत्तर सकारात्मक में दिया गया था, जबकि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वादी के पास मुकदमे को बनाए रखने का अधिकार था।

12.2 . प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद और पक्ष के उपनियमों के माध्यम से सर्वेक्षण करने के बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश

निर्धारण के लिए दूसरे बिंदु पर अपने निष्कर्ष को निम्नलिखित शब्दों में दर्ज कियाः -

" 75. संक्षेप में कहें तोः - ((i)। सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11/07/2022 पर नहीं हुई थी

सामान्य परिषद बुलाने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा बुलाए गए बैठक होती है।

((ख)। उक्त बैठक 15 दिनों के लिए नहीं बुलाई गई थी।

अग्रिम सूचना।

(iii)। यह तर्क कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक का पद 23.06.2022 के बाद समाप्त हो गया, कल्पना से पैदा होता है। द.

23/06/2022 के बाद इन पदों के खाली होने का दावा करने का कारण निराधार है।

सुविधा के अनुरूप और उल्लंघन को छिपाने के लिए आविष्कार किया गया

((iv)। पार्टी संविधान का नियम-20 (ए) (vii) एक ऐसा प्रावधान है जो समन्वयक के पद की आवश्यकताओं से संबंधित है और संयुक्त समन्वयक की समाप्ति से पहले खाली हो जाता है

केंद्रीय कार्यकारी समिति के नामित पदाधिकारी का कार्यकाल। यह प्रावधान किसी भी तरह से अस्थायी प्रेसीडियम अध्यक्ष को आम परिषद की बैठक बुलाने का अधिकार नहीं देगा।

हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(वी)। नियम 20 का उप-नियम (viii)-संयोजक और संयुक्त समन्वयक के पास बैठक बुलाने की शक्तियां और जिम्मेदारी निहित है।

कार्यकारी समिति और आम परिषद की बैठक,

पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना और संचालन करना।

चुनाव और उपचुनाव-पार्टी संगठन के लिए चुनाव। यदि वे

बैठक बुलाने से इनकार करते हुए, सामान्य परिषद के सदस्यों ने

पार्टी के नियम 19 (vii) के दूसरे अंग का सहारा लेना चाहिए

संविधान। यदि एक वैध अनुरोध कुल के 1/5 वें हिस्से द्वारा किया जाता है

सदस्य, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक इसके लिए बाध्य हैं - नोटिस के 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाना। तारीख

बैठक को 15 दिन पहले लिखित रूप में सूचित किया जाना चाहिए।

इस प्रकार, सामान्य परिषद की बैठक दिनांक 11.07.2022 पर आयोजित नहीं की गई अधिकृत व्यक्ति द्वारा, 15 दिनों के नोटिस से भी कम है

आगे बढ़ें "।

12.3 . इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रश्न पर विचार किया

आई. एम. ए. एफ. ए. सी. मामला और सुविधा का संतुलन और निम्नानुसार आयोजित किया गयाः -

95 प्रतिशत से अधिक सामान्य परिषद के सदस्य, जिन्हें प्राथमिक सदस्यों द्वारा चुना गया था। जिसका, दूसरे शब्दों में मतलब है कि, 95 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक सदस्य थिरू के पीछे हैं। एडप्पादी K.Palaniswami, जिन्हें अब अस्थायी जनरल के रूप में चुना गया है

पर आयोजित आम परिषद की बैठक में पार्टी के सचिव

11.07.2022 . उस बैठक में, जनरल का संचालन करने का संकल्प लिया जाता है

सचिव चुनाव और चुनाव अधिकारी पहले से ही नामित

उक्त उद्देश्य। हालांकि, के अंतरिम आदेश को देखते हुए

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसने पक्षों को बनाए रखने का निर्देश दिया है

यथास्थिति, महासचिव पद के लिए चुनाव प्रक्रिया

आगे नहीं बढ़े। सुविधा का संतुलन पक्ष में है। उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों में से, जो पार्टी चलाना चाहते हैं

लोकतांत्रिक रूप से और निर्वाचित होने वाले प्राथमिक सदस्यों का सामना करें

पार्टी के महासचिव। यदि आदेश की प्रार्थना

मान लिया जाए तो यह उत्तरदाताओं के लिए अपूरणीय क्षति का कारण बनेगा। 77. यह न्यायालय, निषेधाज्ञा के लिए अनुरोध पर विचार करते हुए, बाध्य है

सुविधा और अपूरणीय क्षति। निस्संदेह, यदि निषेधाज्ञा है नहीं दिया, थिरू। एडप्पादी K.Palaniswami, जिन्होंने [2023] 7 एस. सी. आर. का आयोजन किया।

पार्टी संविधान के लिखित प्रावधानों के विपरीत आम परिषद की बैठक अधिक सुविधाजनक स्थिति में होगी, क्योंकि

विवादित बैठक के बाद, वादी/आवेदक और कुछ अन्य लोगों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटा दिया जाता है। वे ऐसा नहीं कर सकते। प्रस्तावित महासचिव चुनाव में भी भाग लें/चुनाव लड़ें।

78. दी गई प्रतियोगिता में सुविधा के संतुलन का परीक्षण प्राथमिक सदस्यों की कुर्सी से किया जाना चाहिए जो पार्टी की नींव हैं न कि नेताओं के दृष्टिकोण से। उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों द्वारा की गई याचिका कि पार्टी के अधिकांश प्राथमिक सदस्यों को लगता है कि दोहरे नेतृत्व से पार्टी के प्रशासन में असुविधा होती है और वे एकल नेतृत्व के लिए रोते हैं, किसी भी मात्रात्मक डेटा पर आधारित नहीं है।

विशेष रूप से, जब एक ही दोहरा नेतृत्व लगभग 4-2 वर्षों तक मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाने में सक्षम था/सफलतापूर्वक विभिन्न अटकलों और लगभग 5 वर्षों तक पार्टी को संयुक्त समन्वयक और समन्वयक के रूप में प्रशासित करने में सफल रहा। इस अवधि के दौरान उन्होंने मिलकर फैसला किया कि

चुनावी गठबंधन, उन्होंने संयुक्त रूप से सभी स्तरों पर आयोजित चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन किया और कई चुनाव लड़े। जबकि, कैसे

अचानक 20.06.2022 और 01.07.2022 के बीच, डेढ़ करोड़ से अधिक कैडर ताकत वाली पार्टी ने 2500 पुराने सामान्य परिषद सदस्यों के माध्यम से मौजूदा व्यवस्था को बदलने का फैसला किया और क्या 2500 सदस्यों के विचार वास्तव में डेढ़ करोड़ प्राथमिक सदस्यों के विचार को दर्शाते हैं, इन प्रश्नों की जांच और परीक्षण की आवश्यकता है। पार्टी के संविधान के अनुसार, संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन यह केवल उचित प्रक्रिया का पालन करके किया जाना चाहिए। यह पार्टी के सदस्यों को नेतृत्व के बारे में निर्णय लेना है और न्यायालय उनके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन यदि प्रक्रिया का पेटेंट उल्लंघन होता है, तो न्यायालय के माध्यम से उपचार लेने पर कोई रोक नहीं है।

79. इस न्यायालय के मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए 11.07.2022 दिनांकित नोटिस

जो बैठक बुलाने के लिए अधिकृत नहीं है, वह शुरू से ही अमान्य है। यदि शून्य बैठक के परिणाम को बने रहने दिया जाता है, तो इससे पार्टी कैडरों को असुविधा होगी, जो अपने नेतृत्व के बारे में अनिश्चित होंगे। टाइप किए गए दस्तावेजों के समूह से, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि इन दोनों के बीच विवाद के कारण हिरू के. पलानीस्वामी बनाम.

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

नेताओं, हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में, पार्टी के लोग

जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने वाले लोग मान्यता प्राप्त चुनाव प्रतीक 'दो पत्ते' प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। चूंकि, वे दोनों चुनाव आयोग से संयुक्त रूप से अनुरोध करने में विफल रहे

उनके पार्टी उम्मीदवारों को आरक्षित प्रतीक का आवंटन, चुनाव आयोग ने आरक्षित प्रतीक आवंटित करने से इनकार कर दिया। जहाँ तक पार्टी के लोगों का संबंध है, यह एक अपूरणीय क्षति है।

12.4 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निपटारा कर दिया

निम्नलिखित शर्तों में अंतरिम राहत आवेदनः

" 80. उपरोक्त कारणों से, मूल आवेदन

2022 के Nos.368,370 और 379 का निपटान किया जाता है,

निम्नलिखित निर्देशः

(i) यथास्थिति का एक पूर्व आदेश होगा।

23.06.2022 .

थिरू। O.Panneerselvam और संयुक्त समन्वयक थिरू। एडप्पादी K.Palaniswami।

((ग) समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के लिए अपने दम पर महाधिवक्ताको बुलाने में कोई बाधा नहीं होगी।

पार्टी के मामलों को तय करने के लिए संयुक्त रूप से परिषद की बैठक एकल को बहाल करने वाले दल के संविधान में संशोधन सहित

नेतृत्व।

((iv) यदि एक उचित प्रतिनिधित्व 1/5 से कम नहीं है

सामान्य परिषद के कुल सदस्यों में से

प्राप्त होने पर, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक ऐसा नहीं करेंगे

आम परिषद की बैठक बुलाने से इनकार करना।

(v) ऐसी मांग पर आम परिषद की बैठक प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर बुलाई जाएगी।

माँग और यह 15 दिनों के अग्रिम नोटिस के बाद आयोजित किया जाएगा।

लिखित रूप में दिया गया। (vi) यदि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की राय है कि किसी भी कारण से आगे का निर्देश

सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक या बैठक आयोजित करने के लिए आयुक्त की सहायता की आवश्यकता, उनके लिए इस न्यायालय से संपर्क करने और आवश्यक राहत प्राप्त करने के लिए खुला है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

81. उपरोक्त निर्देशों के साथ, ये मूल अनुप्रयोग निकाल दिए जाते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

13. उपरोक्त आदेश दिनांक 17.08.2022 पर सवाल उठाया गया।

ई. पी. एस. द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपील, ओ. एस. ए. सं. 227 2022 का एफ 2022 और 2022 का 232। इन तीन अंतर-अदालत अपीलों को उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 02.09.2022 के अपने निर्दिष्ट आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है और अनुमति दी गई है। इस क्रम में प्रासंगिक परिच्छेद 02.09.2022 उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

" 28. जहाँ तक बैठक बुलाने के संबंध में विवाद है आम परिषद की बैठक का संबंध है, आम परिषद बैठक अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी (O.S.A.No.227of 2022 में) द्वारा 23.06.2022 पर बुलाई गई थी। अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी भी 23.06.2022 पर आम परिषद की बैठक में बहुत अधिक उपस्थित थे। दिनांकित 23.06.2022 आदेश के अनुसार C.M.P.No। 2022 का 9962,2022 के O.S.A.No.160 में, यह न्यायालय सामान्य परिषद को 23 मसौदा प्रस्तावों पर निर्णय लेने की अनुमति दी और सदस्यों को अन्य मामलों पर चर्चा करने की भी अनुमति दी गई, हालांकि, उन्होंने 23 मसौदा प्रस्तावों के अलावा कोई भी अंतिम निर्णय लेने से रोक दिया। उक्त बैठक में 2190 सदस्यों ने आम परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए लिखित अनुरोध किया। उक्त के आधार पर पत्र में, यह घोषणा आम परिषद की बैठक में ही की गई थी कि अगली आम परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी 11.07.2022 . यह ध्यान देने योग्य है कि पहला उत्तरदाता बहुत था इस तरह की घोषणा के समय बहुत कुछ मौजूद था। पार्टी के उप-कानून के नियम 19 (vii) के अनुसार, आम परिषद की बैठक हर साल या जब भी सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक इसे आवश्यक समझते हैं, तब बुलाई जानी चाहिए।

बैठक से पहले दिन की सूचना। बैठक I के लिए कोरम सामान्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5 वां हिस्सा होगा। यदि सामान्य परिषद के सदस्यों का पांचवां हिस्सा समन्वयक और संयुक्त समन्वयक से विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध करता है।

सामान्य परिषद की बैठक, उन्हें इस तरह के प्रतिनिधित्व की प्राप्ति पर 30 दिनों के भीतर ऐसा करना चाहिए। तमिल और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में बाय-लॉ के 19 (vii) को निकालना उचित होगा। नियम 19 (vii) इस प्रकार हैः -

भाग VII: - सामान्य परिषद की बैठक वर्ष में एक बार या जब भी इसे हिरू के. पलानीस्वामी द्वारा आवश्यक समझा जाता है, तब बुलाई जाएगी।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सह-संयोजक और संयुक्त सह-समन्वयक को बैठक की तारीख से 15 दिन पहले नोटिस देकर।

बैठक के लिए कोरम कुल संख्या का पांचवां हिस्सा होगा। सामान्य परिषद के सदस्य। यदि सामान्य परिषद के सदस्यों में से पांचवां हिस्सा समन्वयक और संयुक्त समन्वयक से सामान्य परिषद की विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध करता है, तो समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को ऐसी मांग प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करना चाहिए।

संयुक्त सह-समन्वयक। ऐसी बैठक आयोजित करने के लिए नियम 19 (vii) के पहले भाग में बैठक की तारीख से 15 दिन पहले नोटिस देने का प्रावधान है। नियम 19 (vii) में बैठक बुलाने के लिए किसी भी लिखित सूचना का प्रावधान नहीं है। नियम 19 (vii) का दूसरा भाग बैठक के लिए कोरम से संबंधित है, जो सामान्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का पांचवां हिस्सा होगा। सामान्य परिषद के पांचवें हिस्से के सदस्यों के अनुरोध पर विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा ऐसी मांग प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसे बुलाया जाना चाहिए। दूसरे भाग में सामान्य परिषद के सदस्यों को कोई नोटिस देने का प्रावधान नहीं है। सामान्य परिषद की माँगकर्ता की बैठक के लिए, नियम 19 (vii) नियमित सामान्य परिषद के विपरीत किसी भी सूचना का प्रावधान नहीं करता है। बैठक, जिसके लिए 15 दिनों की अग्रिम सूचना की आवश्यकता होती है। बाय-लॉज़ का तमिल संस्करण सदस्यों की माँग के आधार पर एक नियमित आम परिषद की बैठक और एक विशेष आम परिषद की बैठक के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से सीमांकित करता है। बाय-लॉ का तमिल संस्करण नियमित बैठक को संदर्भित करता है और कहता है "मेरपाडी कुट्टथिर्कु 15 नटक्कल मुन अरिविप्पु कुडुक्का"

जबकि माँगकर्ताओं द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है। दोनों बैठकों के लिए, बाय-लॉ लिखित नोटिस जारी करने पर विचार नहीं करता है। यह नोटिस नियम 19 (vii) में उल्लिखित बैठक की है और प्रत्येक सदस्य को नोटिस नहीं है। यह स्पष्ट है कि नोटिस के माध्यम से हो सकता है

प्रकाशन, नोटिस बोर्ड पर चिपकाना, घोषणा आदि। इस मामले में, विशेष आम परिषद की बैठक का नोटिस [2023] 7 एस. सी. आर. द्वारा दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23.06.2022meeting में घोषणा। इसलिए, 23.06.2022 पर घोषणा द्वारा दिया गया नोटिस 11.07.2022 पर विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए एक उचित नोटिस था। जब मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा 12.09.2017 पर आम परिषद की बैठक के लिए नोटिस 28.08.2017 पर जारी किया गया था, तो 11.07.2022 पर विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए 23.06.2022 पर आम परिषद की बैठक में की गई घोषणा को एक उचित सूचना के रूप में माना जा सकता है। "सूचना" शब्द, किसी विशेष तथ्य से संबंधित पक्ष को केवल एक सूचना को दर्शाता है। यह "लिखित सूचना" तक सीमित नहीं हो सकता है और केवल एक पत्र तक सीमित नहीं हो सकता है। एक सूचना कई रूप ले सकती है। यह मानते हुए भी कि नोटिस प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है, यह हमेशा होता है

सामान्य परिषद के सदस्यों के लिए अनुमोदन करने के लिए खुला है, जब तक कि सूचना में अंतर्निहित एक ठोस अधिकार/कार्य है। यह अनुपात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 666 (ऊपर उद्धृत) में दिए गए निर्णय में निर्धारित किया गया है।

29. क्या फ्रेमर ऑफ द बाय-लॉज ने स्पेशल जनरल काउंसिल बुलाने के लिए भी 15 दिनों का नोटिस देने के बारे में सोचा था

सामान्य परिषद के पांचवें हिस्से के सदस्यों के अनुरोध पर बैठक में उन्होंने नियम 19 (vii) के दूसरे भाग के अंत में 15 दिनों का नोटिस देना शामिल किया होगा। पहले भाग में 15 दिनों का नोटिस देने का उल्लेख करने से बाय के निर्माताओं का इरादा स्थापित होगा-कानून केवल नियमित वार्षिक आम परिषद के संबंध में सामान्य परिषद के सदस्यों को नोटिस देना था।

में बुलाई गई आम परिषद की बैठक और उसके लिए

सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक का उदाहरण। चूंकि विशेष आम परिषद की बैठक आम परिषद के सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा रही है, इसलिए विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए सदस्यों को फिर से नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यदि आम परिषद के पांचवें हिस्से के सदस्यों के अनुरोध पर विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए भी फिर से 15 दिनों का नोटिस दिया जाता है, तो यह ऐसी स्थिति की ओर ले जाता है जहां बैठक केवल बुलाई जा सकती है।

16 वें और 30 वें दिन के बीच। 30. मान लीजिए, बैठक का एजेंडा 01.07.2022 पर जारी किया गया था। 23.06.2022 पर ही 11.07.2022 पर एक बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। 2190 जनरल काउंसिल हिरू के. पलानीस्वामी बनाम द्वारा हस्ताक्षरित एक विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

सदस्यों को प्रेसीडियम के अध्यक्ष, सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक को संबोधित किया गया और वही प्रेसीडियम के अध्यक्ष को दिया गया। यह विवादित नहीं हो सकता कि 23.06.2022 पर आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए अनिवार्य रूप से एक प्रेसीडियम अध्यक्ष होना चाहिए। प्रेसीडियम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। इसलिए, 2190 सदस्यों ने सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक के बीच मतभेद होने के कारण प्रेसीडियम के अध्यक्ष को एक विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 11.07.2022 पर अगली आम परिषद की बैठक के संबंध में घोषणा प्रथम प्रतिवादी की उपस्थिति में और लगभग 2500 सदस्यों की उपस्थिति में की गई थी। यह पहले प्रतिवादी का मामला नहीं है कि उन्हें आम परिषद की बैठक में की गई घोषणा के बारे में पता नहीं था

स्थिति। यदि सह-समन्वयक या संयुक्त सह-समन्वयक में से कोई एक आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए सहयोग नहीं कर रहा है, तो इससे ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि कोई आम परिषद की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। 31. (1997) 3 सी. टी. सी. 229 (ऊपर उद्धृत) में दिए गए निर्णय में ए. आई. ए. डी. एम. के. पार्टी से निष्कासित सदस्य अर्थात्। , श्री.

S.Thirunavukkarasu एक आम परिषद की बैठक के लिए बुलाया गया, समानांतर

तत्कालीन महासचिव सेल्वी J.Jayalalithaa द्वारा बुलाई गई बैठक। महासचिव ने इस अदालत का रुख किया

समानांतर बैठक आयोजित करने के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश की मांग की गई और उसे उनके पक्ष में दे दिया गया। इसलिए, उक्त निर्णय के आसपास के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से अलग हैं। इस मामले में, किसी भी सदस्य द्वारा कोई समानांतर बैठक नहीं बुलाई गई थी। इस न्यायालय की माननीय खंड पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात ने [2023] 7 एस. सी. आर. में सूचित किया।

(1997) 3 सी. टी. सी. 229 (ऊपर उद्धृत) को वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता है। यह एक सामान्य नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि यदि नेता बैठक के लिए नहीं बुलाते हैं तो माँगकर्ताओं के पास अदालत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह का बयान अलोकतांत्रिक और अवैध होगा। जब अंतरिम महासचिव वर्ष 2017 में कार्य नहीं कर सके, तो पदाधिकारी प्राप्त अनुरोध के आधार पर 12.09.2018 (sic) पर बैठक बुलाने के लिए आगे आए।

32. यह विवाद में नहीं है कि महासचिव को शक्ति दी गई थी

सामान्य परिषद की बैठक के पटल पर 23.06.2022 पर प्रेसीडियम अध्यक्ष द्वारा बैठक को अवैध नहीं कहा जा सकता है। 33. मान लीजिए, अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी (2022 के O.S.A.No.227 में) द्वारा लिए गए रुख के कारण पार्टी में एक कार्यात्मक गतिरोध है। नियम 5,19 (i) और 19 (viii) बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आम परिषद पार्टी का सर्वोच्च निकाय है।

पार्टी के उपनियमों के अनुसार, कार्यकारी परिषद को नियमों में संशोधन करने या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति नहीं दी गई है। यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो उसे पार्टी की आम परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर नेता नियमों और विनियमों के तहत उन्हें विशेष रूप से प्रदान किए गए निर्णय के अलावा कोई निर्णय या कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें सामान्य परिषद में अनुमोदित किया जाना चाहिए। सामान्य परिषद की सर्वोच्चता इसलिए है क्योंकि यह अंततः उपनियमों के नियम 6 से 14 के संदर्भ में प्राथमिक सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

34. जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सामान्य परिषद में 2665 सदस्य हैं।

सदस्य, जो उपनियमों के नियम 6 से 14 के तहत संगठनात्मक चुनावों के माध्यम से चुने गए थे। निर्वाचित सामान्य परिषद के सदस्य पार्टी के प्राथमिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि आम परिषद पार्टी का सर्वोच्च निकाय है। उपनियमों के नियम 19 (i) और 19 (viii) के अनुसार, जनरल हिरू के. पलानीस्वामी v.

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

परिषद को नीतिगत मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। उपनियमों के नियम 43 के अनुसार, सामान्य परिषद को उपनियमों में संशोधन करने की शक्ति दी गई थी। आम परिषद ने आयोजित किया

11.07.2022 यह उपनियमों के नियम 19 (vii) के तहत अधिग्रहणकर्ताओं की एक विशेष बैठक थी। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, 2190 सदस्यों ने एक विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। 23.06.2022 पर आम परिषद की बैठक में दी गई मांग की घोषणा बैठक के पटल पर की गई, जिसमें सदस्यों को सूचित किया गया कि 11.07.2022 पर एक आम परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। 2190 सदस्यों द्वारा की गई मांग के बाद एक एजेंडा तैयार किया गया, जिस पर 2432 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। यह बैठक 11.07.2022 पर आयोजित की गई थी और बैठक में कुल 2460 सदस्य उपस्थित थे। इसके बाद, 2539 सदस्यों ने आम परिषद की बैठकों में पारित प्रस्तावों का समर्थन करते हुए भारत के चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामे दायर किए। 35. समन्वयक और संयुक्त समन्वयक माँग पर कार्रवाई नहीं कर सके क्योंकि पार्टी में निर्णय लेने में गतिरोध था। अपीलार्थी के अनुसार, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद अनुसमर्थन के अभाव में 23.06.2022 पर समाप्त हो गए थे। यह ध्यान रखना उचित है कि सामान्य परिषद के अन्य सदस्यों का चुनाव समाप्त नहीं होगा क्योंकि उनके चुनाव किसी भी संशोधित उप-कानून पर आधारित नहीं थे। वर्तमान स्थिति, 2017 की स्थिति के समान है। जब संयोजक और संयुक्त संयोजक फोन करने की स्थिति में नहीं थे

12.09.2017 पर आयोजित बैठक के लिए प्रयोग किया गया। 36. आसान संदर्भ के लिए, राजनीतिक दल के अलविदा-कानून इस फैसले के साथ संलग्न हैं।

37. बाय-लॉ में संशोधन केवल इस स्थिति में हो सकते हैं -

उपनियमों के नियम 43 के तहत सामान्य परिषद।

38. ओ. ए. सं. में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार सामान्य परिषद की बैठक 11.07.2022 पर बुलाई गई थी। 368 , 370 और 2022 का 379 और उसके बाद, एस. एल. पी. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश द्वारा। (ग) 2022 की सं. 11237 ने निम्नलिखित रूप में देखा हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

..... बी। जहां तक प्रतिवादी संख्या 3 की सामान्य परिषद की बैठक का संबंध है, जो 11.07.2022 पर आयोजित की जानी है, वह कानून के अनुसार आगे बढ़ सकती है और उस में

इस संबंध में, किसी भी अंतरिम राहत के अन्य पहलुओं को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मूल पक्ष पर दीवानी मुक़दमे के साथ "।

39. अपीलार्थी-सह-समन्वयक ने भारत के चुनाव आयोग को दिनांकित 28.06.2022 का एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया है कि सह के पद

ऑर्डिनेटर और संयुक्त सह-ऑर्डिनेटर का कार्यकाल इस वजह से समाप्त हो गया था कि आई. डी. 1 की कार्यकारी परिषद की बैठक में चुनाव को आई. डी. 2 पर आयोजित आम परिषद की बैठक में अनुमोदित नहीं किया गया था। उक्त पत्र से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी-संयुक्त सह-समन्वयक ने संयुक्त सह-समन्वयक के रूप में बने रहने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। इसलिए उक्त पत्र के बाद पार्टी में कोई संयुक्त-सह-समन्वयक नहीं है। अपीलार्थी को संयुक्त सह-समन्वयक के रूप में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

हमेशा के लिए। जब अपीलार्थी ने संयुक्त-सह-समन्वयक के रूप में बने रहने का अपना अधिकार छोड़ दिया है, तो अपीलार्थी और 2022 के ओ. एस. ए. सं. 227 में प्रथम प्रतिवादी संयुक्त रूप से सामान्य परिषद का संचालन नहीं कर सकते हैं।

नियम 19 (vii) का अनुपालन बेतुका होगा। इन परिस्थितियों में, 11.07.2022 पर विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए 23.06.2022 पर प्रेसीडियम अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई आम परिषद की बैठक उचित है। 40. सामान्य परिषद के 2665 सदस्यों में से 2190 सदस्यों द्वारा बैठक की मांग की गई थी। यह सामान्य परिषद के 80 प्रतिशत से अधिक सदस्यों के लिए है। एकल नेतृत्व के मुद्दे को तय करने के लिए सदस्यों द्वारा मांग की जानी थी। इस अनुरोध को सभी सदस्यों को पढ़ा दिया गया।

जो उपस्थित थे और उनकी मंजूरी के साथ, इसे मंच के सामने बैठक के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। माँगने वाले। इस मांग के बाद 2432 सामान्य परिषद सदस्यों द्वारा एक एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए और अनुरोध किया गया।

इसके बाद, आई. डी. 1 पर हुई बैठक में 2460 सदस्यों ने भाग लिया और 2539 सदस्यों ने भारत के चुनाव आयोग के समक्ष अपने समर्थन की पुष्टि करते हुए शपथ पत्र दायर किए। 11.07.2022 पर आम परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।

हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

41. विद्वान एकल न्यायाधीश, मूल का निपटान करते हुए अनुप्रयोगों ने देखा कि चूंकि अंतर्वेशन है, इसलिए यह केवल एक निर्मित दस्तावेज़ हो सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अनुरोध या कार्यसूची पर हस्ताक्षर करने या बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों में से कोई भी इस न्यायालय के समक्ष यह दावा करते हुए नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा, प्रथम प्रतिवादी-वादियों ने वाद में कोई दावा नहीं किया है कि कोई मांग नहीं थी कि

बैठक में रखा गया। निश्चित रूप से, दलीलों में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि माँग पत्र एक मनगढ़ंत दस्तावेज है या वास्तविक नहीं है। किसी भी अभिवचन या कथन के अभाव में, प्रथम प्रतिवादी (2022 के ओ. एस. ए. संख्या 227 में) का यह तर्क कि 2190 सदस्यों द्वारा दिया गया माँग पत्र वास्तविक नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब 2190 सदस्यों में से किसी ने भी विशेष आम परिषद बुलाने के लिए अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

बैठक, उनके हस्ताक्षर या दस्तावेज़ की सामग्री पर विवाद, उक्त पत्र का तीसरा पक्ष उसी पर सवाल नहीं उठा सकता है। जो व्यक्ति हस्ताक्षर पर विवाद कर सकता है वह केवल वही व्यक्ति हो सकता है

और कोई तीसरा पक्ष नहीं। अनुरोध पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा की गई किसी भी चुनौती के अभाव में, उक्त पत्र को आयोजित नहीं किया जा सकता है।

गढ़े हुए या वास्तविक दस्तावेज़ के रूप में नहीं। यह मानते हुए भी कि 23.06.2022 और 11.07.2022 पर पारित प्रस्ताव अवैध या पार्टियों के अलविदा कानूनों के खिलाफ पाए जाते हैं, यह हमेशा होता है सामान्य परिषद के 1/5 वें सदस्यों के लिए एक विशेष बैठक बुलाने के लिए खुला

आम परिषद की बैठक और उन दो बैठकों में पारित प्रस्ताव को उलट दें। इस मामले में, निर्णय को उलटने के लिए सामान्य परिषद के सदस्यों के पांचवें हिस्से के कहने पर ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। इससे यह स्थापित होगा कि प्रथम उत्तरदाता (2022 के O.S.A.No.227 में) को कोई अपूरणीय क्षति नहीं हुई है।

42. सामान्य परिषद के सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी के प्राथमिक सदस्य और जब आम परिषद के अधिकांश सदस्यों ने मांग की है

11.07.2022 पर विशेष आम परिषद की बैठक बुलाना

और 23.06.2022 और 11.07.2022 पर प्रस्तावों का भी समर्थन किया, सुविधा संतुलन को पहले के पक्ष में नहीं रखा जा सकता है।

उत्तरदाता। इसके विपरीत, सुविधा का संतुलन केवल अपीलार्थी के पक्ष में हो सकता है।

43. प्रथम दृष्टया मामले के संबंध में, (2012) 6 एस. सी. सी. 792 (ऊपर उद्धृत) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि [2023] 7 एस. सी. आर.

यहां तक कि जहां प्रथम दृष्टया मामला प्रथम प्रतिवादी वादी के पक्ष में है, न्यायालय अस्थायी निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर देगा यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से इनकार करने के कारण प्रथम प्रतिवादी को लगी चोट अपूरणीय नहीं थी। (1992) 1 एस. सी. सी. 719 (ऊपर उद्धृत) में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अंतरिम निषेधाज्ञा देते समय या देने से इनकार करते समय, न्यायालय को इसका प्रयोग करना चाहिए।

यदि निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाता है तो पक्षकारों को होने वाली भारी शरारत या चोट की मात्रा का पता लगाने के लिए ठोस न्यायिक विवेकाधिकार और इसकी तुलना उस राशि से करें जो निषेधाज्ञा दिए जाने पर दूसरे पक्ष को होने की संभावना है। यदि प्रतिस्पर्धी संभावनाओं या चोट लगने की संभावनाओं पर विचार करने पर और यदि न्यायालय मानता है कि मुकदमा लंबित है, तो विषय वस्तु को यथास्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए, तो एक निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। इस प्रकार न्यायालय को मंजूरी देने में अपने ठोस न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा या मुकदमा लंबित रहने तक अंतरिम निषेधाज्ञा से राहत देने से इनकार करना।

44. यह निर्देश देने से कि सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक की संयुक्त सहमति के बिना कोई कार्यकारी परिषद की बैठक या सामान्य परिषद की बैठक नहीं होगी, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां समग्र रूप से पक्ष को अपूरणीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी (2022 के O.S.A.No.227 में) द्वारा एक बैठक बुलाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य करने की कोई संभावना नहीं है, एकल नेतृत्व पर चर्चा करने के लिए एक सामान्य परिषद की बैठक से बहुत कम।

यह दिशा केवल उस "कार्यात्मक गतिरोध" को आगे बढ़ाती है जो पार्टी में पहले से मौजूद था।

45. नियम 20ए (ix) के अनुसार, सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह उचित समझे।

महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं, नीतियाँ और तत्काल प्रकृति के कार्यक्रम जो देरी को रोक नहीं सकते हैं और पार्टी की कार्यकारी समिति या आम परिषद की बैठक का इंतजार कर सकते हैं। इस तरह के निर्णयों और कार्यों को अगली आम परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। बैठक होती है। हालांकि, यह सह-समन्वयक और संयुक्त कंपनी के लिए खुला है।

जब परिषद का सत्र नहीं चल रहा हो तो ऐसे तात्कालिक मामलों पर डाक द्वारा सामान्य परिषद के सदस्यों के विचार प्राप्त करने के लिए समन्वयक। इसलिए, भले ही सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक ले

किसी भी निर्णय/कार्रवाई को आम परिषद की बैठक में अनुमोदित किया जाना है।

46. जब 11.07.2022 पर आयोजित विशेष आम परिषद की बैठक को चुनौती देते हुए आवेदन दायर किए गए हैं और जब विद्वान HIRU K. PALANISWAMY v.

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

47. जब प्रेसीडियम के अध्यक्ष ने मांग के आधार पर अगली विशेष आम परिषद की बैठक की तारीख की घोषणा की थी प्रथम प्रतिवादी पर सामान्य परिषद के 2190 सदस्यों द्वारा किया गया-वादी को लिए गए निर्णय को चुनौती देनी चाहिए थी

23.06.2022 पर 11.07.2022 पर एक विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए। हाथ में मामले में, प्रथम प्रतिवादी ने केवल 11.07.2022 पर आयोजित विशेष आम परिषद की बैठक को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया है। जब प्रथम उत्तरदाता ने चुनौती नहीं दी

23.06.2022 पर आयोजित आम परिषद की बैठक में पारित प्रस्ताव, 23.06.2022 पर यथास्थिति का आदेश नहीं दिया जा सकता है। 48. जहाँ तक अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी को निर्देश है

(2022 के आई. डी. 2 में) संयुक्त रूप से कार्यकारी परिषद की बैठक या आम परिषद की बैठक आयोजित करना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी एक साथ कार्य करने में सक्षम नहीं हुए हैं और एक गतिरोध पैदा हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कार्यों को पूरा करना असंभव हो गया है, जिसके आधार पर पार्टी की आम परिषद आई. डी. 1 पर आयोजित की गई थी, जिसमें सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक के पद बनाए गए थे और अपीलकर्ता और प्रथम प्रतिवादी को उक्त पदों के लिए चुना गया था।

49. चूंकि अपीलार्थी-संयुक्त सह-समन्वयक ने भारत के चुनाव आयोग को अपने दिनांकित 28.06.2022 पत्र में कहा है कि समन्वयक के पद के साथ उनका पद समाप्त हो गया था, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, उन्हें उक्त पद पर बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, अकेले प्रथम प्रतिवादी (2022 के O.S.A.No.227 में) ऐसा नहीं कर सकता है।

कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से लें। इन परिस्थितियों में हम उनके द्वारा लिए गए रुख के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं।

अपीलार्थी कि सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक के पद 23.06.2022 पर अनुसमर्थन के अभाव के कारण समाप्त हो गया था। उक्त मुद्दा

लंबित मुकदमे में निर्णय लिया जा सकता है।

50. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकीलों द्वारा दिए गए निर्णयों में निर्धारित अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह से लागू होता है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 2015 के सी. आर. पी. No.22 (ए. पी.) में दिए गए एक अप्रकाशित निर्णय में निर्धारित अनुपात प्रथम प्रतिवादी के मामले में लागू होता है।

51. यद्यपि 1990 में दिए गए निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन प्रथम प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उपबंध (1) एस. सी. सी. 727 (ऊपर उद्धृत) पर भरोसा किया गया है, क्योंकि वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियां भिन्न हैं, उक्त अनुपात नहीं है।

वर्तमान मामले में लागू।

52. ऊपर बताए गए कारणों के लिए, O.A.No में मूल आवेदन में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश। 2022 का 368 में 2022 का सी. एस. No.118 और ओ. ए. सं. में मूल आवेदन। 370 और 2022 का 379 C.S.No में। 2022 के 119 अलग रखे गए हैं। नतीजतन, O.A.Nos में मूल अनुप्रयोग। 368 , 370 और 2022 के 379 को खारिज कर दिया जाता है। उपरोक्त मूल पक्ष अपीलें हैं -

अनुमति दी गई। कोई लागत नहीं। नतीजतन, जुड़े हुए विविध

याचिकाएं बंद कर दी गई हैं।

14. उपरोक्त आदेश दिनांक 02.09.2022 को वादी द्वारा 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 15753 से उत्पन्न अपील में और उक्त अन्य वादी द्वारा 2022 की एसएलपी (सी) संख्या 15705-15706 से उत्पन्न अपील में चुनौती दी गई है। वैरामुथु। इन दोनों याचिकाओं पर इस न्यायालय द्वारा आई. डी. 1 पर विचार किया गया था और उस तारीख को ई. पी. एस. की ओर से पेश विद्वान वकील ने बार में कहा कि इन मामलों की सुनवाई तक, महासचिव का कोई चुनाव नहीं होगा। इस न्यायालय ने इस प्रकार दिए गए बयान को दर्ज किया और प्रत्यर्थियों को तदनुसार निर्देश दिया। 30.09.2022 दिनांकित आदेश इस प्रकार हैः

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" नोटिस जारी करें।

संबंधित विद्वान वकील संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस स्वीकार करता है, इसलिए, उत्तरदाताओं को इसकी आवश्यकता नहीं है अब सेवा करें। सूचना को 21.11.2022 पर वापस करने योग्य बनाया जाए।

2022 की एस. एल. पी. (सी) संख्या 11237 के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

इस बीच, सभी पक्षों को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है

दलीलें।

प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. आर्यमा सुंदरम ने बार में कहा है कि जब तक वर्तमान मामलों की सुनवाई नहीं होती, तब तक महासचिव का कोई चुनाव नहीं होगा। हम बयान दर्ज करते हैं और निर्देश देते हैं तदनुसार उत्तरदाता "।

पक्षकारसभक लेल विद्वान वकील द्वारा तर्कक आग्रह कयल गेल अछि मुदा एहि तथ्यकेँ ध्यानमे राखिकऽ कि एतऽ अपील अनिवार्य रूपसँ अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करबाक मामलासँ संबंधित अछि, एहि निर्णयमे ओहि सम्बन्धमे मात्र प्रासंगिक निवेदन पर विचार करबाक आवश्यकता अछि। 16. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार और श्री गुरु कृष्ण कुमार की विस्तृत और विस्तृत दलीलें सुनी हैं।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. आर्यमा सुंदरम, श्री सी. एस. वैद्यनाथन, श्री मुकुल रोहतगी और श्री अतुल चिताले संबंधित प्रतिद्वंद्वियों की ओर से पेश हुए।

16.1 . आगे बढ़ने से पहले, यह संकेत दिया जा सकता है कि जबकि विस्तृत तर्क 11.01.2023 पर समाप्त किए गए थे और निर्णय [2023] 7 एस. सी. आर. था।

निर्णय लेने का उद्देश्य-सामान्य परिषद द्वारा; और यह कि प्रेसीडियम अध्यक्ष द्वारा उम्मीदवार के बारे में भारत के चुनाव आयोग को सूचित किया जाएगा। उक्त आदेश में पारित किया गया था

विशिष्ट परिस्थितियाँ और तात्कालिकता की आवश्यकताओं को देखना लोकतंत्र के व्यापक हित में भी है, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कि ऐसी व्यवस्था दलों के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना होगी और

किसी भी पक्ष को कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए बिना। 6

6 उक्त आदेश दिनांक 03.02.2023 निम्नानुसार हैः " दिनांक 1 के आदेश में दी गई अनुमति के साथ और उसके अनुसार, हमने 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के संबंध में सीमित उद्देश्य के लिए दलों के लिए विद्वान वकील को सुना है।

हमने इन मामलों में चुनाव लड़ने वाले दलों और भारत के चुनाव आयोग के संबंधित रुख पर ध्यान दिया है।

चूंकि फैसला सुरक्षित है, हम मामलों में शामिल किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर विस्तार से नहीं बताना चाहते हैं। हालाँकि, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा पहले ही की जा चुकी है, जहाँ नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 07.02.2023 है, हमारे विचार में एक व्यावहारिक समाधान/अंतरिम व्यवस्था संबंधित राजनीतिक दल के हित में प्रतीत होती है। आगामी उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार की भागीदारी के साथ लोकतंत्र के व्यापक हित में भी।

इसलिए, चुनाव लड़ने वाले पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की प्रस्तुतियों और जवाबी प्रस्तुतियों के साथ-साथ विद्वानों के प्रस्तावों पर भी ध्यान देने के बाद। भारत के चुनाव आयोग की ओर से पेश वकील, हम इसे उचित समझते हैं

केवल आगामी उपचुनाव के संबंध में और केवल संबंधित पार्टी के उम्मीदवार की भागीदारी के उद्देश्य से अंतरिम व्यवस्था करें।

उपरोक्त के संबंध में, किसी भी पक्ष के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और किसी भी पक्ष को कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए बिना, यह उचित माना जाता है और इसलिए इस प्रकार प्रदान किया जाता हैः (1) पार्टी के उम्मीदवार के चयन के संबंध में प्रस्ताव को विचार के लिए और पार्टी की आम परिषद द्वारा अंतिम निर्णय के लिए रखा जाएगा।

(2) उम्मीदवार के चयन के लिए और समय की बाधाओं को देखते हुए सामान्य परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया के संबंध में, यह भी प्रावधान किया गया है कि इस प्रक्रिया को प्रचलन के माध्यम से विचार के लिए आवश्यक संकल्प रखकर लिया जा सकता है। (3) 98 इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव में पार्टी द्वारा रखे जाने वाले उम्मीदवार के नाम पर पहुंचने के लिए सामान्य परिषद द्वारा निर्णय लेने की इस प्रक्रिया में, जिन व्यक्तियों को कथित रूप से निष्कासित किया गया था, वे थे थिरु के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

17. अपीलार्थियों की ओर से आग्रह की गई प्रासंगिक दलीलें

दिनांकित 02.09.2022 आक्षेपित आदेश के लिए चुनौती को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है इस प्रकार हैः

17.1 . अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है

कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश में इस आशय का निष्कर्ष दर्ज किए बिना हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी कि पारित आदेश मनमाना, मनमौजी, विकृत या निषेधाज्ञा के अनुदान को विनियमित करने वाले कानून के तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत था। इस तरह की अपीलों में एक अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की रूपरेखा को उजागर करते हुए, उन्होंने वांडर लिमिटेड और ए. एन. आर. में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। वी. एंटोक्स इंडिया (पी) लिमिटेड : 1990 मान लीजिए कि एस. सी. सी. 727 यह प्रस्तुत करता है कि अपीलीय न्यायालय पहली बार के न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से, या मनमाने ढंग से या विकृत रूप से किया गया हो या जहां न्यायालय ने तय किए गए निर्णय की अनदेखी की हो।

अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा के अनुदान या अस्वीकृति को विनियमित करने वाले कानून के सिद्धांत। पक्षकार से [अर्थात् एस/श्री ओ. पन्नीरसेल्वम (अपीलार्थी), आर. वैथिलिंगम, जे. सी. डी. प्रभाकर और पी. एच. मनोज पांडियन] और जिसका निष्कासन भी विवाद का विषय है, यह प्रावधान किया गया है कि जहां तक वर्तमान उद्देश्य का संबंध है, ऐसा निष्कासन काम नहीं करेगा।

अर्थात्, 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के आगामी उपचुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए सामान्य परिषद द्वारा निर्णय के उद्देश्य से। दूसरे शब्दों में, उपरोक्त चार व्यक्ति उक्त उपचुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के चयन के इस सीमित उद्देश्य के लिए परिसंचरण प्रक्रिया में अपने वोट रखने के हकदार होंगे।

इस आदेश की प्रति सभी दलों के साथ-साथ भारत के चुनाव आयोग को भी प्रदान की जाए। समग्र परिस्थितियों और ऊपर पारित आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हम निर्वाचन आयोग की तरह दलाली की कोई आवश्यकता नहीं पाते हैं।

इन कार्यवाहियों में भारत और न ही कोई अन्य आदेश आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए, दोनों आवेदनों (अभियोग और निर्देशों के लिए) का निपटारा कर दिया जाता है।

फैसला सुरक्षित रहता है। "[2023] 7 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपीलों में ऐसा कोई मामला नहीं होने के कारण, विद्वान एकल न्यायाधीश के सुविचारित आदेश में हस्तक्षेप करना और उसे उलटना अस्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है।

न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करें लेकिन ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं व्यक्तियों द्वारा बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। दूसरा, आई. डी. 1 का दिनांकित नोटिस पार्टी के उपनियमों के नियम 19 (vii) के तहत निर्धारित 15 दिनों की अवधि की आवश्यकता का पालन नहीं करता है और ए. आई. ए. डी. एम. के. पार्टी की लंबे समय से आम परिषद के सदस्यों को लिखित निमंत्रण जारी करने की प्रथा है।

बैठकों के लिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बैठक में प्रेसीडियम के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा में स्थल आदि जैसे भौतिक विवरणों की कमी थी, जो आधिकारिक पुस्तक "शेकलटन ऑन द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ मीटिंग्स" में निर्धारित कानून के तय किए गए सिद्धांतों के विपरीत है।

1 मेडेलीन कोड्र्स द्वारा संपादित, जॉन पघ-स्मिथ, 13 वां संस्करण। , थॉमसन रॉयटर्स पी। 41 .

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

17.3 . अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि वर्तमान मामलों में सुविधा का संतुलन निषेधाज्ञा देने के पक्ष में रहा है जैसा कि अनुरोध किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सामान्य परिषद में एक कथित बहुमत की तथाकथित इच्छाशक्ति की इच्छा को नहीं दर्शाती है

पार्टी की पूरी प्राथमिक सदस्यता; और उत्तरदाताओं द्वारा यह सुझाव देने के लिए कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि पार्टी के प्राथमिक सदस्य एकल नेतृत्व के शासन में लौटना चाहते हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सुविधा संतुलन के मुद्दे पर वाद में वादी द्वारा स्थापित प्रथम दृष्टया मामले की प्रकृति के आलोक में विचार किया जाना चाहिए, न कि इस तरह के मुद्दे पर, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विवादित आदेश में किया है। कर्नाटक राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय में रिलायंस को एक मार्ग पर रखा गया है। ए. पी. और अन्य की स्थितिः (2000) 9 एस. सी. सी. 572 और सूर्य नाथ सिंह और अन्य मामलों में इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर। वी. एल. आर. एस. और अन्य द्वारा खेडू सिंह (मृत): 1994 (3) एस. सी. सी. 561 को अंतरिम निषेधाज्ञा देते समय सुविधा के उस संतुलन को प्रस्तुत करने के लिए स्थिति के न्याय के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

17.4 . यह भी तर्क दिया गया है कि यदि अंतरिम निषेधाज्ञा को प्रार्थना के अनुसार नहीं दिया जाता है, तो अपूरणीय क्षति होगी

आम परिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों का परिणाम 11.07.2022 पर आयोजित। पार्टी के नेतृत्व संरचना में किए गए अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ यह निष्कासन, प्रभावी रूप से, ओ. पी. एस. को पार्टी के मामलों में भाग लेने से बाहर कर देगा और मुकदमे के अंतिम निर्णय के समय तक, सुरक्षात्मक अंतरिम आदेश के अभाव में पार्टी की संरचना में किए गए परिवर्तन अपरिवर्तनीय होंगे।

17.5 . इसके अलावा, एक विवेकाधीन उपाय के रूप में अंतरिम निषेधाज्ञा के अनुदान के मुद्दे पर, सुविधा का संतुलन और प्रथम दृष्टया मामला,

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, चंदन नगर, पश्चिम बंगाल बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर सहमति व्यक्त की। डनलप इंडिया लिमिटेड और अन्य। : (1985) 1 एस. सी. सी. 260, दलपत कुमार और अन्न। वी. प्रह्लाद सिंह और अन्य। : (1992) 1 एस. सी. सी. 719 और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड बनाम कलकत्ता स्टील कंपनी और अन्य। : (1993) 2 एससीसी 199।

18. दिनांकित 02.09.2022 के उक्त आदेश के समर्थन में उत्तरदाताओं की ओर से आग्रह किए गए विरोध विवाद भी उपयोगी हो सकते हैं।

संक्षेप में इस प्रकार हैः

23] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18.1 . उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि अंतरिम निषेधाज्ञा की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय है

विवेकाधिकार का मामला, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि विचाराधीन आवेदनों में दावा की गई राहतें दिनांक 11.07.2022 की सामान्य परिषद की बैठक के आयोजन के खिलाफ थीं, जो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और इसलिए, राहत व्यावहारिक रूप से निष्फल हो गई हैं। सीमा अरशद जहीर और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय। वी. नगर निगम। ग्रेटर मुंबई और ओआरएस। : (2006) 5 एस. सी. सी. 282 और स्काईलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एस. एल. वासवानी और अन्न। : (2010) 2 एस. सी. सी. 142 पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया गया है कि निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर केवल तभी विचार किया जा सकता है जब उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार एक स्पष्ट त्रुटि या विकृति या प्रकट अन्याय से दूषित हो। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

विशेष रूप से उपनियमों में रखा गया है और यह इस सर्वोच्चता के लिए है कि पार्टी में सदस्यता की शर्त के रूप में, किसी को सामान्य परिषद के निर्णय का पालन करना होगा। के. राजेंद्रन और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए। वी. तमिलनाडु राज्य और अन्यः (1982) 2 एस. सी. सी. 273 में यह प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य परिषद के पास इस पद को बनाने, समाप्त करने और बदलने की भी शक्ति है। 18.3 . विशेष रूप से उपनियमों के नियम 19 (vii) के संदर्भ में यह तर्क दिया गया है कि 01.07.2022 पर भेजा गया नोटिस एक उचित नोटिस होने के योग्य होगा, क्योंकि उपनियम केवल बैठक के नोटिस के बारे में बोलते हैं और सदस्यों को नोटिस नहीं देते हैं; उपनियमों को बैठक बुलाने के लिए लिखित नोटिस की सेवा की आवश्यकता नहीं है; शब्दकोश का अर्थ है

'सूचना' शब्द सूचना है और आवश्यक रूप से इसका अर्थ लिखित सूचना नहीं है; और 15 दिनों का नोटिस केवल आम परिषद की नियमित बैठक के लिए दिया जाना है, न कि विशेष बैठक के लिए। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि उपनियमों के तमिल संस्करण में, नियम 19 (vii) के पहले भाग में 'उपरोक्त' अभिव्यक्ति का उपयोग स्पष्ट रूप से यह दर्शाने के लिए किया गया है कि नियमित बैठक के लिए 15 दिनों का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, न कि थिरु के. पलानीस्वामी v के लिए।

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विशेष या मांग की गई बैठक। यह भी कहा गया है कि नोटिस की औपचारिकता उस कार्रवाई को दूषित नहीं कर सकती है जब पार्टियों को घटना की सूचना दी गई थी, जैसा कि प्रेसीडियम अध्यक्ष द्वारा 23.06.2022 पर घोषित किया गया था। इन दलीलों का समर्थन नीलकंठ सिद्रमप्पा निंगशेट्टी बनाम में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा करके किया गया है। काशीनाथ सोमन्ना

निंगशेट्टी और ओआरएस। : ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 666

18.4 . कार्यात्मक गतिरोध के बारे में, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के अलग-अलग और असंगत विचारों के कारण पक्षकारों के काम न करने के कारण, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने बी. एन. विश्वनाथन और अन्न के मामले में निर्णय पर भरोसा किया है। वी. टिफिन बेराइट्स, एस्बेस्टस एंड पेंट्स लिमिटेड। : (1953) 66 एल. डब्ल्यू. 124, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि शेयरधारकों के सामान्य निकाय के पास बोर्ड के कार्यों को करने की शक्ति थी, जब बोर्ड के लिए अपने कार्यों को करना असंभव था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि कोई निर्वात है और ढांचे के भीतर कुछ किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई तब तक मान्य है जब तक कि यह ढांचे के भीतर अस्वीकार्य न हो। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में प्राप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, एस. थिरुनावुक्कारासु (उपरोक्त) में उक्त निर्णय का कोई उपयोग नहीं है।

क्योंकि उसमें ए. आई. ए. डी. एम. के. के एक निष्कासित सदस्य ने तत्कालीन महासचिव द्वारा बुलाई गई बैठक के समानांतर एक आम परिषद की बैठक बुलाने का प्रयास किया, जबकि वर्तमान मामले में किसी द्वारा भी आम परिषद की कोई समानांतर बैठक नहीं बुलाई गई है।

18.5 . टी. पी. डेवर बनाम में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए इसे आगे प्रस्तुत किया गया है। लॉज विक्टोरिया नंबर 363 एस. सी. बेलगाम और

ओआरएस। : (1964) 1 एस. सी. आर. 1, कि किसी संघ के आंतरिक मामलों या प्रबंधन से संबंधित मामलों में, न्यायालय आम तौर पर हस्तक्षेप करने में धीमा होगा और इन सिद्धांतों के अनुरूप खड़े उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

19. प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 23.06.2022 तक, पार्टी सदस्यों के बीच एकल नेतृत्व की प्रणाली में लौटने की एक फुसफुसाहट भी नहीं थी; पार्टी के कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे थे; और यहां तक कि पंचायत चुनावों के दौरान, संयोजक और संयुक्त समन्वयक दोनों द्वारा संयुक्त रूप से। इसलिए, "कार्यात्मक गतिरोध" का तर्क कपटपूर्ण और गलत है।

19.1 . यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य परिषद [2023] 7 एस. सी. आर. के अनुसार पार्टी के समन्वयक और संयुक्त समन्वयक से श्रेष्ठ नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आई. डी. 1 पर उपनियमो में किए गए संशोधनों के अनुसार, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक का चुनाव पार्टी की पूरी प्राथमिक सदस्यता वाले निर्वाचक मंडल द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से किया जाना है। इसके अलावा, उपनियमों का नियम 45 उन्हें पार्टी के किसी भी नियम और विनियम में ढील देने या बदलाव करने के लिए अधिकृत करता है। इसलिए, यह तर्क कि एक पार्टी का अंग सर्वोच्च है क्योंकि इसके सदस्य अंततः द्वारा चुने जाते हैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पदों पर और भी अधिक लागू होती है।

19.2 . अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि यदि यह माना जाता है कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद समाप्त हो गए हैं

सामान्य परिषद द्वारा आई. डी. 1 के संशोधनों का अनुसमर्थन न किए जाने के कारण आई. डी. 1 के संशोधनों के बाद हुए अन्य पदधारियों के चुनाव भी रद्द कर दिए जाएंगे और किसी भी मामले में,

उपनियमों के नियम 20-ए (vii) के अनुसार भी, अन्य पदाधिकारी, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, के पास जनरल को बुलाने की शक्ति नहीं है। परिषद की बैठक।

20. हमने प्रतिद्वंद्वी की दलीलों पर चिंता से विचार किया है और कानून के संदर्भ में मामले के रिकॉर्ड की जांच की है। लागू होता है।

20.1 . आगे बढ़ने से पहले, इन अपीलों में विचार की चौड़ाई और सीमाओं पर कुछ टिप्पणियां आवश्यक प्रतीत होती हैं। होने के नाते

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 1 के आदेश की ओर ले जाने वाले दीवानी मुकदमों के विषय और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 2 के विवादित आदेश और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में, यह तुरंत किसी भी पक्ष द्वारा प्रश्नगत बैठक में लिए गए प्रस्ताव की सामग्री के संबंध में प्रस्तुतियों के संबंध में देखा जा सकता है, कि दायर किए गए मुकदमों में या अभिवचनों के किसी भी संशोधन के माध्यम से इस तरह की कोई चुनौती नहीं दी गई है; और दिनांक 3 की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों के सार, सामग्री और गुण-दोष से संबंधित किसी भी पहलू में प्रवेश करना व्यावहारिक रूप से दायरे से परे जाना होगा।

सिविल मुकदमों का विषय। दूसरे शब्दों में, दिनांकित 02.09.2022 आदेश के खिलाफ इन अपीलों में निर्धारित किया जाने वाला वास्तविक प्रश्न केवल इस प्रकार होगा

दिनांकित 11.07.2022 बैठक के आयोजन के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना का संबंध है। इस ढांचे और सीमाओं के भीतर, हम इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए प्रतिद्वंद्वी विवादों की जांच कर सकते हैं कि क्या 02.09.2022 दिनांकित विवादित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

21. प्रासंगिक विवादों से निपटने के दौरान, हम उपयोगी हो सकते हैं

इन अपीलों में उद्धृत कुछ निर्णयों पर ध्यान दें ताकि आगामी चर्चा के मापदंडों और रूपरेखाओं को परिभाषित किया जा सके।

21.1 . एस. थिरुनावुक्कारासु (सुप्रा) का मामला है

अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया गया कि इसमें, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने पार्टी-ए. आई. ए. डी. एम. के. के उपनियमों की योजना की व्यापक रूप से व्याख्या की और कहा कि उपनियमों की योजना में माँगकर्ताओं को आम परिषद की बैठक बुलाने की परिकल्पना नहीं की गई है; और यदि महासचिव (अब समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिस्थापित) बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो एकमात्र विकल्प अदालत के हस्तक्षेप की मांग करना है, लेकिन

बैठक उन व्यक्तियों द्वारा नहीं बुलाई जा सकती है जो ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं: -

" 69. पार्टी के नियम 20 (वी) के अनुसार, पार्टी का महासचिव आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए सक्षम है। नियम 19 (viii) किसी और को पार्टी की विशेष आम परिषद की बैठक बुलाने के लिए अधिकृत नहीं करता है। तथ्यों पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि मांग पत्र पोस्ट नहीं किया गया था, यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अन्यथा भी वादी ने नियम 19 (viii) के अनुसार सामान्य परिषद की बैठक बुलाई थी। हमारे पास विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है कि वादी को माँग पत्र नहीं दिया गया था। एक बार जब हम यह विचार लेते हैं कि वादी को माँग पत्र नहीं दिया गया था, तो प्रतिवादी को सामान्य परिषद की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। अन्यथा भी नियम 19 (viii) ने सामान्य के रूप में वादी के मामले में माँग करने वाले सदस्यों द्वारा सामान्य परिषद की बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं किया है।

सचिव बैठक बुलाने में विफल रहे।
70. इस संबंध में, प्रतिवादी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील और भ्रामक आवेदकों के लिए विद्वान वकील ने भरोसा किया

1988 का No.119 का निपटान 20.1.1988 पर 1988 का C.S.No.28 है)। हमारे विचार में यह इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि यदि महासचिव नियम 19 (viii) के तहत बैठक बुलाने में विफल रहता है, तो माँग करने वाले सदस्य एक बैठक बुला सकते हैं। में। उक्त आदेश में न्यायालय ने [2023] 7 एस. सी. आर. द्वारा एक बैठक बुलाने से इनकार कर दिया।

आयुक्त की नियुक्ति। लेकिन एक अवलोकन किया गया कि यदि महासचिव एक बैठक बुलाने से इनकार कर देता है, तो पार्टी की सामान्य परिषद के किसी भी सदस्य के लिए एक बैठक बुलाने और अपनी स्थिति स्थापित करने के बाद कोई भी निर्णय लेने के लिए हमेशा खुला रहता है।

बहुमत। हमारे विचार में आदेश दी गई परिस्थितियों में उस मामले के तथ्यों को नियंत्रित करता है। अन्यथा भी हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि यदि महासचिव नियम के संदर्भ में बैठक बुलाने में विफल रहता है तो माँग करने वाले सदस्य बैठक बुला सकते हैं।

19 (viii)।

71. नियम 20 (v) में विशेष रूप से कहा गया है कि पार्टी के महासचिव के पास कार्यकारी और सामान्य परिषद की बैठक बुलाने की शक्तियां और जिम्मेदारियां होंगी। नियम 19 (viii) महासचिव को जनरल की विशेष बैठक बुलाने के लिए भी बाध्य करता है। ऐसी मांग की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर मांग पर परिषद। नियम 19 (viii) में सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, निकाय द्वारा निर्वाचित सामान्य परिषद के सदस्यों में से एक बैठक की अध्यक्षता करेगा। नियम 23 (ii) में कहा गया है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों में से एक केंद्रीय कार्यकारी समिति और सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसका संचालन करेगा। पार्टी के नियमों में, जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करने का प्रावधान किया जाता है, तो बैठक बुलाने के मामले में नियम 19 (viii) के मामले में भी ऐसा ही प्रावधान किया जा सकता था।

72. प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि नियम 19 (viii) को सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जा सकता है ताकि नियम के उद्देश्य को पूरा किया जा सके; यदि महासचिव बैठक नहीं बुलाता है, तो माँग करने वाले सदस्यों को असहाय नहीं बनाया जा सकता है, और सामान्य रूप से, माँग देने के बाद, वे बैठक करने के हकदार थे, और यदि दिए गए समय के भीतर महासचिव द्वारा नहीं बुलाई गई, तो वे स्वयं ऐसी बैठक बुला सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही महासचिव कई वर्षों के बाद बैठक की तारीख तय करने की मांग प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक बैठक बुलाता है, यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करेगा। इस संबंध में विद्वान वकील ने कहा कि एक बैठक बुलाने को एक बैठक आयोजित करने के रूप में लिया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, आम परिषद की बैठक छह महीने में कम से कम एक बार बुलाई जानी चाहिए।

मामले में हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

महासचिव दिए गए समय के भीतर एक बैठक बुलाता है लेकिन

कुछ वर्षों के बाद बैठक आयोजित करने के लिए समय निर्धारित करना, ऐसी स्थिति में इसे हमेशा अनुचित के रूप में चुनौती दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि नियम का उद्देश्य ही पराजित हो गया है या ऐसे अन्य आधार उपलब्ध हैं। पार्टी के सदस्यों के लिए यह समान रूप से खुला है कि वे यदि चाहें तो नियम में संशोधन करें ताकि इसमें एक विशिष्ट प्रावधान किया जा सके।

ध्यान दें। 73. नियम 19 (vii) में कहा गया है कि आम परिषद की बैठक बैठक की तारीख से 15 दिन पहले नोटिस देकर छह महीने में एक बार आयोजित की जाएगी। लेकिन उन्हीं नियमों के नियम 19 (viii) में कहा गया है कि यदि कोई मांग की जाती है तो महासचिव को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलानी होती है

इस तरह की मांग। यहां तक कि जब नियम स्पष्ट रूप से बनाए गए थे

एक बैठक आयोजित करने के बीच अंतर और अंतर

बैठक बुलाने को ध्यान में रखा गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपील के तहत आदेश के पैराग्राफ 38 से 41 में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए यह विचार रखा है कि एक बैठक बुलाना है

एक बैठक बुलाने के लिए। हम भी इसी बात से सहमत हैं। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, अन्यथा भी वादी ने स्वयं बैठक बुलाई थी बैठक होती है। प्रतिवादी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 19.5.1997 पर निष्कासित कर दिया गया था, प्रथम दृष्टया, उसके पास सामान्य परिषद की बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था।

74. माँग करने वाले सदस्यों को भी कुछ भी नहीं रोक सका

वादी द्वारा अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए बुलाई गई बैठक में भाग लेना, भले ही ऐसी बैठक माँग पर नहीं बुलाई गई थी, क्योंकि वादी के अनुसार ऐसी बैठक बुलाने की कोई माँग नहीं थी। उन परिस्थितियों में जब वादी द्वारा सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए अनुरोध बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ था, प्रतिवादी को 19.5.1997 पर ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है और कौन

बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था, और अकेले महासचिव बैठक बुलाने के लिए सक्षम थे, प्रथम दृष्टया, हमें विद्वानों के निष्कर्ष से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है एकल न्यायाधीश ने कहा कि 3.6.1997 पर आयोजित सामान्य परिषद की बैठक बुलाने में प्रतिवादी की कार्रवाई अनधिकृत और पक्ष के नियमों के खिलाफ थी।

21.2 . वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) में, एक निर्णय जिस पर अपीलार्थियों के वकील ने दृढ़ता से भरोसा किया था, इस न्यायालय ने सिद्धांत [2023] 7 एस. सी. आर. की व्याख्या की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आम तौर पर, अपीलीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा

प्रथम दृष्टांत न्यायालय द्वारा विवेकाधीन है और इसके स्थान पर

विवेकाधिकार उन मामलों को छोड़कर जहां विवेकाधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से या विकृत रूप से या कानून के तय किए गए नियमों के खिलाफ किया गया था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः -

" 9. आम तौर पर, एक अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए प्रार्थना है एक चरण जब द्वारा दावा किए गए कानूनी अधिकार का अस्तित्व

वादी और उसका कथित उल्लंघन विवादित और अनिश्चित दोनों हैं।

और तब तक अनिश्चित रहते हैं जब तक कि वे मुकदमे में स्थापित नहीं हो जाते सबूत। न्यायालय, इस स्तर पर, कुछ अच्छी तरह से तय किए गए मामलों पर कार्य करता है।

अंतर्वर्ती उपचार के इस रूप के प्रशासन के सिद्धांत

जो अस्थायी और विवेकाधीन दोनों है। का उद्देश्य

अंतर्वर्ती निषेधाज्ञा, यह कहा गया है

" ..... वादी को उसके उल्लंघन से चोट से बचाना है

जिन अधिकारों के लिए उसे पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सका

कार्रवाई में वसूली योग्य नुकसान यदि अनिश्चितता थी

मुकदमे में उसके पक्ष में निर्णय लिया गया। इस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता

संबंधित आवश्यकता के विरुद्ध तौला जाना चाहिए

प्रतिवादी को उसके होने से होने वाली चोट से बचाया जाना है

अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने से रोका गया जिसके लिए

उसे पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया जा सका। अदालत को गौर करना चाहिए

एक को दूसरे के खिलाफ जरूरत है और यह निर्धारित करें कि संतुलन कहाँ है

सुविधा का 'झूठ'।

अंतर्वर्ती उपचार का उद्देश्य यथास्थिति बनाए रखना है, पक्षकारों के अधिकार जो प्रथम दृष्टया मामले में उपस्थित हो सकते हैं। द.

अदालत भी, एक प्रतिवादी को वह प्रयोग करने से रोकने में जो वह करता है अपने कानूनी अधिकार पर विचार करता है लेकिन वादी क्या बनना चाहेगा

रोके गए, तराजू में डालते हैं, एक प्रासंगिक विचार के रूप में कि क्या

प्रतिवादी ने अभी तक अपना उद्यम शुरू नहीं किया है या क्या वह

पहले से ही ऐसा कर रहा है जिसमें बाद के मामले पर विचार किया जाता है

उन लोगों से कुछ अलग जो एक मामले में लागू होते हैं जहाँ

प्रतिवादी ने अभी तक अपना उद्यम शुरू नहीं किया है, वे आकर्षित हैं।

*****

*****

*****

14. ..... ऐसी अपीलों में अपीलीय अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी।

जहां विवेकाधिकार दिखाया गया है, उसके अलावा अपना स्वयं का विवेकाधिकार मनमाने ढंग से, या मनमौजी रूप से या विकृत रूप से प्रयोग किया गया है या हिरू के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जहाँ न्यायालय ने कानून विनियमन के तय किए गए सिद्धांतों की उपेक्षा की थी

अंतर्वर्ती निषेधाज्ञाओं का अनुदान या अस्वीकृति। इसके खिलाफ याचिका दायर विवेक के प्रयोग को सिद्धांत रूप में एक अपील कहा जाता है। अपीलीय

न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा यदि उस न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था। अपीलीय न्यायालय आम तौर पर केवल इस आधार पर अपील के तहत विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने मुकदमे के चरण में मामले पर विचार किया होता तो वह एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच जाता। यदि विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है

विचारण न्यायालय द्वारा यथोचित और न्यायिक तरीके से यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होगा, विचारण न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता है। इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद, गजेंद्रगडकर, जे. इन प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड v. पोथन जोसेफ (1960) 3 एस. सी. आर. 713: (एससीआर

721)

" ..... ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन जैसा कि किया गया है

चार्ल्स ओसेनटन एंड में विस्काउंट साइमन द्वारा अवलोकन किया गया

को. वी. झानाटनः 1942 अधिनियम 130. अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश के अपील न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन के बारे में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, और कोई भी कठिनाई जो उत्पन्न होती है वह केवल अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण होती है।

एक व्यक्तिगत मामले में '।

ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय निर्णय इस सिद्धांत को स्थगित नहीं करता है।

21.3 . कर्नाटक राज्य (उपरोक्त) का मामला अनिवार्य रूप से अंतर-राज्यीय जल विवादों से संबंधित है और निर्दिष्ट मार्ग में,

एस ने संकेत दिया कि भले ही सुविधा या असुविधा का संतुलन अन्य आवश्यकता हो, लेकिन निषेधाज्ञा देने के लिए कोई निश्चित नियम या धारणाएं नहीं होनी चाहिए; और राहत प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगी, जिसमें स्थिति का न्याय होगा

एनजी कारक, निम्नलिखित शब्दों में: -

" 168. ..... सामान्य तौर पर, हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निषेधाज्ञा देने के मुद्दे को इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए: कि क्या निषेधाज्ञा से इनकार करने पर, वादी को पक्षों के मामले की ताकत को ध्यान में रखते हुए क्षति का अपूरणीय नुकसान होगा। सुविधा या असुविधा का संतुलन भी एक अन्य बात है।

आवश्यकता है लेकिन [2023] 7 एस. सी. आर. में कोई निश्चित नियम या धारणा नहीं होनी चाहिए।

निषेधाज्ञा देने और राहत देने की बात हमेशा लचीली होती है

प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। द.

स्थिति का न्याय मार्गदर्शक कारक होना चाहिए।

"

9

21.4 . सूर्य नाथ सिंह (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि

निषेधाज्ञा का उच्चारण विवेक का विषय था, उसी पर होना चाहिए

न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून के सिद्धांत; और यह विषय है

अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्पण। इस अदालत ने कहाः -

" 2 ... . यद्यपि निषेधाज्ञा का अनुदान विवेकाधीन है, वही

इसे आगे बढ़ाने के लिए कानून के स्थापित सिद्धांतों पर प्रयोग किया जाना चाहिए न्याय का कारण। यह अपीलीय द्वारा सुधार के अधीन है।

अदालत। "99

21.5 . डनलप इंडिया लिमिटेड (ऊपर) के मामले में, हालांकि एक्सपोज़िंग

सार्वजनिक राजस्व के मामलों पर, इस न्यायालय ने समझाया

निम्नलिखित शब्दों में ईर्ष्या के संतुलन और अपूरणीय क्षति से संबंधित प्रश्नों पर उचित विचार करनाः -

" 5. हम अंतरिम आदेश देने की प्रथा को दोहराते हैं और उसकी निंदा करते हैं जो व्यावहारिक रूप से याचिका में मांगी गई प्रमुख राहत देता है

इससे बेहतर कोई कारण नहीं है कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है,

सुविधा के संतुलन के बारे में चिंतित हुए बिना,

लोक हित और कई अन्य प्रासंगिक विचार।

बेशक, ऐसे मामले हैं जो अंतरिम की मांग करते हैं

न्याय के हित में आदेश दिए जाने चाहिए। जहाँ सकल

कानून का उल्लंघन और अन्याय किए जाते हैं या होने वाले हैं

अपराध किया जाए, यह अदालत का बाध्य कर्तव्य है कि वह हस्तक्षेप करे और

उचित अंतरिम राहत दें। ऐसे मामलों में जहां अंतरिम से इनकार किया जाता है

एक अदालत जनता के खिलाफ अंतरिम राहत देने में उचित हो सकती है। प्राधिकरण। लेकिन चूंकि कानून यह मानता है कि सार्वजनिक प्राधिकरण

प्रशासनिक कारण बनने वाले दूरगामी आयाम या आदेश, भारी असुविधा या जनता के संग्रह को रोकने वाले आदेश

इससे बेहतर कोई कारण नहीं है कि पार्टियों को राजस्व मिला है न्यायालय पक्षपात, असुविधा या हानि का आरोप लगाता है और कि

प्रथम दृष्टया मामला दिखाया गया है। वहाँ हो सकता है और वहाँ नहीं है कठोर और तेज़ नियम। लेकिन विवेक, विवेक और सावधानी हिरू के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बुलाए जाते हैं। प्रथम दृष्टया एक मामले के अस्तित्व के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विचार हैं। सुविधा के संतुलन का सवाल है। अपूरणीय क्षति का सवाल है। जनहित का सवाल है। ऐसे कई हैं।

विचार करने योग्य कारक।

21.6 . दलपत कुमार (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने मंजूरी देने या अस्वीकार करने में न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए सिद्धांतों की व्याख्या की।

निम्नलिखित शब्दों में निषेधाज्ञा का अधिकारः -

" 4. आदेश 39 नियम 1 (सी) में प्रावधान है कि अस्थायी निषेधाज्ञा हो सकती है

बशर्ते कि, किसी वाद में, शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह साबित किया जाता है कि प्रतिवादी वाद में विवाद में किसी संपत्ति के संबंध में वादी को बेदखल करने की धमकी देता है या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाता है, न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे कार्य को रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दे सकता है या वादी को रोकने या बेदखल करने के उद्देश्य से ऐसा अन्य आदेश दे सकता है।

अन्यथा किसी भी संपत्ति के संबंध में वादी को चोट पहुँचाना

मुकदमे में विवाद में, जैसा कि अदालत उचित समझती है, मुकदमे के निपटारे तक या अगले आदेश तक। निषेधाज्ञा एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसे किसी पक्ष को करने या करने से बचने की आवश्यकता होती है

विशेष कार्य। यह भविष्य में संभावित चोट को रोकने के लिए एक वादी को निवारक राहत की प्रकृति में है। दूसरे शब्दों में, अदालत, अंतरिम निषेधाज्ञा देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, मुकदमे के विषय को कुछ समय के लिए यथास्थिति में बनाए रखेगी। यह तय किया गया कानून है कि निषेधाज्ञा देना एक विवेकाधीन राहत है। इसका प्रयोग न्यायालय के इस समाधान के अधीन है कि (1)

मुकदमे में मुकदमा चलाने के लिए एक गंभीर विवादित प्रश्न है और यह कि एक अधिनियम, अदालत के समक्ष तथ्यों पर, उसके होने की संभावना है

वादी/प्रतिवादी द्वारा मांगी गई राहत का हकदार होना; (2) पक्ष को चोट की प्रजातियों से बचाने के लिए अदालत का हस्तक्षेप आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, मुकदमे में कानूनी अधिकार स्थापित होने से पहले अपूरणीय क्षति या क्षति होगी; और (3) कि तुलनात्मक कठिनाई या शरारत या असुविधा जो निषेधाज्ञा को रोकने से होने की संभावना है

इसे देने से इससे अधिक उत्पन्न होने की संभावना होगी।

5. इसलिए, वादी पर यह भार साक्ष्य द्वारा है कि वह शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह बताता है कि उसके पक्ष में "प्रथम दृष्टया मामला" है जिसके लिए मुकदमे में निर्णय की आवश्यकता है। प्रथम दृष्टया अधिकार का अस्तित्व और उसकी संपत्ति के उपभोग का उल्लंघन [2023] 7 एस. सी. आर.

या अधिकार अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के लिए एक शर्त है।

प्रथम दृष्टया मामले को प्रथम दृष्टया शीर्षक के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जिसे मुकदमे में साक्ष्य के आधार पर स्थापित किया जाना है। केवल प्रथम दृष्टया मामला एक महत्वपूर्ण सवाल है, जो ईमानदारी से उठाया जाता है, जिसकी जांच और गुण-दोष पर निर्णय की आवश्यकता होती है। संतुष्टि है कि एक

प्रथम दृष्टया मामला अपने आप में निषेधाज्ञा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यायालय को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि न्यायालय द्वारा गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राहत मांगने वाले पक्ष को "अपूरणीय क्षति" होगी और पक्ष के लिए एक के अलावा कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है।

निषेधाज्ञा प्रदान करें और उसे अनुमानित चोट या विस्थापन के परिणामों से सुरक्षा की आवश्यकता है। हालाँकि, अपरिवर्तनीय चोट का मतलब यह नहीं है कि मरम्मत की कोई भौतिक संभावना नहीं होनी चाहिए। चोट, लेकिन इसका मतलब केवल यह है कि चोट एक भौतिक होनी चाहिए, अर्थात् वह जिसे नुकसान के रूप में पर्याप्त रूप से मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। तीसरी शर्त यह भी है कि "का संतुलन

सुविधा "निषेधाज्ञा देने के पक्ष में होनी चाहिए। निषेधाज्ञा देते समय या देने से इनकार करते समय न्यायालय को यह पता लगाने के लिए ठोस न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए कि यदि निषेधाज्ञा से इनकार किया जाता है तो पक्षकारों को कितनी बड़ी शरारत या चोट लगने की संभावना है और इसकी तुलना उस राशि से करनी चाहिए जो निषेधाज्ञा दिए जाने पर दूसरे पक्ष को होने की संभावना है। यदि प्रतिस्पर्धी संभावनाओं या चोट की संभावना की संभावनाओं को तौलने पर और यदि न्यायालय

यह मानते हुए कि वाद लंबित होने तक, विषय वस्तु को यथास्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए, एक निषेधाज्ञा जारी की जाएगी। इस प्रकार न्यायालय को मंजूरी देने में अपने ठोस न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करना होगा या

मुकदमे के लंबित रहने तक विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा की राहत से इनकार करना।

21.7 . अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, घोषणा और निषेधाज्ञा के अनुदान में न्यायालय के निर्णय पर, यह अभिनिर्धारित किया गया और निर्दिष्ट पैराग्राफ में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः -

" 22. निस्संदेह विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के तहत अधिकारों या स्थिति की घोषणा अदालत के विवेकाधिकार में से एक है। समान रूप से उस अधिनियम के प्रावधान के तहत घोषणा और निषेधाज्ञा की राहत का अनुदान या इनकार विवेकाधीन है। वादी अधिकार के रूप में राहत का दावा नहीं कर सकता। इसे कानून के ठोस सिद्धांतों और प्रत्यर्पण न्याय के अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय स्वयं को अन्याय के साधन या उत्पीड़न के वाहन में परिवर्तित नहीं कर सकता है। अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय, न्यायालय को न्याय और निष्पक्षता के सुव्यवस्थित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

खेल और विवेकाधिकार का प्रयोग न्याय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा क्योंकि न्याय पहचान है और यह नहीं हो सकता है

वैक्यूम में प्रशासित। वाणिज्यिक लेन-देन से संबंधित घोषणा और निषेधाज्ञा का अनुदान बेईमानी और धोखाधड़ी में सहायता करता है। इसके विपरीत, राहत देने से इनकार करने से आम तौर पर व्यावसायिक व्यवहार में स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है, पूंजी के मुक्त प्रवाह की सुविधा मिलती है, समझौतों का शीघ्र अनुपालन होता है, वाणिज्य का निरंतर विकास होता है और सबसे बढ़कर न्यायिक निर्णय की प्रभावशीलता के लिए सम्मान पैदा होता है। घोषणा की राहत देने या देने से इनकार करने से पहले या

निषेधाज्ञा या दोनों न्यायालयों को प्रत्येक मामले में पक्ष और विपक्ष पर विचार करना चाहिए, तथ्यों और परिस्थितियों पर उनके उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए और न्याय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सावधानी के साथ विवेकाधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तथ्य-स्थिति की पृष्ठभूमि से हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि दी गई घोषणा की राहत अन्यायपूर्ण है

और अवैध। इसने पूंजी के मुक्त प्रवाह को बाधित किया, व्यापारिक व्यवसाय के विकास को विफल कर दिया और न्याय के मार्ग को बाधित कर दिया।

21.8 . सीमा अरशद जहीर (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि निषेधाज्ञा देने या अस्वीकार करने का मामला संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप का आह्वान करने का नहीं था, जब तक कि विवेकाधिकार का मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया गया था।जानबूझकर, या विपरीत रूप से या जहां विवादित आदेश कानून के तय किए गए सिद्धांतों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया था। उक्त मामले में, यह न्यायालय कि अपीलीय न्यायालय ने निचली टिप्पणी करते हुए विचारण न्यायालय के निषेधाज्ञा को तेज करने वाले मामले में हस्तक्षेप करना उचित ठहराया थाः -

" 29. इस न्यायालय ने यह भी कहा कि यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, सामान्य रूप से उच्च न्यायालय और निचली अदालत द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा देने के मामले में विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसके स्थान पर अपने

इसके लिए अपना विवेकाधिकार, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार दिया गया है दिखाया गया है कि मनमाने ढंग से, मनमौजी या विकृत रूप से प्रयोग किया गया है

या जहां जांच के तहत न्यायालय का आदेश तय होने की अनदेखी करता है

कानून के सिद्धांत।

30. अदालत के विवेकाधिकार का प्रयोग अस्थायी अनुदान देने के लिए किया जाता है।

निषेधाज्ञा केवल तभी दी जाती है जब वादी द्वारा निम्नलिखित अपेक्षाएँ की जाती हैंः (i) एक प्रथम दृष्टया मामले का अस्तित्व जैसा कि अनुरोध किया गया है, एक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करके वादी के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता है; (ii) जब वादी के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता की तुलना [2023] 7 एस. सी. आर. की आवश्यकता के खिलाफ की जाती है या तौली जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिवादी के अधिकारों का संरक्षण या संभावित उल्लंघन

प्रतिवादी के अधिकार, सुविधा का संतुलन पक्ष में झुकना

यदि अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो वादी को दिया जाता है। इसके अलावा, अस्थायी निषेधाज्ञा एक न्यायसंगत राहत है,

इस तरह की राहत देने के विवेकाधिकार का प्रयोग तभी किया जाएगा जब

वादी का आचरण दोष से मुक्त है और वह अदालत का दरवाजा खटखटाता है

साफ हाथों से।

*****

****

*****

32. जहाँ निचला न्यायालय मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से कार्य करता है या

प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक दस्तावेजों की अनदेखी करके निषेधाज्ञा, हैं कार्रवाई के उदाहरण जिन्हें मनमाना, मनमौजी या मनमौजी कहा जाता है

विकृत। जब हम "कोई सामग्री नहीं" पर कार्य करने का उल्लेख करते हैं (के समान)

" कोई सबूत नहीं है "), हम न केवल उन मामलों का उल्लेख करते हैं जहां कुल है

सामग्री की कमी, लेकिन उन मामलों में भी जहां कोई प्रासंगिकता नहीं है

सामग्री या जहां सामग्री, समग्र रूप से ली गई है, उचित नहीं है

विवेक के अभ्यास का समर्थन करने में सक्षम। इस मामले में

प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए "कोई सामग्री नहीं" थी और इसलिए,

उच्च न्यायालय अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र में, हस्तक्षेप करने में उचित था

मामले में और द्वारा दिए गए अस्थायी निषेधाज्ञा को खाली करना अदालत की सुनवाई।

सात अपीलों में न्यायालय। हम तदनुसार इन एसएलपी को खारिज करते हैं। जैसा कि कोई योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ताओं को 15 दिनों का समय दिया जाता है।

वैकल्पिक व्यवस्था करें। अपने-अपने पक्ष को वहन करने वाले दल

लागत "।

21.9 . स्काईलाइन शिक्षा संस्थान (ऊपर) में, 3-न्यायाधीशों की पीठ

एस कोर्ट ने फिर से समझाया कि निषेधाज्ञा के मामले में, हस्तक्षेप

संविधान का अनुच्छेद 136 सामान्य रूप से तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि

नीचे के रूप में विंगः -

अपीलार्थी की स्वीकार्यता या अन्यथा पर उच्चारण करना उत्तरदाताओं को शब्द का उपयोग करने से रोकने के लिए प्रार्थना

" इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए स्काईलाइन "एच. आई. आर. यू. के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उनके द्वारा स्थापित, हम यह अवलोकन करना आवश्यक मानते हैं कि

अपीलार्थी द्वारा दायर मुकदमा विचाराधीन है और उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे पक्षकारों पर अभी फैसला होना बाकी है, उच्च न्यायालय ने सही माना

और केवल अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना का फैसला किया निर्विवाद तथ्यों और पहले रखी गई सामग्री के आधार पर

विद्वान एकल न्यायाधीश और जब तक कि यह न्यायालय नहीं आता निष्कर्ष निकाला कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार करना एक स्पष्ट त्रुटि या विकृति और प्रकट अन्याय से दूषित हो जाता है

इसके लिए किया गया है, शक्ति के प्रयोग के लिए कोई वारंट नहीं होगा संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत।

*****

*****

*****

पहली बार अनुदान देने या देने से इनकार करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करता है अस्थायी निषेधाज्ञा की राहत और विवेक का उक्त प्रयोग

पहले रखी गई सामग्री के वस्तुनिष्ठ विचार पर आधारित है

इस मामले में अपीलीय न्यायालय के लिए एक अलग गठन करना संभव है प्रथम दृष्टया मामले के मुद्दों पर राय, सुविधा का संतुलन,

अपूरणीय क्षति और समानता "।

21.10 . नीलकंठ सिद्रमप्पा निंगशेट्टी (ऊपर) के मामले में,

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सूचना की औपचारिकता कार्रवाई को अमान्य नहीं कर सकती है जब कलाकारों को घटना की सूचना दी गई थी; और यह कि शब्द सूचना अमान्य नहीं है।

लिखित रूप से संचार का अर्थ है। इस न्यायालय ने टिप्पणी की और

अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसारः -

" 8. उप-मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 14 की धारा (1)

(1940 का अधिनियम 10) मध्यस्थों या अंपायर से नोटिस देने की अपेक्षा करता है।

पुरस्कार बनाने और हस्ताक्षर करने वाले पक्षों को लिखित रूप में।

पुरस्कार के पक्षकारों को पुरस्कार दाखिल करने की सूचना देना। दो उप-धाराओं के प्रावधानों में अंतर

सूचना देने के संबंध में महत्वपूर्ण है और स्पष्ट रूप से इंगित करता है

कि वह नोटिस जो अदालत को दाखिल करने वाले पक्षों को देना है

पुरस्कार की लिखित सूचना की आवश्यकता नहीं है। यह हो सकता है नोटिस

मुँह से दिया जाता है। औपचारिक रूप से नोटिस की सेवा का कोई सवाल ही नहीं नोटिस देने या पार्टी को देने का तरीका [2023] 7 एस. सी. आर. उत्पन्न हो सकता है।

मौखिक रूप से दिए गए नोटिस के मामले में। इस सूचना का संचार कि एक पुरस्कार दायर किया गया है, पुरस्कार दाखिल करने के बारे में संबंधित पक्षों को नोटिस देने के संबंध में धारा 14 की उप-धारा, (2) की आवश्यकताओं का पर्याप्त अनुपालन है। ध्यान दें "आवश्यक रूप से इसका अर्थ" लिखित रूप में संवाद "नहीं है। ऑक्सफोर्ड संक्षिप्त शब्दकोश के अनुसार, नोटिस "का अर्थ है" सूचना, बुद्धिमत्ता, चेतावनी "और इसका अर्थ" सूचना दें, सूचना दें "जैसे अभिव्यक्तियों में है और इसका अर्थ" किसी चीज़ की औपचारिक सूचना, या कुछ करने के निर्देश "भी है और इसका अर्थ" अगली सूचना तक, छोड़ने की सूचना "जैसे अभिव्यक्तियों में ऐसा है। हमारी राय है कि धारा 14 की उप-धारा (2) में "नोटिस देना" अभिव्यक्ति का सीधा सा अर्थ है पुरस्कार दाखिल करने की सूचना देना, जो निश्चित रूप से पक्षों को दी गई थी। 21-2-1948 पर अपने वकीलों के माध्यम से। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 3 के नियम 5 को ध्यान में रखते हुए पक्षकार को नोटिस दिया जाता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी पक्षकार के वकील को दी गई किसी भी प्रक्रिया को विधिवत सूचित और बनाया गया माना जाएगा।

उस पक्ष को जाना जाता है जिसका पक्षकार प्रतिनिधित्व करता है और, जब तक कि अदालत अन्यथा निर्देश नहीं देती है, सभी उद्देश्यों के लिए उतना ही प्रभावी होगा जैसे कि वह पक्ष को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था या उसे पूरा किया गया था।

*****

*****

*****

10. हम "सेवा की तारीख" अभिव्यक्ति का अर्थ लगाने के लिए कोई आधार नहीं देखते हैं।

सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 158 के कॉलम 3 में "सूचना" का अर्थ केवल औपचारिक तरीके से लिखित रूप में दी गई सूचना है। जब विधायिका ने "सूचना" शब्द का उपयोग किया तो यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इसका अर्थ न केवल एक औपचारिक सूचना है, बल्कि एक अनौपचारिक भी है। इसी तरह, इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि किसी सूचना की सेवा में रचनात्मक या

अनौपचारिक सूचना। यदि इसका इरादा "नोटिस" और "सेवा" शब्दों के बाद के अर्थ को बाहर करना होता तो यह स्पष्ट रूप से कहा जाता। यहाँ ऐसा नहीं किया गया है। इसके अलावा, अभिव्यक्ति को इस रूप में समझने के लिए

अर्थात् केवल प्रभावित होने वाले पक्ष को औपचारिक रूप से दिया गया एक लिखित नोटिस ही उस पक्ष के लिए दरवाजा खुला छोड़ देगा, हालांकि उस पुरस्कार को दाखिल करने की पूरी जानकारी के साथ जिसने बाद की कार्यवाही में भाग लिया है, किसी भी समय इस आधार पर आदेश को चुनौती देने के लिए कि उचित सूचना के अभाव में पुरस्कार को दाखिल करने पर आपत्ति करने का उसका अधिकार भी अर्जित नहीं हुआ था। इस तरह का परिणाम पूरी वस्तु को अस्थिर कर देगा जो कि थिरु के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मध्यस्थता की प्रक्रिया एक के त्वरित निर्णय को रेखांकित करती है

पक्षकारों द्वारा चुने गए न्यायाधिकरण द्वारा विवाद।

21.11 . टी. पी. डेवर (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय दिया कि आंतरिक प्रबंधन से संबंधित मामलों में

न्यायालय सामान्यतः निम्नलिखित रूप में अवलोकन करते हुए हस्तक्षेप नहीं करते हैं:

" 8. उपरोक्त चर्चा से निम्नलिखित सिद्धांतों को एकत्र किया जा सकता है। (1) मेसोनिक लॉज का सदस्य लॉज के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और यदि नियमों में निष्कासन का प्रावधान है, तो उसे केवल नियमों द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निष्कासित किया जाएगा। (2) लॉज नियमों के अनुसार सख्ती से कार्य करने के लिए बाध्य है कि क्या

निर्माण के सुव्यवस्थित नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में विशेष नियम अनिवार्य है या निर्देशिका तय की जानी चाहिए।

इस संबंध में। (3) दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है; यह स्पष्ट रूप से ऐसे निकाय के निर्णयों के खिलाफ अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठ सकता है; यह ऐसे निकाय के आदेश को दरकिनार कर सकता है, यदि उक्त निकाय अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य करता है या सद्भावना से कार्य नहीं करता है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में समझाया गया है।

22. उपरोक्त के अलावा, हम अंतरिम राहत देने से संबंधित मामलों के संबंध में उन सिद्धांतों पर भी ध्यान दे सकते हैं, जिनके

भारत संघ और अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा कहा गया और फिर से जोर दिया गया। वी. एम/एस। राज ग्रो इम्पेक्स एलएलपी और अन्य। : 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 429 इस प्रकार हैः -

" 194. विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए सामान्य सिद्धांतों के अलावा, जैसा कि यहां पहले चर्चा की गई है, अंतरिम राहत के मामलों के लिए विशिष्ट कुछ विशेषताओं का विशेष उल्लेख करने की आवश्यकता है। बल्कि यह प्राथमिक बात है कि अंतरिम राहत देने के मामलों में, केवल वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व के बारे में न्यायालय की संतुष्टि पर्याप्त नहीं है। अन्य तत्व, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति की संभावना, खाली औपचारिकता के नहीं हैं और अपनी प्रासंगिकता रखते हैं। और अंतरिम राहत के मामले में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए और एक विशेष पाठ्यक्रम को अपनाते हुए,

न्यायालय को अन्याय के जोखिम पर विचार करने की आवश्यकता है, यदि अंततः मुख्य मामले का निर्णय अंतरिम राहत देने या अस्वीकार करने के समय अपनाए जा रहे पाठ्यक्रम के विपरीत है। हम उपयोगी रूप से चांसरी [2023] 7 एस. सी. आर. के निर्णय में बताए गए प्रासंगिक सिद्धांत का उल्लेख कर सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फिल्म्स रोवर इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम तोप फिल्म बिक्री डी। : (1986) 3 सभी ई. आर. 772 निम्नानुसार हैं:

..... अंतर्वर्ती अनुदान के बारे में प्रमुख दुविधा

निषेधाज्ञा, चाहे निषेधात्मक हो या अनिवार्य, यह है कि

परिभाषा के अनुसार एक जोखिम है कि अदालत "गलत" कर सकती है

निर्णय, एक पक्ष को निषेधाज्ञा देने के अर्थ में जो मुकदमे में अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रहता है (या विफल हो जाएगा यदि वहाँ था

एक परीक्षण) या वैकल्पिक रूप से, एक को निषेधाज्ञा देने में विफल रहने में

पक्षकार जो परीक्षण में सफल होता है (या सफल होगा)। ए मौलिक

इसलिए सिद्धांत यह है कि अदालत को लेना चाहिए

जो भी पाठ्यक्रम कम जोखिम रखता प्रतीत होता है

अन्याय अगर यह "गलत" साबित होना चाहिए

भावना जो मैंने वर्णित की है। दोनों के अनुदान के लिए दिशा-निर्देश

इस प्रकार के अंतर्वर्ती आदेश इस सिद्धांत से प्राप्त होते हैं।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

5. उक्त निर्णय में विभिन्न व्याख्याओं का उल्लेख करते हुए,

अदालत है, दोराब कवासजी वार्डन बनाम के मामले में। कूमी सोराब आर्डेनः (1990) 2 एस. सी. सी. 117 को निम्नानुसार देखा गया: —

" 16. इस प्रकार अंतर्वर्ती अनिवार्य निषेधाज्ञाओं में राहत दी गई है आम तौर पर यथास्थिति बनाए रखने या बहाल करने के लिए दिया जाता है

अंतिम गैर-विवादित स्थिति जो लंबित से पहले थी

अंतिम सुनवाई तक विवाद जब पूरी तरह से राहत मिल सकती है

उन कृत्यों को पूर्ववत करने के लिए या मजबूर करने के लिए जो किए गए हैं

अवैध रूप से किया गया या जो गलत तरीके से किया गया था उसकी बहाली

पार्टी की शिकायत से लिया गया। लेकिन जब से दिया गया है

एक पक्ष के लिए ऐसा निषेधाज्ञा जो विफल हो जाता है या असफल हो जाता है

मुकदमे में अपना अधिकार स्थापित करने से बहुत अन्याय हो सकता है या उस पक्ष को अपूरणीय क्षति जिसके खिलाफ वह था

कुछ दिशानिर्देश। आम तौर पर बताए गए ये दिशानिर्देश हैं: (1) वादी के पास मुकदमे के लिए एक मजबूत मामला है। यानि, यह होगा

एक प्रथम दृष्टया मामले की तुलना में उच्च मानक का जो सामान्य रूप से होता है

निषेधात्मक निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक।

(2) अपूरणीय या गंभीर चोट को रोकना आवश्यक है जो आम तौर पर धन के संदर्भ में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है।

हिरू के. पलानीस्वामी बनाम। एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(3) सुविधा का संतुलन चाहने वाले के पक्ष में है।

ऐसी राहत।

17. अनिवार्य रूप से एक न्यायसंगत राहत होने के नाते अनुदान या इनकार

एक अंतर्वर्ती अनिवार्य निषेधाज्ञा अंततः इसमें निहित होगी

न्यायालय के ठोस न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना है

प्रत्येक मामले में तथ्यों और परिस्थितियों का प्रकाश। हालांकि

कार्रवाई, उन्हें अनुदान या अस्वीकृति के लिए पूर्व शर्त के रूप में लागू करना इस तरह के आदेश न्यायिक प्रक्रिया का एक अच्छा अभ्यास होगा।

विवेक "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

196. उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सरल में से एक

वर्तमान में सीमा स्तर पर दिए जाने वाले प्रश्न

मामला यह था कि क्या आयातक (रिट याचिकाकर्ता) थे

अंतरिम राहत मिलने की स्थिति में अपूरणीय चोट लगने की संभावना

इनकार कर दिया और वे अंततः रिट याचिकाओं में सफल होने वाले थे। ए.

इस प्रश्न के सीधे उत्तर से यह स्पष्ट हो गया होगा कि उनके चोट, यदि बिल्कुल भी होती, तो लाभ की कुछ राशि का नुकसान होता,

जिसे हमेशा मौद्रिक संदर्भ में मापा जा सकता है और, आमतौर पर, इसे अपूरणीय नहीं माना जा सकता है। एक और सरल लेकिन

विचाराधीन अधिसूचनाओं के कारण पीड़ित होने वाले थे अपीलार्थी जो असुविधा झेल रहे थे, उससे कहीं कम

ऑपरेशन के मामले में पीड़ित होना (राष्ट्रीय हित पर अंतिम प्रभाव के साथ)

अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी गई थी और इस तरह, भारत के बाजार

उक्त की अत्यधिक मात्रा के साथ बाढ़ आने दी गई थी

आयातित मटर/दाल "।

23. पार्टी के उपनियमों में निर्दिष्ट प्रावधानों में से कुछ के रूप में

दिनांक 11.07.2022 की प्रश्नगत बैठक से पहले और उससे पहले भीनिन्डमेंट दिनांक 01.12.2021, उपयोगी रूप से नीचे के रूप में निकाला जा सकता हैः

" नियम-5: सदस्यता

***

सदस्यों को अदालती कार्यवाही का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

पार्टी के मामलों के बारे में। यदि पार्टी का कोई सदस्य रिसॉर्ट करता है

पार्टी सह-समन्वयक के खिलाफ किसी भी अदालती कार्यवाही के लिए

और संयुक्त समन्वयक का निर्णय वह नहीं रहेगा

पार्टी के प्राथमिक सदस्य।

इस संबंध में सामान्य परिषद का निर्णय अंतिम होगा। पार्टी मामलों के लिए और केवल उन लोगों के लिए जो इस शर्त का पालन करते हैं

सदस्यता के लिए प्रवेश के पात्र हैं।

वे सभी जो कझगम के सदस्य बन गए हैं

सामान्य परिषद के निर्णय से बाध्य हैं।

***

***

***

ई-18: कार्य और उत्तरदायित्व

उपर्युक्त की जिम्मेदारी और कार्य

विभिन्न स्तरों पर पार्टी इकाइयों के पदाधिकारी होंगे

इस प्रकार हैः अध्यक्षः

वह सामान्य निकाय की अध्यक्षता और संचालन करेंगे और कार्यकारी समिति की बैठकें। उनकी अनुपस्थिति में, बैठक

इसकी अध्यक्षता और संचालन सदस्यों में से एक द्वारा किया जाएगा।

सचिवः

पार्टी इकाई का सचिव इसके लिए जिम्मेदार होगा

संबंधित के निर्णयों का प्रशासन और निष्पादन कार्यकारी समिति। आपात स्थिति में, जहाँ

सचिव कार्यपालिका बुलाने की स्थिति में नहीं है।

समिति की बैठक में, उसे निर्णय लेना चाहिए पंद्रह दिनों के भीतर कार्यकारी समिति द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

उसे लेखा परीक्षा समिति द्वारा आवश्यक कोई भी फाइल प्रस्तुत करनी चाहिए।

जाँच के लिए।

***

***

***

क्या आकस्मिक अनुपस्थिति या पदाधिकारी शून्य होना चाहिए?

पार्टी इकाई में कार्यपालिका द्वारा चुना गया व्यक्ति उत्पन्न होता है।

समिति के सदस्य तदर्थ रूप से कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस आधार पर जब तक व्यवस्था के नियमित पदाधिकारी नहीं चुने जाते

एक महीने के भीतर।

के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

ई-19: केंद्रीय संकट की सामान्य परिषद

ए. आई. ए. डी. एम. के. की सामान्य परिषद में शामिल होंगे - अध्यक्ष, सह-संयोजक और संयुक्त सह-समन्वयक, उप सह-अध्यादेशक, खजांची, मुख्यालय सचिव

पार्टी, केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य, से चुने गए सामान्य परिषद के सदस्य

जिले और अन्य राज्य, लेखा परीक्षा के सदस्य

संसदीय बोर्ड। आम परिषद होगी सभी शक्तियों के साथ पार्टी का सर्वोच्च निकाय

कड़गम।

संघ कड़गमों के सचिव, नगरपालिका नगर कड़गमों और टाउनशिप कड़गमों के सचिव, जिला सचिव, तमिलनाडु में जिला कड़गम आदि के अध्यक्ष, सहायक सचिव और खजांची के साथ-साथ राज्य कड़गमों के सचिव और अन्य राज्यों के राज्य कड़गमों के अध्यक्ष, सहायक सचिव, खजांची इसके सदस्य होंगे।

उनके कार्यालयों के आधार पर सामान्य परिषद।

सामान्य परिषद के सदस्यों को प्रत्येक जिला कड़गम से संबंधित जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या के बराबर संख्या में चुना जाएगा। पांडिचेरी सहित अन्य राज्यों के संबंध में, सामान्य परिषद के सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य में पंजीकृत सदस्यों की कुल संख्या के संदर्भ में समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा निर्धारित की जाएगी।

कज़गम। पार्टी के संयोजक और संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से

केंद्रीय संगठन की सामान्य परिषद के लिए 100 से अधिक सदस्यों को नामित नहीं कर सकते हैं

पार्टी के सदस्य।

केंद्रीय संगठन की सामान्य परिषद

(मुख्यालय) बैठक करेगा और अध्यक्ष का चुनाव करेगा

केंद्रीय आम परिषद की बैठक संगठन की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

एस. सी. आर. में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुपस्थिति में, सामान्य परिषद के सदस्यों में से एक को अस्थायी रूप से बैठक की अध्यक्षता के लिए नामित किया जा सकता है

सामान्य परिषद।

आम परिषद की बैठक एक बार बुलाई जाएगी।

vii)

वर्ष में या जब भी समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा 15 दिनों का नोटिस देकर इसे आवश्यक माना जाता है।

बैठक की तिथि को पहले से निर्धारित करना।

बैठक के लिए कोरम सामान्य परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का एक-पाँचवाँ हिस्सा होगा। यदि सामान्य परिषद के सदस्यों का एक-पाँचवाँ हिस्सा कंपनी से अनुरोध करता है

सामान्य परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए समन्वयक और संयुक्त समन्वयक, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को ऐसी मांग प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर ऐसा करना चाहिए।

viii) सामान्य परिषद को तैयार करने का सर्वोच्च अधिकार होगा।

पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम और उनके लिए

कार्यान्वयन। आम परिषद का निर्णय अंतिम होता है।

और पार्टी के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी।

एक सामान्य परिषद का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। हालांकि,

ix)

कार्यकाल को नई आम परिषद की बैठक बुलाए जाने तक बढ़ाया जाएगा।

नियम-20: सामान्य सचिव

पार्टी के शाश्वत महासचिव और किसी भी व्यक्ति को उस पद के लिए निर्वाचित/नियुक्त/नामित नहीं किया जाएगा। महासचिव का पद समाप्त कर दिया गया है। नियम 20-ए: को-ऑर्डिनेटर और जॉइंट को ऑर्डिनेटर

समन्वयक और संयुक्त समन्वयक प्राथमिक होंगे।

(i)

लगातार पाँच साल तक पार्टी के सदस्य।

संयोजक और संयुक्त संयोजक का चुनाव किया जाएगा।

(ख)

सामान्य परिषद के सदस्यों द्वारा।

सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक उप-समन्वयक के अनुसार चुने जाते हैं।

iii)

नियम (ii) 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

समन्वयक और संयुक्त समन्वयक अपने कर्तव्यों, दायित्वों और कार्यों का निर्वहन/निष्पादन करेंगे और

नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी शक्तियों का संयुक्त रूप से प्रयोग करें।

पार्टी का सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पार्टी के पूरे प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।

सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक केंद्रीय संगठन की कार्यकारी समिति का गठन करेंगे जिसमें सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक, अध्यक्ष, खजांची, मुख्यालय सचिव, जिला सचिव

और मनोनीत सदस्य।

केंद्रीय कार्यकारी समिति के सदस्य,

सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा नामित खजांची और मुख्यालय सचिव सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पद के कार्यकाल के दौरान पद धारण करेंगे। यदि किसी कारण से सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक का पद कार्यकाल समाप्त होने से पहले खाली हो जाता है तो पिछले द्वारा नामित किए गए पदाधिकारी

सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पद धारण करेंगे और नए सह-समन्वयक और संयुक्त सह-समन्वयक के चुने जाने और पद ग्रहण करने तक कार्य करते रहेंगे। पार्टी के सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पास बैठक बुलाने की शक्तियां और जिम्मेदारियां होंगी।

पार्टी द्वारा तय की गई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कार्यकारिणी और आम परिषद की बैठकें आम और कार्यकारी परिषदें, पार्टी संगठनों के लिए चुनाव और उपचुनाव आयोजित करना, लेखा परीक्षा समिति के माध्यम से सभी पार्टी इकाइयों के खातों की जांच करना, स्वयं और खजांची के माध्यम से आय का प्रबंधन करना।

पार्टी कार्यालय, चल और अचल के प्रबंधन के लिए सभी स्तरों पर पार्टी संगठनों का खर्च

पार्टी की संपत्तियाँ, पार्टी की संपत्तियों के संबंध में उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही में पार्टी का प्रतिनिधित्व करना और उनकी सुरक्षा के लिए पार्टी की ओर से आवश्यक कानूनी कदम उठाना।

सह-संयोजक और संयुक्त संयोजक पार्टी सम्मेलनों की अध्यक्षता करेंगे जो सभी प्रकार के अनुशासनात्मक [2023] 7 एस. सी. आर. लेते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

पार्टी इकाइयों और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ पार्टी के नियमों के अनुसार कार्यवाही जो पार्टी के नियमों, विनियमों का उल्लंघन करते हैं या पार्टी के हित, पार्टी अनुशासन, नीतियों और कार्यक्रमों के खिलाफ कार्य करते हैं, जिसमें किसी भी पार्टी इकाई या पदाधिकारी का तत्काल निलंबन शामिल है। सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पार्टी इकाइयों द्वारा अनुशंसित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे और उनके पास पार्टी की नीतियों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए सभी कदम उठाने की सभी शक्तियां होंगी और

कार्यक्रमों का विकास और पार्टी की रक्षा करना

संगठन।

सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को ऐसी कार्रवाई करने का अधिकार है जो वह महत्वपूर्ण मामलों में उचित समझे।

राजनीतिक घटनाएँ, नीतियाँ और तत्काल प्रकृति के कार्यक्रम जो पार्टी की कार्यकारी समिति या आम परिषद की बैठक में देरी नहीं कर सकते/और प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस तरह के निर्णयों और कार्यों को जनरल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

परिषद अपनी अगली बैठक में। हालांकि, यह सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के लिए खुला है कि वे डाक द्वारा ऐसे तत्काल मामलों पर सामान्य परिषद के सदस्यों के विचार प्राप्त करें। जब परिषद का सत्र नहीं चल रहा हो।

सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक को अधिकार दिए गए हैं। ए. आई. ए. डी. एम. के. की निधियों को कानूनी रूप से गठित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में या तो चालू खातों या सावधि जमा में जमा करना; ऐसी निधियों को निकालना और पार्टी की ओर से खातों को संचालित करना। सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक को भी अधिकार प्राप्त हैं -

उपरोक्त से पार्टी उद्देश्यों के लिए ऋण प्राप्त करें

पार्टी की संपत्तियों की सुरक्षा पर और पार्टी के लिए और उसकी ओर से इस संबंध में जो कुछ भी आवश्यक है वह करने के लिए संस्थानों का उल्लेख किया गया है।

सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को अपनी ओर से बैंक खातों को संचालित करने के लिए पार्टी के खजाने को अधिकृत करने की शक्तियां निहित हैं, अर्थात् धन जमा करने या निकालने के लिए, और इस नियम के उप-नियम (x) में उल्लिखित कर्तव्यों के संबंध में भी।

के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

चुनाव अधिकारियों को संबोधित प्राधिकरण प्रपत्र दो पत्तियों के प्रतीक के आवंटन के लिए

ए. आई. ए. डी. एम. के. की ओर से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होंगे केवल सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा हस्ताक्षरित।

सह-समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के पास निहित हैं -

संयुक्त सचिव या उप सचिव नामित करने का अधिकार

सचिव, शाखा इकाइयों की आवश्यकता के मामले में, संघ, नगर, टाउनशिप और जिला इकाइयाँ और अन्य राज्य इकाइयाँ, इसके अलावा

निर्वाचित पदाधिकारी। इसके अलावा, सह-समन्वयक और संयुक्त

समन्वयक को भी नामित करने की शक्तियाँ निहित हैं। पदों पर महिलाएं, क्षतिपूर्ति करने और देय देने के लिए

पार्टी की किसी भी इकाई में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

इस स्तर पर, निर्वाचित महिलाएं एक तिहाई पदों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं।

***

***

***

23 : अध्यक्ष

सामान्य परिषद के सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करेंगे।

पार्टी के केंद्रीय संगठन। सभापति अध्यक्षता करेंगे और कार्यवाही का संचालन करेंगे।

सभाएँ। सभापति की अनुपस्थिति में, एक उपस्थित सदस्य अस्थायी रूप से अध्यक्षता करेंगे और संचालन करेंगे।

बैठकें होती हैं।

***

***

***

ई-25: केंद्रीय कार्यकारी समिति

***

***

केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक छह महीने में एक बार होगी। यदि आवश्यक पाया जाता है, तो ए. आई. ए. डी. एम. के. समन्वयक और संयुक्त

संयोजक किसी भी समय बैठक बुलाते हैं।

साधारण बैठकों के लिए चौदह दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए।

और केंद्र की तत्काल बैठकों के लिए सात दिन का नोटिस

कार्यकारी समिति।

***

***

[2023] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम-42: कार्यकाल

यदि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को लगता है कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार वास्तविक कारण हैं,

सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक के पास शक्ति निहित है

उपर्युक्त नियमों और विनियमों से छूट।

नियम-43: सुधार

सामान्य परिषद के पास व्यवस्था बनाने, संशोधन करने या बनाने की शक्तियां होंगी।

पार्टी संविधान के किसी भी नियम को हटा दें।

***

***

***

नियम-45: सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक को प्राधिकरण।

समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पूरी तरह से अधिकृत हैं।

उपरोक्त नियमों में से किसी में ढील देना या उसमें बदलाव करना।

और पार्टी के नियम "।

23.1 . इनमें से कुछ प्रावधानों को कार्यपालिका द्वारा संशोधित किया गया था।

01.12.2021 पर समिति। इन प्रावधानों को, जैसा कि दिनांक 01.12.2021 के उक्त संशोधन से पहले और बाद में मौजूद था, तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है।

इस प्रकार की शर्तें -

01.12.2021 उपनियमों से पहले के उपनियम

0

1.12.2021

इसके बाद

संशोधन

संशोधन

नियम 20 (ए)-समन्वयक और

नियम 20 (ए)-समन्वयक और संयुक्त

संयुक्त समन्वयक

समन्वयक

उप-नियम (ii)

उप-नियम (ii)

सह-संयोजक और संयुक्त संयुक्त निगम

सह-संयोजक और संयुक्त सह-संस्थापक

द्वारा संयोजक का चुनाव किया जाएगा

द्वारा संयोजक का चुनाव किया जाएगा

सामान्य परिषद के सदस्य।

पार्टी के प्राथमिक सदस्य।

इसके अलावा, समन्वयक और

संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से होगा

प्राथमिक सदस्यों द्वारा निर्वाचित

एकल वोट के माध्यम से पार्टी।

नियम 43-संशोधन

नियम 43-संशोधन

आम परिषद को होगा

आम परिषद को होगा

संरचना, संशोधन या हटाने की शक्तियाँ

किसी को भी तैयार करने, संशोधन करने या

हटाने की शक्तियाँ

पार्टी संविधान के नियम।

पार्टी के किसी भी नियम

संविधान।

लेकिन नियम है कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक का चुनाव किया जाना चाहिए

केवल सभी प्राथमिक सदस्यों द्वारा

पार्टी को बदला नहीं जा सकता या

संशोधित किया गया क्योंकि यह मूल बनाता है
पार्टी की संरचना।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

नियम 45

नियम 45 के लिए प्राधिकरण

के लिए

प्राधिकरण

समन्वयक

संयुक्त समन्वयक और संयुक्त समन्वयक

और

समन्वयक

सह-संयोजक और संयुक्त सह-समन्वयक पूरी तरह से छूट के लिए अधिकृत हैं।

समन्वयक किसी भी छूट के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं या उसमें बदलाव करते हैं या उपरोक्त के किसी भी नियम और विनियम में बदलाव करते हैं।

नियम और

पार्टी। लेकिन नियम है कि समन्वयक

पार्टी के नियम।

और संयुक्त समन्वयक होना चाहिए

केवल सभी प्राथमिक द्वारा चुना गया

आराम या परिवर्तित क्योंकि यह बनाता है पार्टी की बुनियादी संरचना।

24. पिछली घटनाओं का त्वरित पुनर्कथन उपयुक्त होगा। हालांकि, उपनियमों की योजना में, पार्टी में सर्वोच्च पद था

पहले महासचिव को सौंपा गया था, लेकिन 05.12.2016 पर तत्कालीन महासचिव के निधन के बाद, पार्टी संगठन आगे बढ़ गया। विभिन्न परिवर्तनों और अंततः, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक द्वारा संयुक्त नेतृत्व की एक प्रणाली की स्थापना 12.09.2017 पर उपनियमों के संशोधन के माध्यम से की गई थी। प्रमुख चुनाव लड़ने वाले दल-ओ. पी. एस.

और ई. पी. एस.-संयुक्त रूप से, और सर्वसम्मति से, क्रमशः समन्वयक और संयुक्त समन्वयक के उक्त पदों के लिए चुने गए थे और एक के लिए संयुक्त रूप से कार्य किया लंबे समय तक, दिनांक 23.06.2022 की बैठक बुलाने से पहले तक।

हालाँकि, जब उपनियमों के आगे के संशोधनों का प्रस्ताव-अनिवार्य रूप से शीर्ष स्तर पर एकल नेतृत्व की प्रणाली पर लौटने के लिए-दिनांकित सामान्य परिषद की बैठक में सामने आने की संभावना थी

23.06.2022 , यह मुकदमेबाजी का कारण बना। प्रारंभ में, पहले तीन सिविल मुकदमों में, सी. एस. संख्या। 102 2022 का 106,2022 का 106 और 2022 का 111, दिनांकित 23.06.2022 बैठक के आयोजन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थनाएँ थीं

उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया

22.06.2022 कानून के तय किए गए सिद्धांतों के संदर्भ में कि मामले में

किसी संघ/पक्ष के आंतरिक मुद्दों पर, न्यायालय आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं

एसोसिएशन/पार्टी और उसके सदस्यों के लिए आवश्यक प्रस्ताव पारित करने और एक विशेष उपनियम, नियम बनाने के लिए इसे खुला छोड़ते समय हस्तक्षेप करें।

या पार्टी के बेहतर प्रशासन के लिए विनियमन; और यह कि यह उनके सामूहिक विवेक के भीतर अच्छी तरह से मामला है और न्यायालय सदस्यों को एक विशेष तरीके से कार्य करने के लिए जोर नहीं दे सकता है, क्योंकि यह जनरल के लिए था

परिषद और उसके सदस्यों को निर्णय लेने और प्रस्ताव पारित करने के लिए और न्यायालय सामान्य परिषद [2023] 7 एस. सी. आर. के संचालन की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

बैठक होती है। इस आदेश को एक अंतर-अदालत अपील, ओएसए नं.

160 2022 का जिसमें, 23.06.2022 दिनांकित एक आदेश द्वारा, खंड पीठ ने

सामान्य परिषद आगे बढ़ेगी, लेकिन यह प्रावधान करके बाधा डाल दी कि मसौदा प्रस्ताव के 23 मदों को छोड़कर किसी अन्य मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। यह उत्तरदाताओं का मामला है कि उक्त बैठक में, प्रस्तावित कार्यसूची के विषयों पर विचार नहीं किया जा सका और इसलिए, समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को जारी रखने का प्रस्ताव समाप्त हो गया। अपीलार्थी

विभिन्न कारणों को प्रस्तुत करेगा जिनके लिए उक्त बैठक दिनांक 23.06.2022 गलत थी और किसी भी मामले में, प्रेसीडियम

उस बैठक के अध्यक्ष के पास आम परिषद की एक और बैठक बुलाने का कोई अधिकार नहीं था। 06.07.2022 पर, चुनौती की जांच करते हुए डिवीजन बेंच द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.06.2022 के अनुसार

उच्च न्यायालय, इस न्यायालय ने उन घटनाओं पर ध्यान दिया जो हुई थीं और इस तथ्य पर भी कि सामान्य परिषद की अगली बैठक 11.07.2022 पर आयोजित होने वाली थी और इसलिए, नोटिस जारी करते समय,

मामले की परिस्थितियाँ। फिर, हाल ही में की गई प्रार्थनाएँ सिविल सूट, सी. एस. संख्या। 118 2022 की और 2022 की 119 की, दिनांकित 11.07.2022 की बैठक को रोकने के लिए एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था

उच्च न्यायालय ने 11.07.2022 पर, बैठक के निर्धारित समय से ठीक पहले पारित आदेश में। उक्त बैठक दिनांक 11.07.2022 थी,

तदनुसार, निर्धारित समय पर आयोजित किया गया और विभिन्न संकल्प थे

उसमें अपनाया गया लेकिन, उक्त आदेश दिनांक 11.07.2022 के रूप में पारित किया गया

उच्च न्यायालय ने कुछ अंतरिम राहत देने और अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करने पर कि आई. डी. 2 पर यथास्थिति बनी रहे, इसे बनाए रखा जाएगा और कोई कार्यकारी परिषद या सामान्य परिषद नहीं होगी संयोजक और संयुक्त संयोजक की संयुक्त सहमति के बिना बैठक।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

हालाँकि, 17.08.2022 दिनांकित उक्त आदेश को डिवीजन द्वारा दरकिनार कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने विवादित आदेश दिनांक 02.09.2022 द्वारा। द. सवाल यह है कि क्या डिवीजन बेंच द्वारा इस प्रकार आदेश पारित किया गया है

उच्च न्यायालय इस न्यायालय के हस्तक्षेप का आह्वान करता है।

25. यह दिनांकित 17.08.2022 आदेश पर बारीकी से नज़र डालने से स्पष्ट है।

कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इन मामलों में अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुदान अनिवार्य रूप से तीन कारकों पर आधारित थाः सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण

उपनियमों के नियम 19 (vii) के अनुसार 15 दिनों की अग्रिम सूचना प्रदान करके बैठक बुलाई गई। दूसरा, विद्वान एकल न्यायाधीश का था विचार है कि निषेधाज्ञा नहीं देकर, ई. पी. एस., जिन्होंने जनरल को बुलाया

उपनियमों के प्रावधानों के विपरीत, वादी ओ. पी. एस. को कथित रूप से हटाने के लिए परिषद की बैठक अधिक सुविधाजनक स्थिति में होगी।

और पार्टी की सदस्यता से कुछ अन्य और वे प्रस्तावित महासचिव चुनावों में भाग भी नहीं ले सकते थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, सुविधा और अपूरणीय क्षति का संतुलन

दिए गए संदर्भ में संदर्भ के साथ कल्पना करने की आवश्यकता थी पार्टी के प्राथमिक सदस्यों के दृष्टिकोण। तीसरा, विद्वान एकल न्यायाधीश का विचार था कि जब ओ. पी. एस. और ई. पी. एस. ने सफलतापूर्वक

सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक के रूप में संयुक्त रूप से कार्य किया, कैसे पार्टी, डेढ़ करोड़ से अधिक कैडर ताकत के साथ, अचानक मौजूदा व्यवस्था को बदलने का फैसला किया। विद्वान एकल द्वारा जारी अंतिम निषेधाज्ञा

न्यायाधीश 23.06.2022 पर यथास्थिति बहाल करने के लिए थे और इसके अलावा, यह नियुक्त किया गया था कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक

संयुक्त रूप से कार्य करना है, बैठकों को उनकी संयुक्त सहमति से बुलाया जाना है और उचित रूप से अनुरोध किए जाने पर, वे सामान्य परिषद की बैठक बुलाने से इनकार नहीं करेंगे, और वे इसके लिए न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देश।

26. दूसरी ओर, अदालत के भीतर की अपीलों पर विचार करते समय

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार पारित आदेश के विरुद्ध, प्रभाग

उच्च न्यायालय की पीठ ने, सबसे पहले, सामान्य परिषद की बैठक में 23.06.2022 पर हुई घटनाओं पर ध्यान दिया और नोट किया -

तथ्य यह है कि मांग 2190 सदस्यों द्वारा दी गई थी और तथ्य यह भी कि [2023] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि वादी ओ. पी. एस. दिनांकित उक्त बैठक में बहुत अधिक उपस्थित था

11.07.2022 पर आयोजित किया गया। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपने तमिल और अंग्रेजी में अभिलेख और विशेष रूप से नियम 19 (vii) की जांच करने के बाद संस्करणों में, इसके ढांचे पर ध्यान दिया गया जिसके तहत 15 दिनों के नोटिस की आवश्यकता जनरल की नियमित बैठक के लिए संदर्भित प्रतीत होती है

परिषद की बैठक वर्ष में एक बार या जब भी आवश्यक लगे, बुलाई जाएगी।

लेकिन पांचवें सदस्यों द्वारा मांगी गई बैठक के संबंध में नहीं

सामान्य परिषद जहाँ एकमात्र आवश्यकता समन्वयक के लिए है और

संयुक्त समन्वयक को प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी

माँग। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह वादी ओ. पी. एस. का मामला नहीं था कि वे की गई घोषणा के बारे में नहीं जानते थे

में सामान्य परिषद को सौंपे गए शीर्ष पद पर ध्यान दिया सभी निर्णय लेने के लिए उपनियम। फिर भी आगे, डिवीजन बेंच ने लिया

संयुक्त समन्वयक-ई. पी. एस.-जिन्होंने भारत के चुनाव आयोग को एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि पद

सह-संयोजक और संयुक्त सह-संयोजक का चुनाव इस कारण समाप्त हो गया था कि दिनांक 01.12.2021 की कार्यकारी समिति की बैठक में चुनाव हुआ था।

23.06.2022 पर आयोजित आम परिषद की बैठक में इसकी पुष्टि नहीं की गई। द.

डिवीजन बेंच ने कहा कि जब संयुक्त समन्वयक ने हार मान ली थी

इस तरह जारी रखने के लिए उनकी स्थिति में कोई संयुक्त समन्वयक नहीं था

पार्टी।

26.1 . विद्वान एकल न्यायाधीश के संदेहपूर्ण विचारों के संबंध में

डिवीजन बेंच ने बताया कि एक निर्मित दस्तावेज़ के रूप में मांग

कि उन सदस्यों में से कोई भी जिन्होंने अनुरोध पर हस्ताक्षर किए या भाग नहीं लिया

इस तरह के किसी भी दावे के साथ बैठक आगे आई। इसके अलावा, वादी ने शिकायत में कोई दावा नहीं किया कि कोई मांग नहीं की गई थी

बैठक में न ही ऐसा कोई दावा किया गया था कि माँग पत्र था एक मनगढ़ंत दस्तावेज़। डिवीजन बेंच ने आगे कहा कि थिरु के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

भले ही 23.06.2022 और 11.07.2022 पर पारित प्रस्ताव थे अवैध या उपनियमों के खिलाफ पाए जाने पर, सामान्य परिषद के पांचवें हिस्से के सदस्यों के लिए एक विशेष बैठक बुलाना और उसे उलटना हमेशा खुला रहता था

इन दो बैठकों में प्रस्ताव पारित किए गए लेकिन सामान्य परिषद के सदस्यों के एक-पाँचवें हिस्से द्वारा ऐसी कोई मांग नहीं की गई और यह कारक अपूरणीय क्षति के दावे के खिलाफ काम करता है।

26.2 . डिवीजन बेंच ने शासन करने वाले सिद्धांतों का भी उल्लेख किया

अस्थायी निषेधाज्ञा का अनुदान या अस्वीकृति और इंगित किया कि

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा केवल समन्वयक और संयुक्त समन्वयक की संयुक्त सहमति से बैठक बुलाने के लिए दिए गए निर्देश थे

एक ऐसी स्थिति की ओर ले जाना जहां समग्र रूप से पक्ष को अपूरणीय कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अपीलार्थी की कोई संभावना नहीं थी

और प्रतिवादी संख्या 1-ओ. पी. एस. और ई. पी. एस.-बैठक बुलाने के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। डिवीजन बेंच ने बताया कि विद्वानों के निर्देश

एकल न्यायाधीश केवल पार्टी में पहले से मौजूद "कार्यात्मक गतिरोध" को आगे बढ़ाएंगे।

26.3 . हम अन्य सभी टिप्पणियों पर विस्तार से नहीं बता रहे हैं और

उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पहले विस्तार से उद्धृत प्रासंगिक अंशों में की गई टिप्पणियां। इसे देखने के लिए पर्याप्त है

वर्तमान उद्देश्य यह है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 02.09.2022 का आदेश पारित करते हुए स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि कैसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश ठोस न्यायिक सिद्धांतों और उनके द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के खिलाफ था।

विद्वान एकल न्यायाधीश भी मनमानेपन से पीड़ित था

विकृति।

27. हमारे विचार में, की खंड पीठ का तर्क और तर्क

उच्च न्यायालय कानून के साथ-साथ तथ्यों के अनुसार भी खड़ा है

उपस्थित

मामला।

28. अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुतियों का मुख्य प्लैंक

दिनांकित 02.09.2022 आदेश को चुनौती दी गई है कि दिनांकित 11.07.2022 की बैठक बुलाने में अवैधता का सामना करना पड़ा क्योंकि

बैठक किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा नहीं बुलाई गई थी और 15 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथम दृष्टया मामले का निर्णय लेते समय यही तर्क अपनाया गया था वादी। उक्त तर्क और इसी तरह के तर्क गलत हैं और इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

संयोजक आ संयुक्त संयोजक द्वारा संयुक्त रूपसँ आहूत। वे उस चरण तक मिलकर काम कर रहे थे। हालाँकि, ऐसा लगता है कि वे इसके तुरंत बाद अलग हो गए, विशेष रूप से जब एक प्रस्ताव के लिए उपनियमों में संशोधन और एकल नेतृत्व की प्रणाली में वापसी

दिनांक 23.06.2022, उस बैठक में जो कुछ भी हुआ था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। यह निर्विवाद है कि वादी ओ. पी. एस. और व्यक्ति उक्त बैठक में उनके साथ खड़े भी बहुत उपस्थित थे। कहा जाता है कि सामान्य परिषद में 2665 सदस्य होते हैं। यदि इन 2665 सदस्यों में से 2190 सदस्यों ने सामान्य परिषद की बैठक बुलाने के लिए 23.06.2022 पर अनुरोध किया और प्रेसीडियम के अध्यक्ष ने

इस मांग की गई बैठक की तारीख 11.07.2022 के रूप में घोषित की गई,

उस समय, जब समन्वयक और संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से काम नहीं कर रहे थे (किसी भी कारण से), पार्टी के लिए एक कार्यात्मक गतिरोध अस्तित्व में आया और एक व्यावहारिक समाधान की आवश्यकता थी पाया गया। प्रदत्त परिदृश्य में, अधिग्रहण करने वाले सदस्यों और प्रेसीडियम के अध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाइयों और कदमों को इस स्तर पर अनुचित या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। कि स्थिति होने के कारण, दिनांकित 11.07.2022 की बैठक बुलाने को एक के रूप में नहीं लिया जा सकता था

अनाधिकृत कार्य करना। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांकित आदेश पारित करते हुए

17.08.2022 ऐसा लगता है कि गंभीर त्रुटि हुई है और कहा गया है कि आदेश था

दिनांकित बैठक बुलाते समय स्पष्ट रूप से विकृति से पीड़ित

11.07.2022 एक अनाधिकृत कार्य के रूप में लिया गया था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, हमारे विचार में, मामले के सार और स्थिति की वास्तविकताओं को सही ढंग से देखा है।

28.2 . 15 दिनों के स्पष्ट नोटिस की कमी के बारे में अन्य कथित दुर्बलता पर भी उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सही तरीके से विचार किया है

दिनांकित 02.09.2022 आक्षेपित क्रम में। हमारे विचार में, पक्ष के ऐसे आंतरिक मामले में, न्यायालय का दृष्टिकोण और वह भी, अंतरिम राहत के लिए अनुरोध पर विचार करते समय, तकनीकी दोषों को खोजने का नहीं हो सकता है और थिरु के. पलानीस्वामी बनाम।

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

दोषों को मामले के सार से अलग किया गया। यहाँ तक कि संबंध में भी

तकनीकी रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि खंड पीठ ने उक्त नियम 19 (vii) के ढांचे का सही विश्लेषण किया है, जहां 15 दिनों के नोटिस की आवश्यकता नियमित बैठक के लिए संदर्भित है, न कि किसी मांग या अनुरोध के लिए।

विशेष बैठक।

29. के संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश के विचार

प्रथम दृष्टया मामले का प्रश्न बुनियादी खामियों से ग्रस्त था, जैसा कि ऊपर ध्यान दिया गया; और डिवीजन बेंच द्वारा हस्तक्षेप मुकदमेबाजी और उसके निहितार्थ के विषय को देखते हुए आवश्यक था। यह

न्यायालय के समक्ष कुछ बहस योग्य मामले और प्रथम दृष्टया कुछ तत्व मामला, हमारे विचार में, जांच करते समय विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण

सुविधा और अपूरणीय क्षति के संतुलन के सवाल पूरी तरह से गलत कोण से थे। जैसा कि देखा गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह विचार रखा कि निषेधाज्ञा नहीं देने से, ई. पी. एस. अधिक महत्वपूर्ण स्थिति में होगा। वादी ओ. पी. एस. को कथित रूप से हटाने के लिए सुविधाजनक स्थिति और

पार्टी की सदस्यता से कुछ अन्य और वे प्रस्तावित महासचिव चुनावों में भाग भी नहीं ले सकते थे। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, दिए गए संदर्भ में सुविधा और अपूरणीय क्षति के संतुलन को सुविधा से देखा जाना आवश्यक था।

प्राथमिक सदस्यों का बिंदु। विद्वान एकल न्यायाधीश की ऐसी टिप्पणियाँ और विचार, हमारे विचार में, इसके अनुरूप नहीं हैं ठोस न्यायिक सिद्धांत। विचाराधीन आवेदनों के संबंध में सुविधा संतुलन और अपूरणीय क्षति के प्रश्नों की जांच परिणाम या परिणाम के संदर्भ में नहीं की जा सकती थी।

बैठक की तारीख 11.07.2022। इसके अलावा, प्रासंगिक मामलों से निपटने के लिए सामान्य परिषद के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता था की प्राथमिक सदस्यता की ताकत के संदर्भ में एक तरफ

पार्टी। यह स्पष्ट है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने उपरोक्त निर्णयों में बताए गए प्रासंगिक परीक्षणों को ध्यान में नहीं रखा है। में

राजनीतिक दल के आंतरिक प्रबंधन से संबंधित वर्तमान मामला, और वादी द्वारा किए गए दावे की प्रकृति को देखते हुए, सुविधा का संतुलन विचाराधीन आवेदनों पर कोई अंतरिम निषेधाज्ञा देने के पक्ष में नहीं था।

30. मामले की समग्रता की जांच करने के बाद, हम विवश हैं

यह अवलोकन करने के लिए कि वर्तमान मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने [2023] 7 एस. सी. आर. नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सही परिप्रेक्ष्य में चोट और विशेष रूप से प्रतिस्पर्धी संभावनाओं और अन्याय के जोखिम को तौलने में विफल रहा यदि अंततः का निर्णय मुख्य मामला अपनाया जा रहा पाठ्यक्रम और सुझाए जाने के विपरीत होगा।

जिस तरीके और रूप में इसे दिया जा रहा था, उस तरीके और रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने वाले आदेश में। यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि यदि आदेश पारित किया जाता है

विद्वत एकल न्यायाधीश को मुकदमों के निर्णय तक लागू रहना था, यह राजनीतिक हित के लिए काफी हानिकारक होता

विचाराधीन दल, जो भारत के चुनाव आयोग के साथ एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। वर्तमान प्रकृति के मामलों में, सरल

और सटीक दृष्टिकोण, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रारंभिक चरण में 22.06.2022 पर अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए कहा था,

कानून के सही कथन पर था कि आम तौर पर न्यायालय किसी संघ/पक्ष के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और बेहतर प्रशासन के लिए एक विशेष निर्णय लेने के लिए संघ/पक्ष और उसके सदस्यों के लिए इसे खुला छोड़ देगा; और यह इस दिशा में सही दृष्टिकोण था

मामले के तथ्य। वर्तमान मामले में, जब सामान्य परिषद है

पार्टी के शीर्ष निकाय के रूप में दिखाया गया, सामान्य परिषद की बैठक को कोई अपवाद देते हुए न तो स्वीकार किया जा सकता था

न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से हस्तक्षेप किया गया। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, अति-तकनीकी सुझाव जो मांगे गए थे

तिथि, समय और समय के संदर्भ में वैध सूचना की कमी के बारे में बताया जाए।

बैठक का स्थान अर्थात बैठकों के कानून और व्यवहार (ऊपर) पर शेकलटन के अध्याय 5 के संदर्भ में अपीलार्थियों के कारण को आगे नहीं बढ़ाते हैं, विशेष रूप से जब यह देखा जाता है कि तिथि, समय और

23.06.2022 . 31. एस. थिरुनावुक्कारासु (ऊपर) में निर्णय के आधार पर अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत करना कि उपनियमों की योजना नहीं है

माँगकर्ताओं को सामान्य परिषद की बैठक बुलाने की परिकल्पना करना; और यदि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से बैठक बुलाने में विफल रहते हैं, तो एकमात्र विकल्प न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग करना है।

अपनी कमियाँ। जैसा कि डिवीजन बेंच ने आदेश में सही देखा है आक्षेपित, उक्त मामले में, पार्टी के एक निष्कासित सदस्य ने एक

तत्कालीन महासचिव द्वारा बुलाई गई बैठक के समानांतर, सामान्य परिषद की बैठक। दी गई तथ्य स्थिति में, न्यायालय ने समानांतर थिरु के. पलानीस्वामी बनाम के आयोजन के खिलाफ महासचिव के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की।

एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

बैठक होती है। वर्तमान मामले में, सामान्य परिषद की कोई समानांतर बैठक नहीं किसी भी सदस्य द्वारा बुलाया गया है या मांग की गई है। प्रभाग

उच्च न्यायालय की पीठ ने ठीक ही कहा है कि एक सामान्य नियम के रूप में, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि माँगकर्ताओं के पास केवल जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है

न्यायालय में यदि बैठक नहीं बुलाई जाती है। यह भी बताया गया है कि अतीत में, जब अंतरिम महासचिव वर्ष 2017 में कार्य नहीं कर सके, तो पदाधिकारी हस्तक्षेप करते थे और प्राप्त अनुरोध के आधार पर बैठक बुलाते थे। वर्तमान स्थिति भी, जहाँ

महासचिव द्वारा पहले जिस पद पर कब्जा किया गया था उसे सौंपा गया था

समन्वयक और संयुक्त समन्वयक अपनी संयुक्तता में और यह संदेह की छाया से परे है कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक

संयुक्त रूप से खड़े न हों और संयुक्त रूप से कार्य न कर सकें, यह स्थिति के समान है

जब शीर्ष पद धारक कार्य करने की स्थिति में नहीं था। जाहिर है, एक व्यवहार्य समाधान खोजना था; और जब समाधान पाया जाता है और लागू किया जाता है, तो अन्यथा उपनियमों की भावना को आहत नहीं करता है

किसी संघ या दल के कार्यकरण के मानदंडों को भी, यह नहीं कहा जा सकता है कि सभा की बैठक के लिए अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष की घोषणा

11.07.2022 पर सामान्य परिषद और कार्यालय द्वारा अनुवर्ती सूचना

पार्टी मुख्यालय में वाहक पूरी तरह से अनधिकृत थे।

32. पूर्वगामी के अलावा, अन्य विचार

दिनांक 17.08.2022 का विवादित आदेश जो विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ प्रचलित था, यह स्पष्ट करता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने

ठोस और लागू न्यायिक सिद्धांतों के विपरीत कार्रवाई की गई। यह निर्विवाद है कि कानून किसी भी असंभवता के प्रदर्शन की परिकल्पना नहीं करता है और न ही न्यायालय द्वारा इसके लिए कोई आदेश जारी किया जा सकता है। एक व्यावहारिक असंभवता का प्रदर्शन। विद्वान एकल न्यायाधीश

उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि जब ओ. पी. एस. और ई. पी. एस. ने सफलतापूर्वक काम किया था

संयुक्त रूप से संयोजक और संयुक्त समन्वयक के रूप में कैसे डेढ़ करोड़ से अधिक कैडर संख्या के साथ पार्टी ने अचानक मौजूदा कैडर को बदलने का फैसला किया।

वितरण। संबंध में, हमारे विचार में, ऐसा प्रश्न न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले निर्धारण के बिंदुओं के लिए भी उपयुक्त नहीं था। जिस बारे में कैसे कोई भी समझौता, चाहे वह एक संघ हो या एक राजनीतिक दल, अपने मामलों का प्रबंधन करेगा और इसकी शासी निकाय किन परिवर्तनों पर विचार करेगी

इसके नियमों, विनियमों या उपनियमों में उपयुक्त, सभी मामले पूरी तरह से उस समझौते और उसके शासी निकाय के क्षेत्र के भीतर हैं। जो भी हो,

न्यायालय के समक्ष आवेदनों में, एकमात्र प्रासंगिक प्रश्न दिनांकित 11.07.2022 बैठक बुलाने की वैधता के बारे में था।

ऐसा प्रतीत होता है कि एकल न्यायाधीश इतने व्यापक क्षेत्रों से गुजरे हैं कि

अंततः निर्णय पूरी तरह से अप्रासंगिक पर आधारित हो गया।

विचार करें।

33. यह भी उल्लेखनीय है कि द्वारा जारी अंतिम निषेधाज्ञा

23.06.2022 और इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि समन्वयक और संयुक्त समन्वयक को संयुक्त रूप से काम करना होगा; बैठकों को उनकी संयुक्त सहमति से बुलाया जाना चाहिए; और ठीक से होने पर। मांग की गई, वे सामान्य परिषद बुलाने से इनकार नहीं करेंगे

और यह कि वे आम परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक निर्देशों के लिए न्यायालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा कि

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किया गया निषेधाज्ञा उनके समक्ष आवेदनों के दायरे से बहुत दूर और परे था, उक्त निषेधाज्ञा

केवल पार्टी में कार्यात्मक गतिरोध को बनाए रखा जा सकता था। द.

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार, डिवीजन बेंच, हमारे विचार में,

ठीक उसी में हस्तक्षेप किया है।

34. पारित करते समय, हम यह भी देख सकते हैं कि मुकदमा दायर करते समय और अंतरिम राहत की मांग करते समय, वादी ओ. पी. एस. और यहां तक कि अन्य वादी,

मुकदमेबाजी के लिए पक्षों को इस तरह से तैयार किया है कि राजनीतिक दल-ए. आई. ए. डी. एम. के., साथ ही इसकी आम परिषद और इसकी केंद्रीय कार्यकारिणी भी

इन वादियों के इस दावे के संदर्भ में कि पक्ष और उसके शासी/निष्पादन निकायों का प्रतिनिधित्व केवल समन्वयक द्वारा किया जाना है और संयुक्त समन्वयक संयुक्त रूप से। वादी की ओर से यह प्रयास

जब यह निर्विवाद रहता है कि ओ. पी. एस. और ई. पी. एस., क्रमशः समन्वयक और संयुक्त समन्वयक, अपनी कमियों को वहन करते हैं।

दिनांकित 11.07.2022 बैठक में अपनाया गया है और इसके विपरीत, उत्तरदाताओं ने उक्त निर्णयों को उचित ठहराने का प्रयास किया है / संकल्प लेकिन हमने उनमें से किसी भी विवाद से निपटने के लिए नहीं चुना है।

थिरु के. पलानीस्वामी बनाम एम. षण्मुगम और ओआरएस।

[दिनेश माहेश्वरी, जे।]

यह विशिष्ट कारण है कि दिनांकित 11.07.2022 बैठक में लिए गए निर्णय अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदनों का विषय नहीं बनाते हैं, जिन्हें इसके द्वारा पुनर्विचार के लिए बहाल किया गया था।

न्यायालय और अंततः विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 17.08.2022 आदेश द्वारा निर्णय लिया गया और फिर उसके खिलाफ अंतर-न्यायालय अपील की गई।

उक्त प्रस्तावों के बारे में आंदोलन करने के लिए खुला है, लेकिन सख्ती से कानून के अनुसार; और चुनाव लड़ने वाले की सभी आपत्तियाँ और खंडन

पार्टियाँ भी खुली रहती हैं।

35.1 . मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और

इन अपीलों के दायरे में, हमने इन मामलों में दायर किसी भी अभियोग आवेदन से निपटना आवश्यक नहीं पाया है और हम करेंगे किसी भी मौजूदा कानूनी शिकायत के मामले में ऐसे सभी आवेदकों के लिए भी कानून के अनुसार उचित उपचार का सहारा लेने के लिए इसे खुला छोड़ दें।

उपयुक्त मंच पर राहत पाने के अधिकार के साथ।

36. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, उसके लिए उत्पन्न होने वाली अपीलें

एस. एल. पी. (सी) संख्या से बाहर। 15753 2022 का और 2022 का 15705-15706 आवश्यक है।

दिनांकित 02.09.2022 के विवादित आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज किया जाना।

37. जहाँ तक अन्य अपीलों का संबंध है, उसमें उपरोक्त

अभिलेखों को सीधा रखने के लिए, हम 06.07.2022 दिनांकित स्थगन आदेश को पूर्ण बनाना उचित समझते हैं ताकि अपीलों का निपटारा किया जा सके। उक्त आदेश दिनांक 23.06.2022 को चुनौती देते हुए दायर किया गया।

38. समापन से पहले, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इनमें से कोई भी

इस निर्णय में टिप्पणियों का योग्यता पर कोई प्रभाव पड़ेगा।

इन अपीलों से संबंधित लंबित दीवानी मुकदमों पर विचार; और

उक्त मुकदमों पर उनके गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

39. तदनुसार, और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए:

1. एस. एल. पी. (सी) सं. से उद्भूत अपील। 15753 2022 और

15705-15706 2022 का आदेश खारिज कर दिया जाता है और ओ. एस. ए. सं. में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित 02.09.2022 का आदेश। 227 2022 के लिए, 2022 के लिए 232 और 2022 के लिए 232 की पुष्टि की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. एस. एल. पी. (सी) सं. से उद्भूत अपील। 11237 2022, 11579 का

ए.

वर्ष 2022 और वर्ष 2022 के 11,578 के अंतरिम आदेश को पूर्ण करते हुए निपटाया गया।

3. पक्षकारों को इन अपीलों का अपना खर्च वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।
4. सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

बी.

अंकित ज्ञान (महेंद्र यादव, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)